रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 1975/ज्येष्ठ 26, 1897
No. 112] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 1975/JYAISTHA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th June 1975

No. DRAWBACK/PN-53/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time.

For all the serial Numbers, Sub-Serial Numbers and the entries relating thereto, the following shall be substituted with effect from 1st day of June, 1975 unless otherwise specified in the table, namely :—

TABLE

Serial No. in Schedule II appended to the Rules.	Sub-Serial No.	Description of goods.	Rate of drawback.
1	2	3	4
1		*Fruit Preserved and Fruit preparations, provisions, tanned, bottled or otherwise and all sorts of foods not elsewhere specified* :	
	101	Fruit preserved and fruit preparations, provisions, canned, bottled or otherwise, and all sorts of foods not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on application from individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
	102	Fruit chutney containing not less than 50% of sugar by weight.	Rs. 15·84 (Rupees fifteen and paise eighty four only) per quintal of such goods.
	103	Jams and Jellies containing not less than 60% of sugar by weight.¶	Rs. 19·00 (Rupees nineteen only per quintal of such goods.
	104	Canned Fruit in syrup containing—	
		(a) not less than 16% of sugar by weight	Rs. 5·07 (Rupees five and paise seven only) per quintal of such goods.
		(b) less than 16% but not less 13·5% of sugar by weight.	Rs. 4·28 (Rupees four and paise twenty eight only) per quintal of such goods.
	105	Squashes containing not less than 40% of sugar by weight.	Rs. 12·67 (Rupees twelve and paise sixty seven only) per quintal of such goods.
	106	Fruit syrups, synthetic syrups and sharbats containing not less than 65% of sugar by weight.	Rs. 20·59 (Rupees twenty and paise fifty nine only) per quintal of such goods.¶
	107	Fruit Cardials containing not less than 30% of sugar by weight.	Rs. 9·50 (Rupees nine and paise fifty only) per quintal of such goods.
	108	Barley waters including lemon barley water containing not less than 40% of sugar by weight.	Rs. 12·67 (Rupees twelve and paise sixty seven only) per quintal of such goods.
	109	Fruit crushes containing not less than 55% of sugar by weight.	Rs. 17·42 (Rupees seventeen and paise forty two only) per quintal of such goods.
	110	Marmalades containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 19·00 (Rupees nineteen only) per quintal of such goods.
	111	Candied and Crystalised or Glaced Fruit and Peel containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 19·00 (Rupees nineteen only) per quintal of such goods.
	112	Mango Pulp containing—	
		(a) not less than 5% of sugar by weight.	Rs. 1·58 (Rupee one and paise fifty eight only) per quintal of such goods.
		(b) less than 5% but not less than 3% of sugar by weight.	Rs. 0·95 (Paise nine ty five only) per quintal of such goods.
	113	Fruit preserves containing not less than 60% of sugar by weight.¶	Rs. 19·00 (Rupees nineteen only) per quintal of such goods.
	114	Sweetened Fruit Juices (Canned or Bottled) containing not less than 10% of sugar by weight.¶	Rs. 3·17 (Rupees three and paise seventeen only) per quintal of such goods.
	115	Mango Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 4·75 (Rupees four and paise seventy five only) per quintal of such goods.
	116	Papaya Nectar (Ready to serve berverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 4·75 (Rupees four and paise seventy five only) per quintal of such goods.
	117	Guava Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 4·75 (Rupees four and paise seventy five only) per quintal of such goods.
	118	Grape Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 4·75 (Rupees four and paise seventy five only) per quintal of such goods.

1	2	3	4
		(Provided the above Fruit Products have been manufactured in accordance with the provisions of the Fruit Products Order, 1955).	
2		*Instant Coffee*	
	201	Instant Coffee not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
3		*Cocoa Paste Butter Powder Chocolate and other Food Preparation Containing Coca*:	
	301	Cocoa paste, butter, powder, chocolate and other food preparation containing cocoa, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
4		*Sugar Confectionery and other Sugar Preparation* :	
	401	Sugar confectionery and other sugar preparation not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
5		*Biscuits* :	
	501	Biscuits, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	502	Biscuits, all sorts.	Rs. 0·317 (Paise thirty one point seven only) per kg. of sucrose content and Rs. 0·245 (Paise twenty four point five only) per kg. of vegetable product content of the biscuits.
6		*Copra Cake* :	
	601	Copra Cake, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an applilication from the individual manufacturer/exporter.
		Concentrate and Base for non Alcohlic Beverage:	
	701	Concentrate and base for non alcohlic beverage not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
8		*Alcoholic Beverage* :	
	801	Alcoholic beverage, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
9		*Tobacco Manufactures* :	
	901	Tobacoo manufactures, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from theindividual manufacturer/exporter.
	902	Pipe or Cigarette tobacco in the manufacture of which tobacco of foreign origin (other than tobacoo of Pakistan, Bangladesh, Burma, Nepal or Bhutan origin) has been used.	Rs. 32·65 (Rupees thirty two and paise sixty five only) per kg. of foreign tobacco content other than of Pakistan, Bangladesh, Burma, Nepal or Bhutan origin contained in the pipe or or cigarette tobacco.
		Provided that :—	
		(a) Drawback at this rate shall be paid in respect of only such pipe or cigarette tobacco as has been manufactured by a person who has been registered for this this purpose by the Collector of Customs in whose jurisdiction such pipe or cigarette tobacco is manufactured :	

1	2	3	4
		(b) the pipe or cigarette tobacco is manufactured under the supervision of Customs or Central Excise Officers ;	
		(c) the pipe or cigarette tobacco is packed in tamper proof sealed containers bearing on their outside detailed description of the goods; and	
		(d) the quantity of foreign tobacco other than tobacco of Nepal, Burma, Pakistan, Bhutan or Bangladesh origin, contained in the pipe or cigarette tabacco being exported is established to the satisfaction of the Cutoms Collector.	
	903	Cigarettes in the manufacture of which tabacco of foreign origin (other than tobacco of Pakistan, B-ngladesh, Burma, Nepal or Bhutan origin) has been used.	Rs. 32·65 (Rupees thirty two and paise sixty five only) per kg. of foreign tobacoo content other than of Pakistan, Burma, Nepal, Bangladesh or Bhutan origin contained in the Cigarettes.
		Provided that :—	
		(a) Drawback at this rate shall be paid in respect of only such cigarettes as have been manufactured by a person who has been registered for this purpose by the Collector of Customs in whose jurisdiction such cigarettes are manufactured; and	
		(b) the quantity of foreign tobacoo other than tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Bangladesh origin contained in the Cigarette being exported is estabilished to the satisfaction of the Collector of Customs.	
	9 4	Cigars in the manufacture of which cigar wrapper tobacco of foreign origin (other than cigar wrapper tobacoo of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Bangladesh origin) has been used.	Rs. 31·50 (Rupees thirty one and paise fifty only) per kg. of foreign cigar wrapper tobacco content other thar of Pakistan, Bangladesh, Nepal, Burma or Bhutan origin used in the manufacture of cigar.
		Provided that:—	
		(a) the packages of the imported materials have been verified by the Customs Collector and sealed with the Customs seal before delivery at the port of import.	
		(b) the sealed packages have been opened and the imported materials used for the manufacture with the permission of Central Excise Officer-in-Charge of the factory in which the Cigars are manufactured.	
		(c) the manufacturer has maintained such accounts of the use of the imported Cigar wrapper tobacco as may be prescribed by the Asistant Collector of Central Excise in whose jurisdiction the factory in which the cigars are manufactured is situated; and	
		(d) the export is made under Form-AR-4 (Central Excise Series No. 60) prescribed under Central Excise Rules, 1944.	
	905	Hookah Tobacco paste containing not less than 20% of tabacco by weight.	Rs. 0·35 (Paise thirty five only) per kg.
10		*Petroleum Products* :	
	1001	Petroleum products not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
11		*Organic Chemicals, Inorganic Chemicals, Chemicals Products:*	
	1101	Organic chemicals, inorganic Chemicals, Chemical products not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
	1102	Dichromate-	
		(i) Sodium Dichromate Dihydrate.	Rs. 96·00 (Rupees ninety six only) per tonne.
		(ii) Potassium Dichromate.	Rs. 300·00 (Rupees three hundred only) per tonne.
	1103	Alumina Ferric	Rs· 20·80 (Rupees twenty and paise eighty only) per tonne.
	1104	Vacant.	
	1105	Vacant.	
	1106	Vacant.	
	1107	Potash Alum.	Rs. 3·90 (Rupees three and paise ninety only) per tonne.
	1108	Vacant.	
	1109	Chromic Acid	Rs. 177·50 (Rupees one hundred seventy seven and paise fifty only) per tonne.
	1110	Alum and Aluminium Sulphate iron free—	
		(*i*) Ammonia Alum.	Rs. 17·30 (Rupees seventeen and paise thirty only) per tonne.
		(*ii*) Aluminium Sulphate.	Rs. 20·40 (Rupees twenty and paise forty only) per tonne.
	1111	Vacant.	
	1112	Caustic Potash.	Rs. 783·00 (Rupees seven hundred and eighty three only) per tonne.
	1113	Sodium Sulphite.	Rs. 105·00 (Rupees one hundred and five only) per tonne.
	1114	Sodium Thiosulphate.	Rs. 35·00 (Rupees thirtyfive only) per tonne.
	1115	Sodium Bisulphite.	Rs 65·00 (Rupees sixtyfive only) per tonne.
	1116	Synthetic detergents with active detergent of 18% or more.	Rs. 698·70 (Rupees six hundred ninetyeight and paise seventy only) per tonne.
	1117	Vacant.	
	1118	Potassium permangnate (97-100%).	Rs. 850·00 (Rupees eighth hundred and fifty only) per tonne.
	1119	Vacant.	
	1120	Vacant.	
	1121	Hydrochloric Acid Technical grade containing not less than 28% HCL.	Rs. 11·58 (Rupees eleven and paise fifty eight only) per tonne.
	1122	Stable bleaching powder.	Rs. 30.00 (Rupees thirty only) per tonne.
12		*Drugs and Pharmaceuitcal Products.*	
	1201	Drugs and Pharmaceutical products, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer'/exporter.
	1202	Vacant.	

1	2	3	4
	1203	Zinc-oxide Adhesive Plaster B.P.C.	Rs 32·00 (Rupees thirty two only) per one hundred square metre.
13		*Synthetic Organic Dyestuffs, Dyes, Intermediates and Colours Lakes:*	
	1301	Synthetic organic dye stuffs, dyes intermediates and colours lakes, not ese where specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
14		*Pigments, Colours, Paints, Enamels, Varnishes, Lacquers, Synthetic Polyesters (Epoxy) Resins, Printing inks and writing Inks .*	
	1401	Pigments, colours, paints, enamels, varnishes, lacquers, synthetic polyesters epoxy resins, printing inks and writing inks, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1402	Synthetic Enamel White	Rs. 2·84 (Rupees two and paise eighty four onl) per litre.
	1403	Synthetic Enamel coloured.	Rs. 0·89 (Eighty nine paise only) per litre.
	1404	Plastic emulsion paints.	Rs. 3·10 (Rupees three and paise ten only) per litre.
	1405	Paste paints, viz., genuine zinc white paint only.	Rs. 2545·00 (Rupees two thousand five hundred forty five only) per tonne.
	1406	Vacant.	
	1407	Vacant.	
	1408	Vacant.	
	1409	Vacant.	
	1410	Vacant.	
	1411	Vacant.	
	1412	Vacant.	
	1413	Oil Bound Distemper	Rs. 0·51 (Fifty one paise only) per kg.
	1414	Vacant.	
	1415	Printing Inks.	Rs. 6·60 (Rupees six and paise sixty only) per quintal.
	1416	Red Lead.	Rs. 2080·00 (Rupees two thousand eighty only) per tonne.
	1417	Vacant.	
	1418	Litharge	Rs. 2025·00 (Rupees two thousand twenty five only) per tonne.
	1419	Zinc Oxide.	Rs. 2925·00 (Rupees two thousand nine hundred twenty five only) per tonne.
15		*Essential Oils, Hydrogenated Castor Oil, Perfume Materials, Aggarbathies, toiletes, Polishing and Cleaning Preparations :*	
	1501	Essential oils, Hyderogenated Castor Oil, perfume materials, toilet, polishing and cleaning preparation not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1502	Aggarbathies excluding raw aggarbathies.	8% (Eight per cent only) of F.O.B. value.

1	2	3	4
16		*Explosives pyrotechnic Products (Fire Works) Safety Matches and Safety Fuses :*	
	1601	Explosive, pyrotechnic products (fire Works) safety matches and safety fuse, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1602	Matches all sorts	Rs. 2·4% (Two point four per cent only) of the f.o.b. value.
17		*Photographic and cinematographic goods :*	
	1701	Photographic and cinematographic goods, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1702	(i) Cinema films exposed coloured. .	Rs. 56.96 (Rupees fifty six and paise ninety six only) per hundred linear metres.
			—*with effect from* 1-6-75 *to* 6-6-75.
		(ii) Cinema film exposed black and white.	Rs. 15·90 (Rupees fifteen and paise ninety only) per hundred linear metres.
			With effect from 7-6-75.
			Rs. 12·50 (Rupees twelve and paise fifty only) per one hundred linear metres.
18		*Insecticides, pesticides, fungicides, weedicides and formulations, thereof.*	
	1801	Insecticides, pesticides, fungicides, weedicides and formulations thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
19		*Synthetic resins (including adhesives) plastic raw materials and articles made thereof:*	
	1901	Synthetic resins (including adhesives), plastic raw materials and articles made thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1902	Vacant.	
	1903	Vacant.	
	1904	Vacant.	
	1905	Vacant.	
	1906	Articles or component parts of any articles made from acrylic moulding powder (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films whether laminated or not and the articles made therefrom).	Rs. 553·00 (Rs. five hundred fifty three only) per quintal.
		Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.	
	1907	Articles or component parts of any article made from cellulose acetate moulding powder or unlaminated cellulose acetate sheets or rods or tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheetings, sheets and films, whether laminated or not).	
		(a) made of sheets.	Rs. 370·00 (Rupees three hundred seventy only) per quintal.

1	2	3	4
	(b) others	Rs. 1395·00	(Rupees one thousand three hundred ninety five only) per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1908	Articles or component parts of any article made from cellulose acetate butyrate moulding powder or unlaminated cellulose acetate butyrate sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 1580·00	(Rupees one thousand five hundred eighty only) per quintal.

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of cellulose acetate butyrate moulding powder has been released by the STC to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of cellulose acetate butyrate moulding powder has not been :—

(a) Similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of cellulose acetate butyrate moulding powder, or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

Explanation.—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the STC., shall be taken into account.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1909	Articles or components parts of any article made from cellulose nitrate sheets, rods or tubes.	Rs. 3353·00	(Rupees three thousand three hundred fifty three only) per quintal.

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of cellulose nitrate sheets, rods or tubes has been released by the STC to the esporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacturer of every quintal of product exported and that the quantity of cellulose nitrate sheets, rods, or tubes has not been :—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of cellulose nitrate sheets, rods or tubes ; or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback ;

Explanation.—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the STC, shall be taken into account.

1	2	3	4

Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1910	Articles or component parts of any article made from phenol formaldehyde moulding powder or unlaminated phenol formaldehyde sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 705·00	(Rupees seven hundred and five only) per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1911	Articles or component parts or any articles made from polyamide moulding powder or unlaminated polyamide sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and film, whether laminated or not).	Rs. 2585·00	(Rupees two thousand five hundred and eithty five only) per quintal.

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of polyamide M.P. has been released by the S.T.C. to the exporter/manufacturer and used within the period of 12 months immediately preceding the date of such exportation for the manufacture of every quintal of the product exported and that the quantity of polyamide M.P. has not been (i) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of the said article; or (ii) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

Explanation :—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the S.T.C. shall be taken into account.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

1912	Articles or component parts of any article made from unlaminated acrylic sheets.	The amount of import duty per quintal of acyrlic sheet paid in the relevant bill of entry or Rs. 1258·00 (Rupees one thousand two hundred and fifty eight only) per quintal whichever is less.	

Provided that :—

(i) Where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 Kgs. of acrylic sheets has been imported by the exporter or manufacturer/and used, within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity/of acrylic sheet has not been—

(a) similarly correlated to, and accounted for against any other previous exportation of articles of acrylic sheets or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback

the rate shall apply in toto :

(ii) where the evidence specified above is not produced the rate shall be Rs. 553 .00 (Rupees five hundred fifty three only) per quintal.

1	2	3	4

Explanation—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of material imported directly and the date of release order in the case of materials released by the STC shall be taken into account.

Provided further that the procedures prescribed under rule 56—A or 191—A or 1091—B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

1913	Articles or component parts of any article made from polystyrene moulding powder or unleminated polystyrence sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic board, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 680.00 (Rupees six hundred eighty only) per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56—A or 191—A or 191-B of the Central Excise Rules. 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of said articles.

1914	Articles or component parts of any article made from polyethylene moulding powder or unlaminated polyethylene sheets/roas/tubes etc. (excluding rigid plastic board, sheeting, sheets and films whether laminated or not).	Rs. 488.00 (Rupees four hundred eighty eight only) per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufecturer/exporter in respect of the said articles.

1915	Articles or component parts of any article made from Urea formaldehyde moulding powder or unlaminated urea formaldehyde sheets/roads/tubes etc. (excluding rigid plastic board, sheeting, sheets, and films, whether laminated or not).	Rs. 718.00 (Rupees seven hundred eighteen only per quintal.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A oe 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufecturer exporter in respect of siad articles.

1916	Articles or component pants of any articles made from polypropylene moulding powder or unlaminated polypropylence sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting. sheets and films, whether laminated or not.	Rs. 1020.00 (Rupees one thousand twenty only) per quintal.

Provided that:—

(i) Where the exporter produces evidence to the satisfaction of the ollector of Customs and also produces the certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of polypropylene moulding powder has been reased by the STC to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of polypropylene moulding powder has not been—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of polypropylene moulding powder, or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

the rate shall apply in toto.

(ii) where the evidence specified above is not produced the rate shall be Rs. 488/- (Rupees four hundred eighty eight only) per quintal.

1	2	3	4
		Explanation.—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and date of release order in the case of materials released by the STC shall be taken into account. Provided further that the procedure prescribed under rule 56A or 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.	
1917	Articles or component parts of any articles made from melamine formaldehyde moulding powder or unlaminated melamine formaldehyde sheets/ rods/tubes etc. (excluding reigid plastic boards, sheeting, sheets, or films, whether laminated or not). Provided that the procedures prescribed under rule 56A or 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944, are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.		Rs. 940·00 (Rupees nine hundred forty only) per quintal.
1918	Articles or component parts of any articles made from ploy vinyl chloride composition including articles made from unlaminated rigid and flexible polyvinyl chloride boards/sheeting/sheets/films/ lay flat tubing etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films whether laminated or not and flexible polyvinyl chloride sheetings, sheets, films and lay flat tubing whether containing any textile.material or not.	(a) Flexible.	Rs. 190·00 (Rupees one hundred ninety only) per quintal.
		(b) Rigid—PVC pipes/conduits and accessories of pipes (Rigid).	Rs. 295·00 (Rupees two hundred ninety five only) per quintal.
		(c) Rigid other than pipes.	Rs. 259·00 (Rupees two hundred Fifty nine only) per quintal.
		(d) Flexible unsupported sheets.	Rs. 17·50 (Rupees seventeen and paise fifty only) per quintal.
		Provided that the procedures prescribed under rule 56A or 191A or 191B of the Central Excise Rules , 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.	
1919	Unlaminated rigid plastic boards, sheeting, sheets, or films made from acrylic plastics.		Rs. 553·00 (Rupees five hundred fifty three only) per quintal.
1920	Unlaminated rigid plastic boards, sheeting, sheets or films, made from cellulose acetate moulding powder.		Rs. 370·00 (Rupees three hundred seventy only) per quintal.
1921	Flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets, films and lay flat tubings not containing any textile materials.		Rs. 17·50 (Rupees seventeen and paise fifty only) per quintal.
1922	Articles or component parts of any article made from styrene acrylonitrile copolymer (excluding rigid plastic board sheeting eets and films, whether laminated or ot).		The amount of import duty per quintal of styrene acrylonitrile copolymer paid in the relevant bill of entry or rupees nine hundred eighty three only (Rs. 983/-) per quintal whichever is less.

1	2	3	4
		Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that a quantity of 105 kgs. of styrene acrylonitrile copolymer has been imported by the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of styrene acrylonitrile copolymer has not been (a) Similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of styrene acrylonitrile copolymer, or (b) previously/re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.— *Explanation*..—In order to determine whether the importation or reease material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the materials in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the STC shall be taken into account. Provided further that the procedures prescribed under rule 56A or 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.	
1923	Vacant.		
1924	Plastic bangles, all sorts, made only from one or more of the following plastic materials, namely, cellulose acetate moulding powder, cellulose nitrate sheets, cellulose acetate butyrate moulding powder, polystyrene moulding powder and acrylic moulding powder or sheets with or without deceration with metal foils or wires, lacquers etc.		
	(i) Where plastic materials used include acrylic moulding powder, sheet etc.		Rs. 680·00 (Rupees six hundred & eighty only) per quintal of bangles.
	(j) Where plastic materials used do not include acrylic moulding powder, sheet etc. but include Polystyrene moulding powder.		Rs. 553·00 (Rupees five hundred and fifty three only) per quintal of bangles.
	(k) Where plastic materials used to not include, polystyrene moulding powder and/or acrylic moulding powder, sheets etc. but include cellulose acetate moulding powder.		Rs. 1395·00 (Rupees one thousand three hundred and nintyfive only) per quintal of banglese.
	(iv) Where plastic materials used do not include polystyrene moulding powder acrylic moulding powder or sheets etc. and cellulose acetate moulding powder but include cellulose acetate butyrate moulding powder.		Rs. 1580·00 (Rupees one thousand five hundered and eighty only) per quintal of bangle.
	(v) Where the plastic materials used is only cellulose nitrate sheets.		Rs. 3353·00 (Rupees there thousand three hundred and fifty three only) per quintal of bangles.
	(vi) where plastic materials used do not include, polystyrene moulding powder or sheets acrylic moulding powder or sheets, cellulose acetate moulding powder or sheets, or cellulose acetate butyrate moulding powder but include polyamide moulding powder.		Rs. 2585·00 (Rupees two thousand five hunderd and eighty five only) per quintal.
	Provided that the drawback at the rates indicated against item (iv) & (v) above shall apply if the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kg. of cellulose acetate butyrate moulding powder or cellulose nitrate sheets, as the case may be, has been released by the S.T. C. to the		

1	2	3	4
	exporter or the manufacture and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported that the quantity of cellulose acetate butyrate moulding powder or cellulose nitrate sheets, as the case may be, has not been :—		
	(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of article of cellulose acetate butyrate moulding powder or cellulose nitrate sheets, as the case may be, or		
	(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.		
	Explanation.— In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the S. T. C. shall be taken into account.		
	Provided further that the procedures prescribed under rules 56-A or 191-A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of plastic bangles:		
			with effect from 1-6-75 *to* 6-6-75.
1925	Spectacle frames/spectacles and sun goggles with cellulose nitrate sheet front and cellulose nitrate sheets sides, with or without lenses/glare glasses and whether or not fitted with any of the following materials, namely hinges, rivets, shields joints, wire in sides, nose pads, tips.		42·5% (Fortytwo point five percent only) of the f.o.b. value of Rs. 34·80 (Rupees thirty four & paise eighty only) per dozen whichever is less. *with effect from* 7-6-75. Rs. 33·00 (Rupees thirty three only) per dozen.
1926	Vacant.		
1927	Spectacle frames/ spectacles and sun goggles made from cellusose acetate plastic in any form with or without lenses/glare glasses whether or not fitted with any of the following materials, namely hinges, rivets, shields joints, wires in sides rolled gold/ gold filled/ gold plated wire and /or components, aluminium andised sides, nose pads, tips etc.		Rs. 6·75 (Rupees six and paise seventy five only) per dozen.
	Provided that it is proved to the satisfaction of the Collector of Customs that the spectacles/spectacle frames exported are genuine spectacle frames, spactales or goggles of gents and ladies sizes.		
1928	Sides of spectacle frames, spectacles and sun goggles made from cellulose nitrate sheets with or without joints.		Rs. 12·40 (Rupees twelve and paise forty only) per doz. pairs.
1929	All other plastic spectacles frames/spectacles/ goggles not elsewhere specified.		*with effect from* 1-6-75 *to* 6-6-75. Rs. 2·95 (Rupees two and paise ninety five only) per kg. *with effect from* 7-6-75. Rs. 2·59 (Rupees two and fifty nine only) per kg.
20	*Synthetic rubber, reclaimed rubber and articles of rubber.*		
2001	Synthetic rubber, reclaimed rubber and articles of rubber not elsewhere specified.		Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer's exporter.
2002	Tyres and tubes all sorts excepting bicycle tyres and tubes but including to read rubber and flaps.		*With effect from* 1-6-1975 *to* 6-6-1975.

1	2	3	4
		(1) Tyres from sizes with sectional width of 2·50 upto and including 6·70—	
		(a) Rayon.	Re. 0·80 (Paise eighty only) per kg.
		(b) Nylon.	Rs. 2·30 (Rupees two and paise thirty only) per kg.
		(2) Tyres from sizes with sectional width of 7·00 upto and including 14·00.	
		(a) Rayon.	Re. 0·84 (Paise eighty four only) per kg.
		(b) Nylon.	Rs. 2·98 (Rupees two and paise ninety eight only) per kg.
		(3) Tyres from sizes with sectional width of 15·00 and above —Nylon.	Rs. 2·35 (Rupees two and paise thirty five only) per kg.
		(4) BUTYL tubes excluding tubes manufactured from natural raw rubber or indigenous synthetic rubber or cycle tubes.	Rs. 1·69 (Rupees one and paise sixty nine only) per kg.
		(5) Flapse (all sizes).	Re. 0·24 (Paise twenty four only) per kg.
		(6) Tread rubber (all sizes).	Re. 0·30 (Paise thirty only) per kg.
		with effect from 7-6-1975	
		Tyres and tubes of the following types including tread rubber and flaps.	
		(1) Rayon tyres from sizes with sectional width of 2·50 upto and including 6·70	Re. 0·80 (Paise eighty only) per kg.
		(2) Rayon tyres from sizes with sectional width of 7·00 upto and including 14.00	Re 0·84 (Paise eighty four only per kg.
		(3) BUTYL tubes excluding tubes manufactured from natural raw rubber or indigenous synthetic rubber or cycle tubes.	Rs. 1·69 (Rupees one and paise sixty nine only) per kg.
		(4) Flaps (all sizes).	Re. 0·24 (Twenty four paise only) per kg.
		(5) Tread rubber (all sizes).	Re. 0·30 (Thirty paise only) per kg.
21		*Hides, skins, leather, articles of leather or artificial leather, other Leather goods and travel goods* :	
	2101	Hides, skins, leather articles of leather or artificial leather, other leather goods and travel goods not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2102	(a) E.I. tanned hides and calf skins, namely cow hides, buffalo hides, kips, cow calf and buffalo calf.	Re. 0·66 (Sixty six paise only) per kg.
		(b) I.E. tanned skins., namely Goat skins and sheep skins.	Re. 0·68 (Sixty eight paise only) per kg.
		(c) E.I. tanned snake and reptile skins.	Re. 0·63 (Sixty three paise-only) per kg.
	2103	Tanned hides and skins chrome tanned (chrome tanned blue hides and skine) other than chrome crust leather and reptile skins.	0·7% (Point seven percent only) per kg. of the F.O.B. value.
	2104	Tanned hides and skins, chrome tanned chrome crust leather other than reptile skin.	2% (Two per cent only) of the F.O.B. value.

1	2	3	4
	2105	All types of finished leather, leather belting, picking bands, buffers, sheep,/calf roller skins and leather aprons, other than reptile skins and reptile leather.	3·6% (Three point six percent only) of the F.O.B. value.
	2106	Light categories of travel and other leather goods like attache cases, brief cases, ladies hand bags, walets, leather apparel, purses, etc :—	
		(a) Bridles with brass fittings like rings, buckles etc.	7·8% (Seven point eight percent only) of the F.O.B. value.
		(b) All others.	5·3% (Five point three percent only) of the F.O.B. value.
	2107	Heavy leather goods like saddlery items, leather trunks, leather suit cases.	5·3% (Five point three percent only) of the F.O.B. value.
	2108	Industrial leather Gloves.	4·8% (Four point eight percent only) of the F.O.B. value.
	2109	Chrome leather washers, all sorts.	Rs. 1200·00 (Rupees one thousand two hundred only) per tonne inclusive of drawback on packing materials.
22		*Veneers, Plywood, improved or Reconstituted wood products made thereof* :	
	2201	Veneers, plywood, improved or reconstituted wood product made thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individua manufacturer/exporter.
	2202	Tea chest made of plywood panels with aluminium foil lining on all the sides and with tin plate metal fittings on edges used as packing material for export of tea.	Rs. 289·80 (Rupees two hundred eighty nine and paise eighty only) per one hundred sq. metres o isurface area of tea chests.
	2203	Tea chest made of plywood panels used as sacking materials for export of tea (other than those falling under Sub-Serial No. 2202) and plywood panels for tea chests and fittings thereof :—	
		(i) plywood panels for tea chests.	
		(a) when used in a tea chest for export of tea.	Rs. 184·30 (Rupees one hundred eighty four and paise thirty only) per one hundred square metres of the surface area of such tea chests.
		(b) when out to size in panels or shooks and exported as such.	*with effect from* 1-6-75 *to* 6-6-75. Rs. 98·00 (Rupees ninetyeight only) per one hundred square metres.
			with effect from 7-6-75
			Rs. 85·30 (Rupees eighty five and paise thirty only) per one hundered square metres.
		(ii) Metal fitting of tea chests made of tin plate.	Re. 0·95 (Paise ninety five only) per kg.
		(iii) Wire nails, tenter hooks and rivets.	Re. 0·34 (Thirty four paise only) per kg.
		(iv) Tissue paper for wrapping battens or for lining alumininum foils.	Rs. 1·62 (Rupee one and paise sixty two only) per kg.
		(v) Aluminum foil.	Rs. 10·50 (Rupees ten and paise fifty only) per kg.

1	2	3	4
	2204	Plywood, all sorts not elsewhere specified.	*With effect from* 1-6-75 *to* 15-6-75: Rs. 48·00 (Rupees fourty eight only) per glue line per one hundred square metres. *With effect from* 16-6-75 *onwards* Rs. 40·35 (Rupees forty and paise thirty five only) per glue line per one hundred square metres.
	205	Plywood cases, other than tea chests—	
		(i) Panels of surface area of 5625 square cm. or less each.	Rs. 57·75 (Rupees fifty seven and paise seventy five only) per 100 square metres of such panels.
		(ii) Panels of surface area exceeding 5625 sqare cms. each.	Rs. 117·70 (Rupees one hundred seventeen and paise seventy only) per 100 square metres of such panels.
		Explanation.—(1) The rate under Sub-Serial No. 2205 is for 4 mm thickness of plywood panels. The rate shall be proportionately enhanced or reduced for other thicknesses.	
		(2) The drawback per 100 square metres of glue line prescribed in Sub-Serial No. 2204 shall be allowed in addition to the rates prescribed under Sub-Serial No. 2205.	
23		*Cork Manufactures including Crown Corks:*	
	2301	Cork manufactures including crown corks not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2302	Cork stoppers.	Rs. 110·70 (Rupees one hundred ten and paise seventy only) per quintal.
	2303	Cork Discs.	Rs. 107·00 (Rupees one hundred seven only) per quintal.
		Paper pulp, Paper, Paper Boards, Fibre Board, Other Boards of Wood pulp or Vegetable Fibre articles made thereof, printed matter, Books, Magazines :	
	2401	Paper pulp, paper, paper board, fibre board, other board of wood pulp or vegetable fibre, articles made thereof, printed matter, books, magazines not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2402	Playing cards—	
		(i) made out of art board.	Rs. 1·68 (Rupee one and paise sixty eight only) per kg.
		(ii) made out of pulp board.	Rs. 1·24 (Rupee one and paise twenty four only) per kg.
	2403	Vacant.	
	2404	Vacant.	
	2405	Vacant.	
	2406	Vacant.	
	2407	Articles not elsewhere specified made of blotting toilet, tissue (other than cigarette tissue), teleprinter, typewriting manifold bank bond, art paper, chrome paper, tub sized paper, cheque paper, stamp paper, cartidge paper and parchment where such paper, is	
		(i) of 40 to 45 grammes per square metre.	Re. 0·84 (Eighty four paise only) per kg.

1	2	3	4
		(ii) other than of 40 to 45 grammes per square metre.	Rs. 1·62 (Rupee one and paise sixty two only) per kg.
2408	Newspapers.		Nil.
2409	Articles not elsewhere specified made of printing and writing paper—		
		(i) of a substance exceeding 65 grammes per sq. metre.	Re. 0·84 (Eighty four paise only) per kg.
		(ii) of substance not exceeding 65 grammes per square metre excluding coloured varieties.	Re. 0·16 (Sixteen paise only) per kg.
		(iii) of a substance not exceeding 65 grammes per sq. metre coloured varieties.	Re. 0·84 (Eighty four paise only) per kg.
2410	Articles not elsewhere specified made of packing and wrapping paper.		Rs. 1·22 (Rupee one and paise twenty two only) per kg.
2411	Articles not elsewhere specified made of pulp board, grey, board duplex board and triplex board.		Rs. 1·24 (Rupee one and paise twenty four only) per kg.
2412	Articles not elsewhere specified made of coated board including art board, chrome board and board for playing cards.		Rs. 1·68 (Rupee one and paise sixty eight only) per kg.
2413	Articles not elsewhere specified made of straw board and mill board.		Re. 0·30 (Thirty paise only) per kg.
2414	Articles not elsewhere specified made of corrugated board.		Rs. 1·10 (Rupee one and paise ten only) per kg.
2415	Articles not elsewhere specified made of paper and paper board (other than cigarette tissue paper and paper/paper board specified in Sub-Serial Nos. 2407 to 2414 etc.)—		
		(i) if the article is made of paper.	Re. 0·76 (Seventy six paise only) per kg.
		(ii) if the article is made of board.	Rs. 1·60 (Rupee one and paise sixty only) per kg.
2416	Flat files fitted with clips.		As per rate specified against Sub-Serial Nos. 2411 on pulp board and 3618 on tin plate content.
2417	Paper cones made of packing and wrapping paper, pulp board, grey board, duplex and triplex boards.		Rs. 153·72 (Rupees one hundred fifty three and paise seventy two only) per quintal.
2418	Paper cones made of straw board and/or mill board.		Rs. 37·35 (Rupees thirty seven and paise thirty five only) per quintal.
2419	Books—		
		(a) where the printing paper (excluding covers) used is of a substance exceeding 65 gms.	Rs. 1·00 (Rupee one only) per kg.
		(b) where printing paper (excluding covers) used is of a substance of 65 gms. or less.	Re. 0·64 (Sixty four paise only) per kg.
2420	Periodicals in bound or flat folded sheets, other than newspapers.		Re. 0·80 (Eighty paise only) per kg.

1	2	3	4
	2421	Articles not elsewhere specified made of polythene coated paper.	Appropriate rate specified against Sub-Serial Nos. 2407 to 2415 above on paper content plus appropriate rate specified against Sub-Serial No. 1914 on polythene content.
	2422	Articles not elsewhere specified made of cigarette tissue paper.	Rs. 4·20 (Rupees four and paise twenty only) per kg. of cigarette tissue content in product.
	2423	Articles not elsewhere specified made of combination of the atricles specified at Sub-Serial Nos. 2403 to 2418 and 2421 to 2422 or of paper/paper board mentioned in these Sub-Serial Numbers.	Appropriate rates specified against the relevant sub-serial numbers in respect of each type of paper paper board content.
	2424	Paper or paper board used as packing materials.	At the appropriate rate specified against Sub-Serial Nos. 2407 to 2415.
	2425	Paper tubes, all sorts including resin impregnated paper tubes, with or without tin sheilds :—	
		(i) made from packing and wrapping paper.	At the appropriate rate specified against Sub-Serial No. 2 41 0.
		(ii) made from mill board and straw board.	At the appropriate rate specified aginst Sub-Serial No. 2413.
		(iii) made from grey board, duplex board, triplex board, and pulp board.	At the appropriate rate specified against Sub-Serial No. 2411.
25		*Synthetic and regenerated fibre and Textile yarn thread, twines, cords and ropes.*	
	2501	Synthetic and regenerated fibre and textile yarn, thread, twines, cords and ropes not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2502	(A) Yarn of above 21 BWS counts or above 14 n. f. counts, spun wholly out of either viscose rayon fibre or acetate fibre or polyester fibre or polyamide fibre or acrylic fibre or wool, or from a combination of two and not more than two of the above mentioned fibres, or a combination of any one of the above mentioned fibres with either cotton or silk (but excluding yarn spun out of fibres obtained from fibre wastes, yarn wastes, or fabric wastes, by garnetting or by any other process) :—	
		(a) Cellulosic fibre content	Rs. 1·80 (Rupee one and paise eighty only) per kg.
		(b) Polyester fibre content.	Rs. 43·15 (Rupees forty three and paise fifteen only) per kg.
		(c) Acrylic fibre content	Rs. 23·20 (Rupees twenty three and paise twenty only) per kg.
		(d) Polyamide fibre content	Rs. 17·90 (Rupees seventeen rrd paise ninety only) per kg.
		(e) Wool content—	
		(i) in the worsted yarn of weaving quality made from wool top.	Rs. 21·30 (Rupees twnety one and paise thirty only) per kg.

1	2	3	4
		(ii) in the worsted yarn of weaving quality not made from wool top.	Rs. 15·90 (Rupees fifteen and paise ninety only) per kg.
		(iii) in the worsted hosiery yarn and worsted hand knitting yarn made from wool top.	Rs. 18·60 (Rupees eighteen and paise sixty only) per kg.
		(iv) in the worsted hosiery yarn and worsted hand knitting yarn not made from wool top.	Rs. 13·20 (Rupees thirteen and paise twenty only) per kg.
		(f) Dye content if the yarn is dyed.	Re. 0·85 (Eighty five paise only) per kg.

Provided that :—

(i) the drawback at the above rates on account of fibre content and wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares, and if necessary produces proof to the satisfaction of the Collector that the synthetic fibres mentioned at (a) to (d) above contained in the export goods are duty paid virgin fibres (and not the fibres obtained from fibre wastes, yarn waste or fabric waste by garnetting or by any other processes); and the wool mentioned at (e) above is only imported duty paid wool.

(ii) no rebate of the duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944 ;

(iii) the drawback at the above rates on fibre content may not be allowed in respect of those fibres for which the declaration as aforesaid has not been made and proof as aforesaid had not been produced;

		(B) All wool worsted hand knitting yarn of 21 BWS or less counts—	
		(i) Wool content :—	
		(a) made : wool top.	Rs. 16·20 (Rupees sixteen and paise twenty only) per kg.
		(*b*) not made from wool top.	Rs. 10·80 (Rupees ten and paise eighty only) per kg...
		(ii) Dye content if the yarn is dyed.	Rs. 0·85 (Paise eighty five only) per kg. of yarn.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares and if necessary produces proof to the satisfaction of the Collector that the wool content in the export goods is imported duty paid wool and that the yarn is worsted.

		(C) All wool worsted yarn (excluding all wool worsted handknitting yarn) of 21 BWS or less counts—	
		(i) Wool content:—	
		(*a*) made from wool top	Rs. 5·40 (Rupees five and paise forty only) per kg.
		(*b*) not made from wool top.	Nil
		(ii) Dye conent if the yarn is dyed.	Re. 0·85 (Eighty five paise only) per kg. of the yarn.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares, and if necessary produces proof to the satisfaction of the Collector that the yarn is worsted yarn.

		(D) Dyed yarn spun out of fibres containing synthetic fibres and/or wool and obtained from fibre wastes, yarn wastes, or fabric wastes by garnetting or by any other process.	Re. 0·85 (Eighty five paise only) per kg. of the yarn.

1	2	3		4
	2503	Thread, twine, cord and rope made out of spun yarn containing cotton, silk, wool and man made fibres but not containing jute—		
		(A) Yarn content :—		
		(I) Content of yarn spun wholly out of synthetic staple fibre of cellulosic origin or out of synthetic staple fibre of cellulosic origin and cotton provided that the cotton content of yarn does not exceed 10% of its weight—		
		of or more n.f. count	but less than n.f. count	
		(a) 84 n.f.	..	Rs. 4·18 (Rupees four and paise eighteen only) per kg.
		(b) 69 n. f.	84 n. f.	Rs. 3·35 (Rupees three and paise thirty five only) per kg.
		(c) 51 n. f.	69 n. f.	Rs. 2·92 (Rupees two and paise ninety two only) per kg.
		(d) 40 n.f.	51 n.f.	Rs. 2·50 (Rupees two and paise fifty only) per kg.
		(e) 34 n. f.	40 n. f.	Rs. 1·67 (Rupee one and paise sixty seven only) per kg.
		(f) 29 n. f.	34 n. f.	Rs. 1·50 (Rupee one and paise fifty only) per kg.
		(g) 22 n. f.	29 n. f.	Re. 0·68 (Sixtyy eight paise only) per kg.
		(h) 14 n. f.	22 n. f.	Re. 0·30 (Thirty paise only) per kg.
		(i) ..	14 n. f.	Re. 0·16 (Sixteen paise only) per kg.
		(II) Content of yarn spun out of synthetic staple fibre of cellulosic origin and wool and/or silk provided the wool and/or silk content of the yarn does not exceed 10% of its weight.		Rs. 12·55 (Rupees twelve and paise fifty five only) per kg.
		(III) Content of yarn spun wholly out of synthetic polyester or polyamide staple fibres or partly out of staple fibres aforesaid and partly out of acrylic fibre/cellulosic staple fibre/ wool/cotton/silk provided the wool and/or cotton and/or silk content if any does not exceed 10% of its weight and if the non-cellulosic (polyester / polyamide) fibre content of it is—		
		(a) 50% or more.		Rs. 25·10 (Rupees twenty five and paise ten only) per kg.
		(b) less than 50% but not less than 25%.		Rs. 20·03 (Rupees twenty and paise three only) per kg.
		(c) less than 25% but more than 10%.		Rs. 16·72 (Rupees sixteen and paise seventy two only) per kg.
		(d) 10% or less.		Rs. 12·55 (Rupees twelve and paise fifty five only) per kg.

1	2	3	4
	(IV) Content of yarn spun either wholly out of acrylic fibre or partly of such acrylic fibre and partly of cotton and/or silk and/or wool provided the cotton silk/wool content is not more than 10% of its weight—		
	(a) worsted handknitting yarn.		Rs. 11·70 (Rupees eleven and paise seventy only) per kg.
	(b) worsted, other than handknitting yarn—		
	(1) of 40 n.f. counts and above		Rs. 23·42 (Rupees twenty three and paise forty two only) per kg.
	(2) of above 20 n.f. counts but below 40 n.f. counts.		Rs. 13·38 (Rupees thirteen and paise thirty eight only) per kg
	(3) of 20 n.f. counts and below		Rs. 6·70 (Rupees six and paise seventy only) per kg.
	(c) other than worsted :—		
	(i) of 40 n.f. counts and above		Rs. 13·38 (Rupees thirteen and paise thirty eight only) per kg.
	(ii) of above 20 n.f. counts but below 40 n.f. counts.		Rs. 8·36 (Rupees eight and paise thirty six only) per kg.
	(iii) of 20 n.f. counts and below.		Rs. 5·02 (Rupees five and paise two only) per kg.
	(V) Content of yarns containing not less than 90% by weight of wool calculated on the total fibre content of yarn—		
	(a) content of worsted hand knitting grey yarn.		Rs. 3·30 (Rupees three and paise thirty only) per kg.
	(b) content of worsted hand-knitting yarn processed and/or dyed or spun from dyed wool.		Rs. 11·20 (Rupees eleven and paise twenty only) per kg.
	(c) content of worsted yarn other than hand-knitting—		
	(i) of 48 BWS counts and above.		Rs. 15·74 (Rupees fifteen and paise seventy four only) per kg.
	(ii) of above 24 BWS counts but below 48 BWS counts.		Rs. 6·00 (Rupees six only) per per kg.
	(iii) of 24 BWS counts and below		Rs. 3·30 (Rupees three and paise thirty only) per kg.
	(d) Content of woollen yarn (Containing not more than 5% virgin wool), commonly known as shoody or woollen yarns made from tannery or stripped wool.		Rs. 1·00 (Rupee one only) per kg.
	(e) Content of woollen yarn other than that falling under (a), (b), (c) and (d) above.		Rs. 2·60 (Rupees two and paise sixty only) per kg.
	(VI) Content of yarns spun from two or more of the following fibres viz. cotton, silk, wool and synthetic man made fibres (but excluding jute) provided the weight of each of the fibres specified above is less than 90%—		
	(a) Vacant .		

1	2	3	4
		(b) (1) Content of yarn containing partly synthetic staple fibre of non-cellulosic origin and partly wool, the content of such synthetic staple fibre being more than 50 per cent by weight of such yarn if non-cellulosic fibre content of it is—	
		(i) 60% or more	Rs. 25·10 (Rupees twenty five and paise ten only) per kg.
		(ii) More than 56% but less than 60%	Rs. 20·08 (Rupees twenty and paise eight only) per kg.
		(iii) More than 50% but not more than 56%—	
		(a) if the count of yarn is 34 n.f. or less.	Rs. 14·64 (Rupees fourteen and paise sixty four only) per kg.
		(b) if the count of yarn is above 34 n.f.	Rs. 16·72 (Rupees sixteen and paise seventy two only) per kg.
		(2) Content of yarn partly of synthetic staple fibre of non-cellulosic origin and partly of any other fibre or fibres (excluding wool), if non-cellulosic fibre content by weight of such yarn is—	
		(i) 50% or more	Rs. 25·10 (Rupees twenty five and paise ten only) per kg.
		(ii) Less than 50% but not less than 25%	Rs. 20·08 (Rupees twenty and paise eight only) per kg.
		(iii) Less than 25% but more than 10%.	Rs. 16·72 (Rupees sixteen and paise seventy two only) per kg.
		(iv) 10% or less.	Rs. 12.55 (Rupees twelve and paise fifty five only) per kg.
		(c) Content of yarn containing partly xsynthetic fibre or cellulosic origin and/or cotton and partly wool, provided that the content of synthetic staple fibre of cellulosic origin and/or cotton is more than 50% by weight of such yarn if the wool fibre content of it is—	
		(i) 40% or more but less than 50% and the count of yarn is 34 n.f. or less.	Rs. 11·30 (Rupees eleven and paise thirty only) per kg.
		(ii) 40% or more but less than 50% and the count of yarn is above 34 n.f.	Rs. 13·38 (Rupees thirteen and paise thirty eight only) per kg.
		(iii) 20% or more but less than 40% and the count of yarn is 34 n.f. or less.	Rs. 7·95 (Rupees seven and paise ninety five only) per kg.
		(iv) 20% or more but less than 40% and the count of yarn is above 34 n.f.	Rs. 10·04 (Rupees ten and paise four only) per kg.
		(v) less than 20% and the count of yarn is 34 n.f. or less.	Rs. 4·60 (Rupees four and paise sixty only) per kg.
		(vi) less than 20% and the count of yarn is above 34 n.f.	Rs. 6·70 (Rupees six & paise seventy only) per kg.
		(d) Content of yarn containing partly wool and/or acrylic fibre and partly any other fibre or fibres provided that the wool and/or acrylic fibre	

1	2	3	4
		content is more than 50% by weight of such yarn—	
		(i) worsted handknitting grey yarn.	Rs. 5·33 (Rupees five and paise thirty three only) per kg.
		(ii) worsted hand knitting processed and/or dyed yarn.	Rs. 17·88 (Rupees seventeen and paise eighty eight only) per kg.
		(iii) Worsted yarn other than hand-knitting yarn—	
		(1) of 40 n.f. counts and above.	Rs. 25·10 (Rupees twenty five and paise ten only) per kg.
		(2) of above 20 n.f. counts but below 40 n.f. counts.	Rs. 9·62 (Rupees nine and paise sixty two only) per kg.
		(3) of 20 n.f. counts and below	Rs. 5·33 (Rupees five and paise thirty three only) per kg.
		(iv) Yarn (containing not less than 60% of wool and not more than 5% of virgin wool) commonly known as shoody.	Rs. 1·67 (Rupee one and paise sixty seven only) per kg.
		(v) Yarn other than worsted yarn or shoody yarn.	Rs. 4·18 (Rupees four and paise eighteen only) per kg.
		(e) Content of yarn made out of synthetic staple fibre of cellulosic origin and cotton provided content of each of the above fibres is less than 90%	
		Of or more count But less than count	
		(i) 84 n.f. ..	Rs. 4·18 (Rupees four and paise eighteen only) per kg.
		(ii) 69 n.f. 84 n.f.	Rs. 3·35 (Rupees three and paise thirty five only) per kg.
		(iii) 51 n.f. 69 n.f.	Rs. 2·92 (Rupees two and paise ninety two only) per kg.
		(iv) 40 n.f. 51 n.f.	Rs. 2·50 (Rupees two and paise fifty only) per kg.
		(v) 34 n.f. 40 n.f.	Rs. 1·67 (Rupee one and paise sixty seven only) per kg.
		(vi) 29 n.f. 34 n.f.	Rs. 1·50 (Rupee one and paise fifty only) per kg.
		(vii) 22 n.f. 29 n.f.	Rs. 0·68 (Paise sixty eight only) per kg.
		(viii) 14 n.f. 22 n.f.	Rs. 30 (Rupeest hirty only) per kg.
		(ix) .. 14 n.f.	Rs. 0·16 (Paise sixteen only) per kg.
		(f) Content of yarn containing partly silk fibre and partly any other fibre or fibres provided that the silk fibre content is more than 50% by weight of such yarn—	
		(i) of 34 n.f. counts or less.	Rs. 23·00 (Rupees twenty three only) per kg.
		(ii) of more than 34 n.f. counts.	Rs. 25·10 (Rupees twenty five and paise ten only) per kg.

Provided that he drawback on account of yarn content specified at (A) above may be admissible if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that yarn used is duty paid and specifies the sub-serial No., item and sub-items under which the drawback is claimed, giving the fibre compositions in the yarn, and if the Collector is satisfied that the yarn fix falls under that sub-serial No., item and sub-item. Otherwise, the drawback at other appropriate rate, decided on the basis of evidence available may be granted.

1	2	3	4
		(B) Dyes content of goods made out of yarns specified at sub-item (A) above if they contain an aggregate of 50% or more of wool and/or synthetic man made fibre and where the goods are yarn dyed or piece dyed.	Rs. 0·90 (Paise ninety only) per kg. of the spun yarn content of the goods.
		(C)(i) Fibre content in goods made out of yarns of above 21 BWS counts/above 14 n.f. counts.—	
		(a) Polyester fibre.	Rs. 45·00 (Rupees forty five only) per kg.
		(b) Polyamide fibre.	Rs. 18·65 (Rupees eighteen and paise sixty five only) per kg.
		(c) Cellulosic fibre.	Rs. 1·85 (Rupee one and paise eighty five only) per kg.
		(d) Acrylic fibre.	Rs. 24·15 (Rupees twenty four and paise fifteen only) per kg.
		(e) Wool content in worsted yarn of weaving quality.	Rs. 22·20 (Rupees twenty two and paise twenty only) per kg.
		(f) Wool content in worsted yarn of hosiery quality and worsted hand knitting woollen yarn (knitting wool).	Rs. 19·40 (Rupees nineteen and paise forty only) per kg.
		(g) Cotton content in yarn—	
		(i) of above 34 n.f. or more but less than 51 n.f. count.	Rs. 0·82 (Paise eighty two only) per kg.
		(ii) of and above 51 n.f. but less than 69 n.f. counts.	Rs. 1·87 (Rupee one and paise eighty seven only) per kg.
		(iii) of and above 69 n.f. counts.	Rs. 3·18 (Rupees three and paise eighteen only) per kg.

Provided that (1) the drawback at the above rates on account of fibre content and wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declars and, if necessary, produces proof to the satisfaction of the Collector that—

(a) the synthetic fibres mentioned at items(a) to (d) above contained in export goods are duty paid virgin, fibres (and not the fibres obtained from fibre wastes, yarn wastes, or fabric wastes by garnetting or by any other process); and

() the wool mentioned at item (e) and (f) above is only imported duty paid wool and that the yarn is worsted.

(c) No rebate of the duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

(2) The drawback at the above rates on fibre content other than (g) above may not be allowed in respect of those fibres for which the declaration as aforesaid has not been made and proof as aforesaid has not been produced.

		(ii) Wool content in goods made out of all wool worsted hand knitting yarn of 21 BWS or less counts.	Rs. 16·80 (Rupees sixteen and paise eighty only) per kg.

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares and if necessary, produces proof to the satisfaction of the Collector that the Wool content in the export goods is imported duty paid wool and that the yarn is worsted

		(iii) Wool content in goods made out of all wool worsted yarn (excluding hand knitting yarn) of 21 BWS or less counts.	Rs. 5·60 (Rupees five and paise sixty only) per kg.

1	2	3	4
		Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible if the manufacturer/exporter at the time of Shipment declares and if necessary, produces proof to the satisfaction of the Collector that the yarn is worsted yarn.	
2504	(A) Cotton yarn—		
	(a) Processed—		
	(i) if the yarn is of and above 34 n.f. but less than 51 n.f. counts.		Re. 0·82 (Paise eighty two only) per kg.
	(ii) if the yarn is of and above 51 n.f. but less than 69 n.f. counts.		Rs. 1·87 (Rupee one and paise eighty seven only) per kg.
	(iii) if the yarn is of and above 69 n.f. counts.		Rs. 3·18 (Rupees three and paise eighteen only) per kg.
	(b) Grey (Unprocessed) —		
	(i) if the yarn is of and above 34 n.f. but less than 51 n.f. counts.		Re. 0·79 (Paise seventy nine only) per kg.
	(ii) if the yarn is of and above 51 n.f. but less than 69 n.f. counts.		Rs. 1·80 (Rupee one and paise eighty only) per kg.
	(iii) if the yarn is of and above 69 n.f. counts		Rs. 3·06 (Rupees three and paise six only) per kg.
	(B) Cotton Thread—		
	(a) Processed—		
	(i) where all strands of yarns used in the threads are of and above 34 n.f. but less than 51 n.f. counts.		Re. 0·82 (Eighty two paise only) per kg.
	(ii) where all strands of yarns used in the thread are of and above 51 n.f. but less than 69 n.f. counts.		Rs. 1·87 (Rupee one and paise eighty seven only) per kg.
	(iii) where all strands of yarns used in the thread are of and above 69 n.f. counts.		Rs. 3·18 (Rupees three and paise eighteen only) per kg.
	(b) Grey (unprocessed)—		
	(i) where all strands of yarns used in the thread are of and above 34 n.f. but less than 51 n.f. counts.		Re. 0·79 (Seventy nine paise only) per kg.
	(ii) where all strands of yarns used in the thread are of and above 51 n.f. but less than 69 n.f. counts.		Rs. 1·80 (Rupee one and paise eighty only) per kg.
	(iii) where all strands of yarns used in the thread are of and above 69 n.f. counts.		Rs. 3·06 (Rupees three and paise six only) per kg.
2505	Vacant.		
2506	(a) Jute yarn, twist twine thread and rope containing not less than 90% by weight of jute (including Bimlipatam Jute or mesta fibre) when exported as such or when used for packing other export goods.		Rs. 600/- (Rupees six hundred only) per tonne plus appropriate rate fixed under Sub-item (b) below.
	Provided that when the goods are exported as such the drawback at the above rate shall apply if the exporter declares on the shipping bill and also produces proof to the satisfaction of the Collector that the goods are duty paid and that no rebate under rule 12 of the Central Excise Rules, 1944 has been claimed in respect of such consignment. Provided also that when the jute goods are used for packing of other export goods, the procedure prescribed under rule 191-A and rule 191-B of the Central Excise Rules has not been followed in respect on such jute goods.		
	(b) Refined diesel oil or jute batching oil content in jute product.		

1	2	3	4
		(i) Hessians, D. W. Tarpaulins, D.W. Jute canvas and jute yarn/jute twist/jute twine of the types used in Hessian, D.W. Tarpaulin and D.W. canvas.	Re. 0·65 (Paise sixty five only) per tonne of product.
		(ii) Jute yarn, jute twist and jute twine of the types other than those specified in (i) above.	Re. 0·15(Fifteen paise only) per tonne of product.
		(iii) Jute sackings and jute webbing.	Re. 0·87(Eighty seven paise only) per tonne of the product.
		(iv) Carpet backing cloth having width of 2·64 metres and more.	Re. 0·15(Fifteen paise only) per tonne of the product.
		(v) Narrow carpet backing cloth having width of less than 2·64 metres.	Re. 0·48 (Forty eight paise only) per tonne of the product.
2507	Vacant.		
2508	(a) Sisal Ropes manufactured in accordance with BSS 2052/1953.		Rs. 1241·70 (Rupees one thousand two hundred forty one and paise seventy only) per tonne.
	Provided that the above rate shall apply only if the manufacturer certifies on the shipping bill at the time of export and also produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that such sisal ropes have been wholly manufactured from grades 1, 3-L, 2, 3, and UG of sisal fibre.		
	(b) Manila Ropes manufactured in accordance with BSS 2052/1953.		Rs. 2570·20 (Rupees two thousand five hundred seventy and paise twenty only) per tonne.
	Provided that the above rate shall apply only if the manufacturer certifies on the shipping bill at the time of export and also produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs that such manila ropes have been wholly manufactured from grades S1, S-2, S-3, G-1 and J. K. varieties of manila hemp fibres.		
	(c) All other ropes, lines cordages, twines and slings made wholly or partly from sisal fibre and/or manila hemp fibre.		
		(i) Sisal fibre content.	Rs. 1241·70 (Rupees one thousand two hundred forty one and paise seventy only) per tonne.
		(ii) Manila hemp fibre content.	Rs. 2323·15 (Rupees two thousand three hundred twenty three and paise fifteen only) per tonne.

NOTE.—The rates of drawback under Sub-Serial No. 2508 shall remain in force till 30-9-75

2509	(a) Viscose filament yarn.	Rs. 1·50 (Rupee one and paise fifty only) per kg.
	(b) Viscose tyre yarn.	Rs. 1·95 (Rupee one and paise ninety five only) per kg.
2510	Vacant.	
2511	Polyamide Filament yarn.	Rs. 10·60 (Rupees ten and paise sixty only) per kg.
2512	Vacant.	

Provided that the rates of drawback prescribed under sub-serial No. 2509 and 2511 may also apply to exports of fabric made out of above filament yarns and exported under bond under rule 13 or 14 of the Central Excise Rules, 1944 without payment of excise duty on such filament yarn.

1	2	3	4
	2513	(1) Thread, twines, cords (excluding parachute cords) and ropes made wholly out of synthetic man made filament yarn.	
		(A) Polyester filament yarn content—	
		(i) below 30 deniers.	Rs. 100·00 (Rupees one hundred only) per kg.
		(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers.	Rs. 78·15 (Rupees seventy eight and paise fifteen only) per kg.
		(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers.	Rs. 66·45 (Rupees sixty six and paise forty five only) per kg.
		(iv) 100 deniers and abovebut not above 750 deniers.	Rs. 57.45 (Rupees fifty seven and paise forty five only) per kg.
		(v) Above 750 deniers.	Rs. 15.00 (Rupees fifteen only) per kg.
		(B) Polyamide filament yarn content—	
		(i) Below 35 deniers.	Rs. 69.40 (Rupees sixty nine and paise forty only) per kg.
		(ii) 35 deniers and above but less than 80 deniers.	Rs. 63·30 (Rupees sixty three and paise thirty only) per kg.
		(iii) 80 deniers and above but less than 110 deniers.	Rs. 55·90 (Rupees fifty five and paise ninety only) per kg.
		(iv) 110 deniers and above but less than150 deniers.	Rs. 48·40 (Rupees forty eight and paise forty only) per kg.
		(v) 150 deniers and above but not above 750 deniers.	Rs. 30·20 (Rupees thirty and paise twenty only) per kg.
		(vi) above 750 deniers.	Rs. 20·15 (Rupees twenty and paise fifteen only) per kg.
		(C) Viscose filament yarn content—	
		(i) below 75 deniers.	Rs. 21·45 (Rupees twenty one and paise forty five only) per kg.
		(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers.	Rs. 14·45 (Rupees fourteen and paise forty five only) per kg.
		(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers.	Rs. 10·75 (Rupees ten and paise seventy five only) per kg.
		(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers.	Rs. 9·20 (Rupees nine and paise twenty only) per kg.
		(v) 150 deniers and above but below 350 deniers.	Rs. 8·10 (Rupees eight and paise ten only) per kg.
		(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers.	Rs. 5·90 (Rupees five and paise ninety only) per kg.
		(vii) Above 1100 deniers.	Rs. 4·00(Rupees four only) per kg.
		(D) Acetate filament yarn content—	
		(i) below 75 deniers.	Rs. 14·50 (Rupees fourteen and paise fifty only) per kg.
		(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers.	Rs. 10·90 (Rupees ten and paise ninety only) per kg.
		(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers.	Rs. 8·10 (Rupees eight and paise ten only) per kg.
		(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers.	Rs. 5·60 (Rupees five and paise sixty only) per kg.
		(v) 150 deniers and above but below 350 deniers.	Rs. 5·20 (Rupees five and paise twenty only) per kg.
		(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers.	Rs. 4·25 (Rupees four and paise twenty five only) per kg.
		(vii) Above 1100 deniers.	Rs. 2·55 (Rupees two and paise fifty five only) per kg.
		(2) Texured yarn content.	The rate of filament yarns as specified under sub-serial No. 2513(1)(A) to (D) above as the case may be plus Rs. 10/- (Rupees ten only) per kg.

1	2	3	4
		Provided that the rates specified above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty on the yarn has been paid at the appropriate rates and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.	
26		*Textiles Fabrics and Hosiery* :—	
	2601	Textile fabrics and hosiery not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2602	Processed cotton fabrics containing more than 90% of cotton.	(a) Re. 0·82 (Paise eighty two only) per kg. of content of cotton in cotton yarn of oounts 34 n.f. and above but less than 51 n.f. counts. (b) Rs. 1·87 (Rupee one and paise eighty seven only) per kg. of content of cotton in cotton yarn of count of 51 n.f. and above but less than 69 n.f. counts. (c) Rs. 3·18 (Rupees three and paise eighteen only) per kg. ofcontent of cotton in cotton yarn of and above 69 n.f. counts.
	2603	Unprocessed cotton fabrics containing more than 90% of cotton.	(a) Re. 0·79 (Paise seventy nine only) per kg. of content of cotton in cotton yarn of counts 24 n.f. and above but less than 51 n.f. counts. (b) Rs. 1·80 (Rupee one and paise eighty only) per kg. of content of cotton in cotton yarn of counts 51 n.f. and above but less than 69 n.f. counts. (c) Rs. 3·06 (Rupees three and paise six ony) per kg. of content of cotton in cotton yarn of and above 69 n.f. counts.
	2604	Vacant.	
	2605	Vacant.	
	2606	Fabrics and hosiery made wholly out of spun yarns containing cotton, silk, wool and man made fibres but not containing jute.	Rates for yarn contents, dye content, and fibre content as specified against sub-serial No. 2503 subject to the conditions mentioned therein.
		Provided that no drawback on account of yarn content shall be admissible in respect of fabrics using yarns specified at sub-serial No. 2503(A) VI (e).	
	2607	Hosiery made of cotton yarn (including knitted fabrics of cotton yarn).	
		(a) Grey	92·5% (Ninety two point five per cent only) of the appropriate rate of drawback specified against sub-serial No. 2628.
		(b) Other than grey.	The appropriate rate specified against sub-serial No. 2628.

1	2	3	4
2608	Vacant.		
2609	Vacant.		
2610	Vacant.		
2611	Vacant.		
2612	Vacant.		
2613	Vacant.		
2614	Vacant.		
2615	Vacant.		
2616	Vacant.		
2617	Vacant.		
2618	Vacant.		
2619	Vacant.		
2620	Fabrics and hosiery made of wholly out of synthetic man made filament yarn and/or Texured yarn.	Rate of yarn contents as specified at sub-serial No. 2513, subject to the conditions mentioned therein.	
2621	Viscose tyre cord fabrics/warp and sheets.	Rs. 1·95 (Rupee one and paise ninety five only) per kg.	
2622	(a) Jute fabrics containing not less than 50% by weight of jute (including Bimlipatam Jute or mesta fibre) when exported as such or when used for packing other export goods.	Rs. 6000·00 (Rupees six hundred only) per tonne plus appropriate rates fixed under sub-item (b) below on refined diesel oil or jute batching oil content.	

1. Provided that when the goods are exported as such, the drawback at the above rate shall apply if the exporter declares on the Shipping Bill and also produces proof to the satisfaction of the Collector that the goods are duty paid and that no rebate under rules 12 of the Central Excise Rules, 1944 has been claimed in respect of such consignment.

2. Provided also that when the jute goods are used for packing for other export goods, the procedure prescribed under rule 191—A and rule 191—B of the Central Excise Rules has not been followed in respect of such jutes goods.

	(b) Refined diesel oil or jute patchring oil content in jute product.		
	(i) Hessians, D. W. Tarpauline D. W. jute Canvas and jute yarn/jute twist/ jute twine of the types used in Hessian, D. W. Tarpaulin and D. W. Canvas.	Rs. 0·65 (paise sixty five only) per tonne of the product.	
	(ii) Jute yarn, jute twist and jute twine of the types other than those specified in (i) above.	Rs. 0·15 (paise fifteen only) per tonne of the product.	
	(iii) Jute sackings and jute webbing.	Rs. 0·87 (paise eighty seven only) per tonne of the product.	
	(iv) Carpet backing cloth having width of 2·64 metres and more.	Rs. 0·15 (paise fifteen only) per tonne of the product.	
	(v) Narrow Carpet packing cloth having width of less than 2·64 metres.	Rs. 0·48 (paise forty eight only) per tonne of the product.	
2623	Dotton handloom fabrics nemely the following :—		
	(i) Real Madras handkerchief with art silk embelishment.	1% (one per cent only) of the f. o. b. value or Rs. 0·51 (paise fifty one only) per kg. whichever is more.	
	(ii) Handloom lungies including handloom lungies containing Radiant Yarn.	2·4% (Two point four per cent only) of the f. o. b. value	

1	2	3	4
		(iii) All other handloom fabric which are either piece dyed and/or made from coloured yarns and/or printed (but excluding such fabrics which contain coloured yarns only in border and not in the body of the fabrics and/or which are only printed in borders and not in in the body of fabrics.).	Rs. 0·51 (paise fifty one only) per Kg.
	2624	Vacant.	
	2625	Textile fabrics coated or laminated with preparation of polyvinyl chloride compound.	
		(1) Polyvinyl chloride compound content.	Rs. 177·00 (Rupees one hundred and seventy seven only) per quintal.
		(2) Base fabric content (excluding powerloom and handloom fabrics)—	
		(i) When the base fabric is cotton fabric of the following categories—	
		(a) Coarse grey/bleached/dyed fabric.	Rs. 5·80 (Rupees five and paise eighty only) per hundred square metres.
		(b) Medium B grey/bleached dyed fabric.	Rs. 10·40 (Rupees ten and paise forty only) per hundred square metres.
		(c) Medium 'A' grey fabric.	Rs. 16·00 (Rupees sixteen only) per square metres.
		(d) Medium 'A' bleached or dyed fabric.	Rs. 18·50 (Rupees eighty and paise fifty only) per hundred square metres.
		(ii) Where the base fabric is viscose rayon staple fibre fabric.	The rates fixed under Sub-serial No. 2503 shall apply.
		Provided that :—	
		(i) where the exporter does not claim rebate of duty of excise on base cotton fabric (other than powerloom fabrics) under Central Excise Rules, 1944 or where such textile fabric coated or laminated with preparation of polyvinyl chloride compound have not been manufactured in accordance with the procedures prescribed under rule 96D or 191—A or 191-B of the said Rules, the above rate of drawback shall apply *in toto*.	
		(ii) where the exporter has claimed rebate of duty of excise on the base cotton fabric (excluding handloom or powerloom fabrics) or availed of the procedures mentioned above in respect of base cotton fabric (excluding cotton handloom/powerloom fabrics or polyvinyl chloride sheeting, the rate of drawback shall apply subject to the modification that the rate specified in respect of base fabric content and or polyvinyl chloride content as the case may be, shall not apply.	
	2626	Fabrics and Hosiery partly made out of synthetic man made filament yarn and/or texured yarn and partly out of spun yarn containing cotton, silk, wool and man made fabrics but not containing jute where such yarns are used as warp or weft or both or as embalishment decoration yarn.	Rates for yarn contents, fibre contents and dyes content specified against sub-serial No. 2503 and/or 2513 as the case may be subject to the conditions mentioned therein provided that no drawback of yarn content be admissible in respect of fabrics using yarn as specified as sub-serial No. 2503 (a) (vi) (e).
	2627	Vacant.	

1	2	3	4
	2628	Contton fabrics falling under item No. 191— of the first schedule to the Central Excises and salt Act, 1944 and manufactured on powerlooms.	
		(i) of 84 or more counts of yarn content.	Rs. 7·20 (Rupees seven and paise twenty only) per Kg.
		(ii) of 69 or mjre counts but less than 84 counts of yarn content.	Rs. 6·83 (Rupees six and paise eighty three only) per Kg.
		(iii) of 51 or more counts but less than 69 counts of yarn content.	Rs. 5·25 (Rupees five and paise twenty five only) per Kg.
		(iv) of 40 or more counts but less than 51 counts of yarn content.	Rs. 3·88 (Rupees three and paise eighty eight only) per Kg.
		(v) of 34 or more counts but less than 40 counts of yarn content.	Rs. 2·16 (Rupees two and paise sixteen only) per Kg.
		(vi) of 29 or more counts but less than 34 counts of yarn content.	Rs. 1·18 (Rupees one and paise eighteen only) per Kg.
		(vii) of 22 or more counts but less than 29 counts of yarn content.	Rs. 0·64 (paise sixty four only) per Kg.
		(viii) of 14 or more counts but less than 22 counts of yarn content.	Rs. 0·21 (paise twenty one only) per Kg.
		(ix) of less than 14 counts of yarn content.	Rs. 0·10 (paise ten only) per Kg.
		Provided that :— (i) where the fabric contains 2 or more yarns of different counts and or falling under different count groups mentioned above, the drawback shall be allowed on the basis of the weight of each catagory of yarn at the rate applicable to the count groups aforesaid. (ii) the count of yarn shall be size of grey unsized yarn expressed as the number of 1000 metres hanks per one half Kg. (iii) the manufacturer/exporter declares in the shipping bill that Central Excise duty on yarn used in the manufacture of cotton fabrics has been paid.	
27		*Made up articles, Garments, Chiefly made from textile materials.*	
	2701	Made up articles, garments chiefly made from textile materials not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2702	Readymade garments made of cotton handloom fabrics.	1·6% (One point six per cent only) of the f.o.b. value.
	2703	Made up articles of cotton handloom fabrics falling under sub-serial No. 2623 (*ii*) and 2623 (iii).	Rs. 0·51 (Paise fifty one only) per kg.
	2704	Vacant.	
	2705	Ribbons inked or uninked used on typewriters and similar office equipment.	Rs. 0·90 (Paise ninty only) per sq. metre of ribbon made of cotton fabrics of superfine category.
	2706	Knitwear and other made up articles made wholly out of spun yarns containing cotton, silk, wool and man made fibres but not containing jute.	Rate for yarn contents, dye content and fibre content as specified against sub-serial No. 2503 subject to conditions mentioned therein.

Provided that no drawback on account of yarn content shall be admissible in respect of made up articles of fabrics using yarn specified at sub-serial No. 2503 (A) (VI) (c).

1	2	3	4
2707	Vacant.		
2708	Vacant.		
2709	Vacant.		
2710	Vacant.		
2711	Vacant.		
2712	Vacant.		
2713	Vacant.		
2714	Vacant.		
2715	Vacant.		
2716	Vacant.		
2718	Vacant.		
2719	Vacant.		
2720	Knitwear and other made up articles made partly out of synthetic man made filament yarn and/or Textured yarn and partly out of spun yarns containing cotton, silk, wool and man made fibres but not containing jute, where such yarns are used as warp or weft or both as embellishment/decoratons.	Rates for yarn content fibre content and dye content as specified against sub-serial No. 2503 and/or 2513 as the case may be, subject to the conditions mentioned therein provided that no drawback on account of yeiu contant be admissible in respect of made up articles of fabrics using yarn specified at sub-serial No. 2503 (A) (vi) (e).	
2721	Knitwear and other made up articles (excluding fishnets) manufactured wholly out of synthetic man made flament yarn and/or Textured yarn.	Rates for yarn content as specified against sub-serial No. 2513 subject to the cer ditions mentioned therein.	
2722	(a) Jute manufactures not elsewhere specified containing not less than 50 by weight of jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) when exported as such or when used for packing other goods.	Rs. 600.00 (Rupees six hundred only) per torre plus appropriate rate fixed under subitem (b) below on refined diesel content.	

(1) Provided that when the goods are exported as much the drawback at the above rate shall apply if the exporter declares on the shipping bill and also produces proof to the satisfication of the Collector that the goods are duly paid and that no rebate under rule 12 of the Central Excise Rules, 1944 has been claimed in respect of such consignment.

(2) Provided also that when the jute goods are used for packing of other export goods the procedure prescribed under rule 51-B of the Central Excise Rules, has not been followed in respect of such jute goods.

	(b) Refined diesel oil or Jute batching oil content in jute product :—	
	(i) Hassins, D.W. Tarpautins, D.W. Jute canvas and jute yarn/jute twist/jute twine of the types used in Hassiana, D.W. Tarpaulin and D.W. Canvas.	Rs. 0·65 (Paise sixty five only) per tonne of the product.
	(ii) Jute yarn, jute twist and jute twine of the types other than those specified in (i) above.	Rs. 0·15 (Paise fifteen only) per tonne of the product.
	(iii) Jute sackings and jute webbing.	Rs. 0·87 (Paise eighty seven only) per tonne of the product.
	(iv) Carpet backing cloth having width of 2·64 Metres and more.	Rs. 0·15 (Paise fifteen only) per tonne of the product.

1	2	3	4
		(v) Narrow carpet backing cloth having width of less than 2·64 Metres.	Rs. 0·48 (Paise forty eight only) per tonne of the product.
2723	Coir products containing jute and sisal.		Appropriate rate under sub-serial No. 2508 (c) (i) in so far as sisal fibre content is concerned plus appropriate rate for jute content, if any as specified under sub-serial No. 2622.
2724	Gas mentles—		*Rates per* 100 *gross.*
		(i) 200 CP	Rs. 177·35 (Rupees one hundred seventy seven and paise thirty five only).
		(ii) 300 CP	Rs. 179·25 (Rupees one hundred seventy nine and paise twenty five only).
		(iii) 400 CP	Rs. 201·00 (Rupees two hundred and one only).
		(iv) 500 CP	Rs. 214·75 (Rupees two hundred forteen and paise seventy five only).
		(v) 600 CP	Rs. 225·70 (Rupees two hundred twenty five and paise seventy only).
		(vi) 800 CP	Rs. 234·85 (Rupees two hundred thirty four and paise eighty five only).
		(vii) 1000 CP	Rs. 234·85 (Rupees two hundred thirty four and paise eighty five only).
2725	Vacant.		
2726	Jute goods which are lined/laminated/ extrusion coated with paper or polythene or both—		
		(i) Jute and polythene content.	The appropriate rate fixed under sub-serial No. 2622 in respect of jute content plus the appropriate rate fixed under sub-serial No. 1914 for articles made of polyethylen in respect of polyethylenee content if any.
		(ii) Paper content.	Appropriate rate fixed under Serial No. 24.
2727	Cotton waterproof tarpaulins—		
		(i) where the export f.o.b. value of the tarpaulins does not exceed Rs. 4·20 per Sq. Metre.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value.
		(ii) where the export f.o.b. value of the tarpaulins exceed Rs. 4·20 per Sq. Metre.	7·5%(Seven point five per cent only) of the f.o.b. value.

Provided that the manufacturer/exporter has not availed of the procedure prescribed under rule 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 in respect of the manufacture of cotton waterproof tarpaulins.

1	2	3	4
	2728	Rayon tapes or Rayon bands of all sizes made from rayon filament yarn.	Rs. 2·80 (Rupees two and paise eighty only) per kg.
	2729	Vacant.	
	2730	All types of readymade garments made from textile fabrics but excluding (i) partially or wholly pure silk, (ii) cotton handloom and powerloom fabrics, and (iii) hosiery —	
		(i) where proof of payment of duty on fabrics used in the manufacture of garments is produced.	1·5% (one point five per cent only) of the export f.o.b. value plus 103·5% (One hundred three point five per cent only) of the drawback rates fixed in respect of the fabrics falling under sub-serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620 and 2626, as the case may be on the fabrics content of the garments. plus 103·5% (One hundred three point five per cent only) of the actual Central Excise duty paid on the fabric content of the garments.
		(ii) Others.	3·5% (Three point five per cent only) of the export f.o.b. value plus 103·5% (One hundred three point five per cent only) of the drawback rates fixed in respect of fabrics falling under sub-serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620 and 2626 as the case may be on the fabric contents of garments.

Provided that where the exporter has availed of the procedure under rule 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 the above rates of drawback shall not apply.

Explanation.—

(1) In order to establish payment of Central Excise duty on fabrics cleared under a particular Gate pass (GP) which have been used in the manufacture of garments and correlate the same with the export goods for claiming drawback under (i) above, the exporters/manufactures shall file statement I and II in the proforma below, with the Assistant Collector of Customs of the port of export. Any modification in the said statements shall be intimated by the manufacturer/exporter to the Assistant Collector of Customs of the port of export.

(2) In cases where the manufactory is located at a place other than the port of shipment, one set of similar statement I and II shall also be submitted by the exporter/manufacturer to the Assistant Collector of Customs/Central Excise having jurisdiction over the manufactory who shall verify the statements and send intimation to the Assistant Collector of Customs concerned of the port of export directly as to the correctness of the particulars given in the Statements.

(3) In those cases, where the manufacturers/exporters are unable to file statement I and II referred to above, the claims shall be settled at the rates indicated against (ii) above.

(4) The expression 'fabric content' appearing at (i) and (ii) above refers only to the main/outer fabric contained in the garments and does not include the fabric utilised in the interlining, collars, cuffs, pockets etc. and other embellishments.

Statement I

Statement I showing the receipt of duty paid fabric manufacture of the goods exported under Contract No.————dated————and Shipping Bill No.———— dated————.

Sl. No.	Description of fabrics (mention sort No.)	Name and address of the Mill supplying the fabric.	Gate Pass No. and date	Linear Meters	Width
1	2	3	4	5	6

Square Meters	No. of Square metees per kg.	Rate of duty	Total amount of duty. Warp/Weft.	Composition of fibre in warp and weft. waep/weft	Construction of fabrics. Warp count	Weft countPick
7	8	9	10	11	12	

Whether fabrics are bleached, dyed, printed.	Description of garments manufactured from this fabric give S.No. of Statement II)	Remarks
13	14	15

NOTE.—The particulars in the above statement should pertain only to the main fabric used in export garments and only in respect of those receipts which are actually used in the export goods covered by the Shipping Bill mentioned above. The particulars in respect of abries used for pocket, lining etc. need not be shown.

Statement II

S.No.	Description of ready-made garments.	Code No. of garments mentioned in Column 2.	S.No.of Statement I shoing the fabric from which garments are made.	Remarks
1	2	3	4	5

1	2	3	4
28		*Floor Covering including carpets :*	
	2801	Floor covering including carpets not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on a application from the individual manufacturer/exporter.
	2802	Woollen carpets other than machine made woollen tufted carpets.	Rs. 1·70 (Rupees one and paise seventy only) per kg.
		Explanation :—'Woollen Carpet' means carpet, woollen yarn content of which is not less than 50% by weight.	
	2803	Coir and sisal mats or mattings.	Appropriate rate under sub Serial No. 2508(c) (i) in so fas as sisal fibre content is concerned plus appropriate rate for jute product content, if any, as specified against Sub-Serial No. 2322.
	2804	Mats and matting made wholly or partly from sisal fibre and/or manila hemp fibre	Appropriate rate under Sub-Serial No. 2508(c) (i) in so far as sisal fibre content is concerned and appropriate rates for manila hemp fibre content under Sub-Serial No. 2508(c) (ii).
	2805	Wollen druggets including kelims with cotton yarn or liner yarn in warp and woollen yarn in weft.	Rs. 0·45 (Forty five paise only) per kg. of drugget/Kelims.
29		*Footwear and parts of footwear :*	
	2901	Footwear and parts of footwear not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter
	2902	Footwear and components of footwear (excluding canvas footwear, plastic footwear, rubber footwear, footwear with tyre sole and kohlapuri chappals	5·3— (Five point three percent only) of the F.O.B. value or the following rate whichever is less :— (a) Mens leather shoes with rubber or leather soles. Rs. 1·06 (Rupee one and paise six only) per pair. (b) Ladies leather shoes or sandals. Rs. 0·33 (Thirty three paise only) per pair (c) Boys leather shoes with rubber or leather soles-Rs. 0·80 (Eighty paise only) per pair. (d) Children leather shoes with rubber or leather soles-Rs. 0·80 (Eughty paise only) per pair.

1	2	3	4
			(e) Mens' leather sandals with rubber or leather soles—Re.0·64 (Sixty four paise only) per pair.
			(f) Boys leather sandals with rubber or leather soles-Re. 0·48 (Forty eight paise only) per pair.
			(g) Children leather sandals with rubber or leather soles—Re. 0·48 (Forty eight paise only) per pair.
			(h) Chappals (exlcuding Kohlapuri chappals) with the rubber or leather soles Re. 0·32 (Thirty two paise only) per pair.
	2903	Canvas Rubber footwear	2·5% (Two point five per cent only) of the F.O.B. value.
30		*Umbrellas and umbrellas Fittings*	
	3001	Umbrellas and umbrellas fittings not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3002	Umbrellas and Umbrella parts—	
		A. Ribs :	
		(i) Fluted ribs.	Rs. 715.00 (Rupees seven hundred fifteen only) per metric tonne.
		(ii) Other types of ribs i.e. solid ribs and Flexus ribs.	Rs. 363·00 (Rupees three hundred sixty three only) per metric tonne.
		B. Umbrella handles and sticks—	
		(i) Made of CRCA ST EEL sheets/strips.	Drawback at the rate admissible under Sub-Serial No. 3640 (f).
		(ii) Others.	Drawback at the appropriate rate if any according to the material of which the handles or the sticks are made.
		C. Umbrella frames—assembled or unassembled.	Drawback at the appropriate rate as specified (A) above plus the drawback at the appropriate rate as specified at (B) above.
		D. Umbrellas complete assembled or unassembled.	
		(i) Drawback at the appropriate rate as specified at (C) above plus the drawback as specified at (ii) below in respect of cotton fabric content of the umbrellas.	
		(ii) *Type of Umbrella*	*Rate of drawback per ten dozens*
		15"×8	Rs. 6.97 (Rupees six and paise ninety seven only).
		17"×8	Rs. 9.05 (Rupees nine and paise five only).
		19"×8	Rs. 10.09 (Rupees ten and paise nine only).

1	2	3	4
		20"×8	Rs. 10.61 (Rupees ten and paise sixty one only).
		20"×10	Rs. 11.70 (Rupees eleven and paise seventy only).
		21"×8	Rs. 10.66 (Rupees ten and paise sixty six only).
		21"×10	Rs. 11.96 (Rupees eleven and paise ninety six only).
		23"×8	Rs. 11.96 (Rupees eleven and paise ninety six only).
		23"×10	Rs. 13.00 (Rupees thirteen only).
		24"×8	Rs. 12.85 (Rupees twelve and paise eighty five only).
		25"×8	Rs. 13·31 (Rupees thirteen and paise thirty one only).
		25"×10	Rs.14.35 (Rupees fourteen and paise thirty five only).
		25"×12	Rs. 15.08 (Rupees fifteen and paise eight only).
		25"×16	Rs. 15.91 (Rupees fifteen and paise ninety one only).
		27"×8	Rs. 15.60 (Rupees fifteen and paise sixty only).
		27"×10	Rs. 16.22 (Rupees sixteen and paise twenty two only).
		27"×12	Rs. 17.16 (Rupees seventeen and paise sixteen only).
		27"×16	Rs. 18.72 (Rupees eighteen and paise seventy two only).

The above rates are exclusive of drawback on packing materials which may be claimed separately at the prescribed rates.

31	*Human Hair and Products thereof*			
	3101	Human hair and products thereof not elsewhere specified.		Brand rate to be fixed on an application from the individual Manufacturer/exporter
32	*Products Made of Asbestos Cement or both*			
	3201	Products made of asbestos cement or both not elsewhere specified.		Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer / exporter.
	3202	Asbestos Cement products.	(with effect from 1-6-75 to 6-6-75)	Rs. 870.50 (Rupees eight hundred seventy and paise fifty only) per tonne in respect of Asbestos Content plus Rs. 66.80 (Rupees sixty six and paise eighty only) per tonne of cement content.

1	2	3	4
		(with effect from 7-6-75)	Rs. 946.00 (Rupees nine hundred forty six only) per tonne of asbestos content and Rs. 54.80 (Rupees fifty four and paise eighty only) per tonne of cement content.
33	*Ceramic Products, Refractories Potteries*		
	3301 Ceramic proudcts, refractories potteries not elsewhere specified.		Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
34	*Glass and Glassware Including Glass Mirrors and Vacuum Flasks*		
	3401 Vacant.		
	3402 Glass and Glassware —		
	(a) Sheet Glass and Plate glass.		Rs. 19.00 (Rupees nineteen only) per tonne.
	(b) Laboratory Glassware		Rs. 84.95 (Rupees eighty four and paise ninety five only) per tonne.
	(c) Glass shells for electric lighting bulbs and flourescent lighting tubes.		Rs. 24.00 (Rupees twenty four only) per tonne.
	(b) Glass shells, Glass globes and glass chimneys for lamps and lanterns other than those specified at (c) above.		Rs. 24·00 (Rupees twenty four only) per tonne.
	(e) Glass bottles—		
	(i) when exported as such.		Rs. 24.00 (Rupees twenty four only) per tonne.
	(ii) when used for packing other export goods.		Rs. 140·60 (Rupees one hundred forty and paise sixty only) per tonne.
	(f) Glass vials/phials/ampoules when used for packing other export goods :		
	(i) of 5 cc/5 ml. size and above but below 7.5 cc/7.5 ml.		Rs. 7·35 (Rupees seven and paise thirty five only) per one thousand pieces.
	(ii) of 7·5 cc/7·5 ml. and above but below 10 cc/10 ml.		Rs. 8·45 (Rupees eight and paise forty five only) per one thousand pieces.
	(iii) of 10 cc/10 ml. and above but below 15 cc/15 ml.		Rs. 10·60 (Rupees ten and paise sixty only) per one thousand pieces.
	(iv) of 15 cc/15 ml. and above but below 20 cc/20 ml.		Rs. 11·35 (Rupees elven and paise thirty five only) per one thousand pieces.
	(v) of 20 cc/20 ml. size.		Rs. 12·20 (Rupees twelve and paise twenty only) per one thousand pieces.
	(g) All other glass and glassware including wired and figured glass.		Rs. 19·00 (Rupees nineteen only) per tonne.
	3403 Vacant.		
	3404 Vacuum Flasks, all types.		9% (Nine per cent only) of the export F.O.B. value.

1	2	3	4
	3405	Refills for vacuum flasks, all types.	1·2% (One point two per cent only) of the export F.O.B. value.
35		*Finished cultured Pearls—*	
	3501	Finished cultured pearls that is to say cultured pearls which have been produced by drilling, bleaching, polishing or otherwise processing raw cultured pearls or biwaco pearls.	Rs. 1·39 (Rupee one and paise thirty nine only) per gram of Biwaco pearl content and Re. 0·82 (Eighty two paise only) per gram of the content of cul tured pearls other than Biwaco.

Provided that at the time of exportation of the finished cultured pearls the exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that quantity of 105 grammes cultured pearls of Biwaco or other than Biwaco quality (as the case may be) has been imported by the manufacturer or exporter and used for the manufacture of every 100 grammes of the product exported, within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation and that the quantity of imported cultured pearls of Biwaco or other than Biwaco type has not been—

(i) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of finished cultured pearls, or

(ii) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

36		*Iron and Steel except ingots and other primary forms (including blanks for tubes and pipes) of iron and Steel—*	
	3601	Vacant.	
	3602	Printed tinned plates/tinned sheets	Rs. 901·65 (Rupees nine hundred one and paise sixty five only) per tonne.

Provided that the rebate of duty of central excise on tinned plates/tinned sheets used in the manufacture of printed tinned plates/tinned sheets is not claimed by the exporter separately under the Central Excise Rules, 1944 and export goods are made of duty paid tinned plates or tinned sheets.

	3603	Baling hoops, Box Strapping Steel Hoops.	Rs. 450·00 (Rupees four hundred fifty only) per tonne.

Provided that the drawback in respect of products covered under Sub-Serial No. 3603, will be allowed only if these goods are duty paid and no rebate of duty paid has been/will be claimed under the Central Excise Rules, 1944.

	3604	Vacant.	
	3605	Expanded metal (Other than cast)—	
		(i) Ungalvanised	Rs. 472·50 (Rupees four hundred seventy two and paise fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 680·90 (Rupees six hundred eighty and paise ninety only) per tonne.

1	2	3	4
	3606	Fabricated steel structurals (including electrical transmission line towers) other than tubular steel structurals not elsewhere specified.	
		(a) Electrical transmission line towers (fabricated steel structurals) galvanised.	Rs. 502·00 (Rupees five hundred two only) per tonne.
		(b) Others	
		(i) Ungalvanised	Rs. 346·50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 470·65 (Rupees four hundred seventy and paise sixty five only) per tonne.
	3607	Steel arc welding electrodes	Rs. 346·50 (Rupees three hundred fortysix and [paise fifty only) per tonne.
	3608	Steel pipes and tubes all sorts including electric conduit pipes, tubular steel furniture, tubular steel structurals, tuublar poles and other products made entirely of steel pipes and tubes, not elsewhere specified, including furniture tubes and gas tubes and fittings thereof—	
		(a) Seamless pipes and tubes—	
		(i) Ungalvanised	Rs. 346·50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 501·65 (Rupees five hundred one and paise sixtyfive only) per tonne.
		(b) Pipes and tubes with wall thickness more than 5 mm, other than seamless and other than those made of skelp—	
		(i) Ungalvanised	Rs. 367·50 (Rupees three hundred sixty seven and paise fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 521·60 (Rupees five hundred twenty one and paise sixty only) per tonne.
		(c) (i) Pipes and tubes made of skelp—	
		(a) Ungalvanised	Rs. 580·10 (Rupees five hundred eighty and paise ten only) per tonne.
		(b) Galvanised	Rs. 781 (Rupees seven hundred eighty one only) per tonne.
		(ii) Pipes and tubes made of C.R. sheets/ Strips—	
		(a) Unglavanised	Rs. 682·50 (Rupees six hundred eighty two and paise fifty only) per tonne.
		(b) Galvanised	Rs. 876·20 (Rupees eight hundred seventy six and \paise twenty only) per tonne.

1	2	3	4
		Provided that :—	
		The drawback at the rates at Sub-items (c) above shall apply if at the time of exportation, the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the goods have have been manufactured out of skelp, or C.R. Sheets or C.R. strips, as the case may be, and appropriate duty at the rate applicable to skelp/C. R. Sheets/C. R. Strips as the case may be under item 26AA of the first Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) has been paid on such skelp/C.R. Sheets/C.R. Strips.	
		(d) Pipes and tubes other than seamless pipes and tubes with wall thickness less than 5 mm other than those at (c) above—	
		(i) Ungalvanised	Rs. 472·50 (Rupees four hundred seventy two and paise fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 680·90 (Rupees six hundrd eighty and paise ninety only per tonne.
		(e) Fitting for steel pipes and tubes.	
		(1) made of steel (other than cast)	
		(i) of less than 5 mm wall thickness	
		(a) Ungalvanised	Rs. 472·50 (Rupees four hundred seventy two and paise fifty only) per tonne.
		(b) Galvanised	Rs. 680·90 (Rupees six hundred eighty and paise ninety only) per tonne.
		(ii) of wall thickness 5 mm or more	
		(a) Ungalvanised	Rs. 367·50 (Rupees three hundred sixty seven and paise fifty only) per tonne.
		(b) Galvanised	Rs. 521·60 (Rupees five hundred twenty one and paise sixty only per tonne.
		(2) Malleable iron pipe fittings—	
		(i) Ungalvanised	Rs. 70·00 (Rupees seventy only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 306·60 (Rupees three hundred six and paise sixty only) per tonne.
		Provided that the rebate of the Central Excise duty paid on the steel sections used in the manufacture of pipes and tubes etc. has not been availed of under Central Excise Rules or the export is not being made under bond.	
2609		(a) Bails and Sleeper bars	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
		(b) Railway track materials N.O.S. made of steel (other than cast)—	
		(i) Ungalavanised	Rs. 356·40 (Rupees three hundred fiftysix and paise forty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 511·00 (Rupees five hundred and eleven only) per tonne.

1	2	3	4
3610	Spring steel bars		Rs. 330·00 (Rupees three hundred and Thirty only) per tonne.
3611	(a) Steel bars and rods n.o.s. (round, square and flats).		Rs. 346·50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.
	(b) Mild steel wire n.o.s.		
	(i) Ungalvanised		Rs. 330·00 (Rupees three hundred and thirty only) per tonne.
	(ii) Galvanised		Rs. 548·40 (Rupees five hundred fortyeight and paise forty only) per tonne.
3612	Steel castings, both un-machined and machined including cast steel components of engineering goods.		Rs. 200·00 (Rupees two hundred only) per tonne.
3613	Steel structurals light and heavy non-fabricated.		
	(i) Ungalvanised		Rs. 330·00 (Rupees three hundred and thirty only) per tonnne.
	(ii) Galvanised		Rs. 454·80 (Rupees four hundred fiftyfour and paise eighty only) per tonne.
3614	Bright steel bars and shafts made from mild steel.		Rs. 356·40 (Rupees three hundred fiftysix and paise forty only) per tonne.

Provided that the rebate of Central Excise duty paid on the steel sections used in the manufacture of products at sub-serial No. 3610 to 3614 has not been availed of under Central Excise Rules or the export is not being made under bond.

3615	Steel flexible tubing—		
	(i) Ungalvanised		Rs. 702·00 (Rupees seven hundred and two only) per tonne.
	(ii) Galvanised		Rs. 894·35 (Rupees eight hundred ninety four and paise thirty-five only) per tonne.
3616	Articles made of iron all sorts including iron castings, both machined or unmachined and cast iron components of engineering goods and also including iron pipes and tubes all sorts and fittings for such pipes and tubes made of iron.		
	(i) Ungalvanised		Rs. 70·00 (Rupees seventy only) per tonne.
	(ii) Galvanised		Rs. 306·60 (Rupees three hundred six and paise sixty only) per tonne.
3617	Steel wire products, all sorts, namely wire gauge, mesh netting, chain link fencing steel stranded wires, panel pins, steel wire and plate nails all sorts, steel barbed wire and wire brushes.		
	(i) Ungalvanised		Rs. 346·50 (Rupees three hundred fortysix and paise fifty only) per tonne.

1	2	3	4
	(ii) Galvanised	.	Rs. 563·75 (Rupees five hundred sixtythree and paise seventy five only) per tonne.
3618	Tin plate products, including tin plate containers (assembled, or unassembled), tin plate components of containers, tin plates washers, mathematical instruments, boxes, made of tin plate, advertisment tablets, trays, match box covers, screw caps and necks, stove cleaning needles and desk pad made of tin plate.		Rs. 954·70 (Rupees nine hundred fifty four and paise seventy only) per tonne.
3619	Hurricane Lantern s (excluding glass globes/ shells).		Rs. 902·50 (Rupees nine hundred two and paise fifty only) per tonne.
3620	Belt fastners made of steel other than cast.		Rs. 486·co (Rupees four hundred and eight six only) per tonne.
3621	Bolts, nuts and rivets and gate hooks and eyes, steel screws and machine screws and rivets—		
	(i) Ungalvanised		Rs. 356·40 (Three hundred fifty-six and paise forty only) per tonne.
	(ii) Galvanised		Rs. 572·95 (Rupees five hundred seventytwo and paise ninety-five only) per tonne.
3622	Builders hardware made of steel not elsewhere seecified including hinges, hasps, staples, tower bolts and pad locks.		
	(a) made of sheet/strips less than 5 mm. (thick)		Rs. 472·50 (Rupees four hundred seventytwo and paise fifty only) per tonne.
	(b) Others		Rs. 346·50 (Rupees three hundred fortysix & paise fifty only) per tonne.
3623	Collapsible gates made of steel.	.	Rs. 356·40 (Rupees three hundred fiftysix and paise forty only) per tonne .
3624	Enamelware.	.	Rs. 702·00 (Rupees seven hundred and two only) per tonne.
3625	Galvanised steel buckets, Galvanised steel bath tubs and Galvanised steel water bottles.		Rs. 693·45 (Rupees six hundred ninetythree and paise forty five only) per tonne.
3626	Vacant.		
3627	Vacant.		
3628	Miscellaneous hardware, made of steel other than cast.		Rs. 356·40 (Rupees three hundred fifty six and paise forty only) per tonne.
3629	Mild steel washers—		
	(i) Ungalvanised		Rs. 486·co (Rupees four hundred and eightysix only) per tonne.
	(ii) Galvanised		Rs. 693·45 (Rupees six hundred nintythree and paise forty-five only) per tonne.

1	2	3	4
3630	Rolling shutters		Rs. 486·00 (Rupees four hundred and eighty six only) per tonne.
3631	Assembled or unassembled steel drums, galvanised or black.		
	(i) Ungalvanised		Rs. 486·00 (Rupees four hundred and eighty six only) per tonne.
	(ii) Glavanised		Rs. 693·45 (Rupees six hundred ninety three and paise forty five only) per tonne.
3632	Steel ghamelas/circles for ghamelas and pans.		Rs. 702·00 (Rupees seven hundred two only) per tonne.
	Provided that no rebate of Central excise duty paid on export of circles has been availed of under the Central Excise Rules and the export is not being made under bond.		
3633	Steel rakemultiprong and steel rat traps and steel parts of rat traps.		Rs. 356·00 (Rupees three hundred fifty six and paise forty only) per tonne.
3634	Vacant.		
3635	Steel safes, coffers, cash boxes and steel trunks.		Rs. 486·00 (Rupees four hundred eighty six only) per tonne.
3636	Steel tanks assembled or unassembled.		Rs. 367·50 (Rupees three hundred sixty seven and paise fifty only) per tonne.
3637	Vacant.		
3638	Tipping wagons.		Rs. 378·00 (Rupees three hundred seventy eight only) per tonne.
3639	Watering cans.		Rs. 486·00 (Rupees four hundred eight six only) per tonne.
3640	Steel products not otherwise specified but excluding products falling under item Nos. 26 and 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944—		
	(a) made of steel ingots		Rs. 210·00 (Rupees two hundred ten only) per tonne.
	(b) Made from semi-finished steel including bloom bilets, slabs sheet bars and tin bars and hoe bars.		Rs. 346·50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.
	(c) Made from Coils, Joists, girders, angles, other than allotted angles, channels, other than allotted channels, tees, beams, zeds, through piling and flats exceeding 10 mm in thickness—		
	(i) Ungalvanised		Rs. 346·50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.
	(ii) Galvanised		Rs. 470·65 (Rupees four hundred seventy and paise sixty five only per tonne.

1	2	3	4
		(d) Made from bars and rods.	Rs. 346·50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.
		(e) Made from flats exceeding 5mm but not exceeding 10 mm in thickness or plates.	Rs. 367·50 (Rupees three hundred sixty seven and paise fifty only) per tonne.
		(f) Made from cold rolled sheets and coled rolled strips.	
		(i) Ungalvanised	Rs. 682·50 (Rupees six hundred eighty two and paise fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 793·20 (Rupees seven hundred ninety three and paise twenty only) per tonne.
		(g) Vacant.	
		(h) Made from hot rolled sheets and strips flats not exceeding 5 mm in thickness and hoops—	
		(i) Ungalvanised	Rs. 472·50 (Rupees four hundred seventy two and paise fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 581·60 (Rupees five hundred eighty one and paise sixty only) per tonne.
		(i) made from skelp—	
		(i) Ungalvanised	Rs. 580·10 (Rupees five hundred eighty and paise ten only) per tonne.
		(ii) Galvanised	Rs. 694·50 (Rupees six hundred ninety four and paise fifty only) per tonne.
3641		Ball/Tapered roller bearing—	Rs. 540·00 (Rupees five hundred forty only) per tonne.
3642		Jerry Cans	Rs. 486·00 (Rupees four hundred eighty six only) per tonne.
3643		(i) Slotted angles, panels, panel plates, panel dividers and other accessories made out of steel sheets of thickness 2mm and less.	Rs. 702·00 (Rupees seven hundred two only) per tonne.
		(ii) Slotted angles, panels, panel plates, panel dividers and other accessories not otherwise specified.	Rs. 486·00 (Rupees four hundred eighty six only) per tonne.
37		*Non-Ferous Metals and Metal Alloys :*	
3701		Vacant.	

1	3	4
3702	Zinc products not elsewhere specified.	Rs. 3·45 (Rupees three and paise forty five only) per kg.
	Provided that no rebate is claimed under Central Excise Rules, 1944 or the export has not been made under bond under the provisions of the Central Excise Rules, 1944.	
3703	Aluminium Alloy Ingots and Castings.	At the rate applicable under Sub-Serial No. 3803(iii) in respect of aluminium contant.
	Provided that no rebate under rule 12 or benefit under rule 13 of the Centra Excise Rules, 1944 has been availed of by the manufacturer/exporter.	
3704	Vacant.	
3705	Vacant.	
3706	Vacant.	
3707	Brass semis, circles, sheets and extrusions.	At the rate applicable under Sub-Serial No. 3805(b).
	Provided that rule 56-A or rule 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed of in respect of the goods or articles.	
3708	Gun Metal ingots and articles made therefrom.	Rs. 6·85 (Rupees six and paise eighty five only) per kg.
3709	Metal Alloys N.O.S. and articles made thereof, N.O.S.	Drawback at the rate applicable under Sub-Serial No. 3808(b) in respect of copper content, if any, plus Drawback at the rate applicable under Sub-Serial Nj. 3702 in respect of Zinc content, if any, plus Drawback at the rate applicable under Sub-Serial No. 3822 in respect of lead content, if any, plus Drawback at Rs. 12·70 (Rupees twelve and paise seventy only) per kg. in respect of tin content, if any, plus Drawback at the rate applicable under Sub-Serial No. 3616(1) in respect of iron content, if any, plus Drawback at the rate applicable under Sub-Serial No. 3803(iii) in respect of aluminium content, if any. plus Drawback at Rs. 9·80 (Rupees nine and paise eighty only) per kg. in respect of Nickel content, if any,
	Provided tha no rebate is claimed under any of the Rules of Central Excise Rules, 1944 and the export is not made under bond under the provisions of Central Excise Rules, 1944.	

1	2	3	4
38		*Manufactures of metals, not elsewhere specified.*	
	3801	Manufacture of Metal, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3802	Mild Steel paper pins and clips.	
		(a) Copper coated.	Rs. 545·00 (Rupees fivehundred forty five only) per tonne.
		(b) Other than copper coated.	Rs. 346·50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.
	3803	(i) Circular and Oval shapped aluminium articles of thickness between 0·56 mm and 1·22 mm.	Rs. 4·10 (Rupees four and paise ten only) per kg.
		ii) Aluminium articles manufactured from sheets, circles and strips not elsewhere specified i.e. excluding articles mentioned at (i) above.	Rs. 4·95 (Rupees four and paise ninety five only) per kg.
		(iii) Aluminium articles other than those specified in item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 to 1944) and articles mentitoned in Item (i) and (ii) above not otherwise specified.	Rs. 4·10 (Rupees four and paise ten only) per kg.
		NOTE :—The rates of drawback prescribed against Sub-Serial No. 3803 shall come into force on the 11th day of June, 1975.	
	3804	Articles made of stainless steel—	
		(A) Utensils made wholly of magnetic stainless steel sheets.	Rs. 20·40 (Rupees twenty and paise forty only) per kg.
		(B) Hospital wares made wholly of non-magnetic stainless steel sheets such as kidney tray, bed pans sputummugs etc.	Rs. 20·40 (Rupees twenty and paise forty only) per kg.
		(C) Copper bottomed utensils made of non magnetic stainless steel sheets and copper.	Rs. 18·00 (Rupees eighteen only per kg.
		(D) Watch straps.	Rs. 10·40 (Rupees ten and paise forty only) per kg.
		(E) Surgical instruments.	Re. 0·50 (Fifty paise only) per kg.
		(F) Cutlery made of stainless steel sheets but excluding knives.	Rs. 4·60 (Rupees four and paise sixty only) per kg.
		(G) Cutlery made of stainless steel bars, rods/plates.	Re. 0·45 (Forty five paise only) per kg.
		(H) Knives.	Re. 0·45 (Forty five paise only) per kg.
		(I) Articles made of stainless steel not otherwise specified—	
		(i) Made of sheets—	
		(a) non-magnetic.	Rs. 20·40 (Rupees twenty and paise forty only) per kg.
		(b) Magnetic.	Rs. 4·10 (Rupees four and paise ten only) per kg.
		(ii) Others.	Re. 0·40 (Paise forty only) per kg.

1	2	3	4
3805	Brass manufacture including brass builders, hard ware and art ware—		
	(a)(i) Utensils and other articles made out of sheets/strips.		Rs. 6·30 (Rupees six and paise thirty only) per kg.
	(ii) Brass art ware.		Rs.5·00(Rupees five only)per kg.
	(b) Others.		Rs. 5·50 (Rupees five and paise fifty only) per kg.
	Provided that rule 56-A or rule 191A or 191B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed of in respect of goods or articles.		
3806	Vacant.		
3807	Vacant.		
3808	Articles made of copper not elsewhere specified—		
	(a) Utensils and other articles made of sheets/strips.		Rs. 7·85 (Rupees seven and paise eighty five only) per kg.
	(b) Other than (a) above.		Rs. 7·00 (Rupees seven only) per kg.
	Provided that no rebate is claimed on the copper sections under Central Excise Rules, 1944 or the export has not been made under bond under the provisions of Central Excise Rules, 1944.		
3809	Tin plate containers of 11·34 kg. capacity containing cashew kernels for which carbon dioxide is used for preservation.		(a)(i) Rs. 950·00 (Rupees nine hundred fifty only) per tonne of the net weight of empty containers as reduced by 12·5 gms. per each container plus (ii) Rs. 25·00 (Rupees twenty five only) per 1000 containers, plus (iii) Rs. 93·00 (Rupees ninety three only) per 1000 containers, plus (b) whole of the duty paid under item 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.
	Provided that :—		
	(i) the drawback specified in the sub-clause (ii) of clause (a) will be granted if the exemption under this Ministry's Notification No. 7/65 CE dated the 30th January, 1965 has not been availed of;		
	(ii) the drawback at the rate specified in item (b) will be granted where exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs regarding the amount of duty paid on the Metal Containers, and		
	Provided further the exporter has not availed of procedure under rule 12 or rule 191A of the Central Excise Rules, 1944 in respect of the said duty.		
3810	Sanitary cans, dingley cans (including parts thereof) when exported in flattened form or otherwise or when used as containers for the export of		(a) Whole of the duty if any paid under item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 plus
	(1) fish and fish products,		(b) Rs. 1700·00 (Rupees one thousand seven hundred only)

1	2	3	4
		(2) fruits and vegetable products, and (3) condensed milk.	per tonne provided that where the exporters has not availed of the procedure under rule 12 or rule 191A of the Central Excise Rules, 1944, the drawback at the rate specified at items (a) and (b) shall apply in toto; and where the exporter has availed of procedure under either of the said rules or where no duty under Item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 has been paid the rate of drawback at the rate specified in item (b) above shall apply.
3811	Vacant.		
3812	Steel wire ropes all sorts (including locked coil wire ropes all sorts) with or without fibre core—		
	(a) Ungalvanised.		Rs.346·50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne of ungalvanised steel content plus the drawback admissible in respect of sisal fibre content and/or manila hemp fibre content if any under Sub-Serial No. 2508(c) plus the drawback admissible under jute fibre content under Sub-Serial No. 2506.
	(b) Galvanised.		Rs. 563·75 (Rupees five hundred sixty three and paise seventy five only) per tonne of galvanised steel content plus the drawback admissible in respect of sisal fibre content, if any or manila fibre content if any under Sub-Serial No. 2508(c) plus the drawback admissible in respect of jute fibre content under Sub-Serial No. 2506.
3813	Steel files, all sizes.		Rs. 860·00 (Rupees eight hundred sixty only) per tonne.
3814	Vacant.		
3815	Electroplated nickel silver (EPNS) ware and articles.		Rs. 3·25 (Rupees three and paise twenty five only) per kg.
3816	Pressure stoves, pressure lamps/lanterns and blow lamps made of brass and metallic components there of.		22% (twenty two per cent only) of the F.O.B. value.
3817	Gun Metal valves, all sorts and parts thereof.		(a) Rs. 6·85 (Rupees six and paise eighty five only) per kg. of Gun Metal content. (b) Rate admissible under Sub-Serial No. 3616(i) or 3616(ii) as the case may be in respect of iron content, plus (c) Rate admissible under Sub-Serial No. 3621(i) or 3621 (ii) as the case may be in respect of bolts and nuts.

1	2	3	4
	3818	Self Locking nuts fitted with Nylon inserts.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3819	Steel drums when filled with asphalt.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3820	Safety Razor Blades—	
		(i) made from carbon steel.	Rs. 7·65 (Rupees seven and paise sixty five only) per 1000 blades
		(ii) made from stainless steel strips.	Rs. 16·30 (Rupees sixteen and paise thirty only) per 1000 blades.

NOTE.— The above rate of drawback is inclusive of drawback on packing materials *viz.*, wax paper and wrapper for individual blades; pulp board tuck and cartons ; and cellophane.

If the above, packing materials are not used, the above rates shall be reduced by Rs. 0·96 (Ninetysix paise only) per 1000 blades. The drawback will however be admissible on the packing materials, actually used at the appropriate 'all industry' rates.

	3821	Enamelled Copper winding Wire :—	
		(i) 23 gauge and thicker.	Rs. 9·40 (Rupees nine and paise forty only) per kg.
		(ii) Thinner than 23 gauge and upto 35 gauge.	Rs. 9·25 (Rupees nine and paise twenty five only) per kg.
		(iii) Thinner than 35 gauge and upto 44 gauge.	Rs. 9·10 (Rupees nine and paise ten only) per kg.

NOTE:— The rate of drawback under Sub-Serial No. 3821 shall remain in force till 30-9-75.

	3822	Articles made of lead not elsewhere specified.	*With effect from* 1-6-75 *to* 6-6-75 Rs. 2·25 (Rupees two and paise twenty five only) per kg. *With effect from* 7-6-75: Rs. 2·20 (Rupees two and paise twenty only) per kg.

Provided that no rebate is claimed under Central Excise Rules 1944, or the export has not been made under Bond under the provisions of the Central Excise Rules, 1944.

	3823	(i) Pressure cookers complete made of aluminium.	Rs. 4·00 (Rupees four only) per kg.
		(ii) Gaskets for Pressure Cookers.	Rs. 0·30 (Thirty paise only) per kg.
		(iii) Safety plugs with pintles.	Rs. 0·30 (Thirty paise only) per kg.
		(iv) Handles of Pressure Cookers made of phenol formaldehyde moulding powder and exported with or without screws.	Drawback at the rate admissible under Sub-Serial No. 1910 in respect of phenol formaldehyde moulding powder, plus. The draw back admissible in repect of aluminium screws if any under Sub-Serial No. 3803 (iii) plus. The drawback admissible in respect of steel screws, if any under Sub-Serial No. 3621.

NOTE.— The rate of drawback under Sub-Serial No. 3823 shall come into force on the 11th day of June, 1975.

1	2	3	4
	3824	Metal containers all sorts (other than those made of aluminium) ordinarily intended for packaging of goods for sale, (including casks, drums, cans, boxes, gas cylinders and pressure containers filled in with export goods (but excluding open top sanitary cans and tin containers of 11·34 Kg. capacity used for export of cashew Kernels).	(a) Whole of the duty paid under item 46 of the First Schedule to the Central excises and Salt Act, 1944 plus (b) the drawback at the rate admissible under sub-serial No. 3618 in respect of tin plate and under sub-serial No. 3631 in respect of steel drums and the drawback at the appropriate rate, if any, in respect of any other material of which the container is made of Provided that :— (i) The drawback at the rate specified in item (a) will be granted where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs of having paid duty on the metal containers. (ii) Where the exporter has not availed of the procedure under rule 12 or rule 191 A of the Central excise Rules, 1944 the drawback at the rate specified at items (a) and (b) shall apply in toto and where the exporter has availed of the procedure under the said rules the rate of drawback at the rates specified in item (b) above shall apply.
	3825	Sanitary and bath room water fittings— (A) Chromium plated made of Gun Metal.	Rs. 6·85 (Rupees six and paise eighty five only) per Kg. of the Gun Metal content.
		(B) Chromium plated made of brass.	Rs. 5·50 (Rupees five and paise fifty only) per Kg. of the brass content.
	3826	Vacant.	
	3827	Aluminium foil laminated with paper/ polythene or interleaved with paper.	At the appropriate rate applicable under sub-serial Nos. 2407 or 2409 or 2410 as the case may be in so far as paper content if any, is concerned and at the rate applicable under Sub-Serial No. 1914 in respect of polythene content if any.
	3828	Tyre Bead Wire.	Rs. 340·00 (Rupees three hundred forty only) per tonne.
39		*Tools for use in the Hand or Machine:*	
	3901	Tools used in the hand or machine not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3902	Hand tools made of steel N. O. S. other than cast.	Rs. 356·40 (Rupees three hundred fifty six and paise forty only) per tonne.
	3903	Vacant.	
	3904	Gear cutting tools all types.	9% (Nine per cent only) of the F. O. B. Value.

1	2	3	4
	3905	Saws, segments and saw blades.	9% (Nine percent only) of the f. o. b. value.
	3906	Diamond cutting tools but excluding reconditioned diamond tools namely :—	
		(1) Drill Bits	20% (Twenty per cent only) of the f. o. b. value.
		(2) Diamond dressers.	16% (Sixteen per cent only) of the f. o. b. value.
	3907	Drills of all types including twist drills.	9% (Nine per cent only) of the f. g. b. value.
	3908	Tools for lathes shapers and planers all types.	9% (Nine per cent only) of the f. o. b. value.
	3909	Milling cutters of end mills all types.	9% (Nine per cent only) of the f. o. b. value.
	3910	Reamers.	9% (Nine per cent only) of the f. o. b. value.
	3911	Threading tapes threading dies and chasers.	9% (Nine per cent only) of the f. o. b. value.
	3912	Small and cutting tools not elsewhere specified excluding broaches, dies, jigs fixtures and stamping tools.	9%(Nine per cent only) of the f. o. b. value.
	3913	(a) Drop forged Hand tools (other than those made of castings), *viz.*, the following Allen Head Key, all types pliers, Spanners, Wrenches, Screws and nut Drivers all types, sockets and ratchets, all types, C-Clamps and nail pullers.	Rs. 495·00 (Rupees four hundred ninety five only) per tonne of steel content.
		(b) Drop forged and tools as stated in (a) above when nickel plated or chrome plated.	Rs. 568·00 (Rupees five hundred sixty eight only) per tonne.
		(c) Drop forged Hand tools as stated in (a) or (b) above when fitted with plastic handle.	Rate of drawback indicated as in (a) or (b) above plus the drawback applicable for plastic content under Sub-Serial No. 1907, 1908, 1914 or 1918 (a) as the case may be.
	3914	(1) Centre lathes, capstan lathes and turret lathes whether exported with or without accessories.	3·6% (Three point six per cent only) of the f. o. b. value.
		(2) Single spindle automatic lathes whether exported with or without accessories and presses.	6% (Six per cent only) of the f. o. b. value.
		(3) Multispindle automatic lathes including preselector lathes whether exported with or without accessories.	7·5% (Seven point five per cent only) of the f. o. b. value.
		(4) Grinders, radial drills and all other machine tools whether exported with or out withaccessories.	2% (Two per cent only) of the f. o. b. value.
40		*Power Generating Machinery, Parts thereof* :	
	4001	Power Generating Machinery, parts, thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
	4002	(A) Horizontal and vertical stationery/vehicular engines including marine and other internal combustion engines whether petrol, diesel or kerosene driven upto 40 B. H. P.	1·5% (One point five per cent only) of the f. o. b. value of export.
		(B) Parts of horizontal and vertical stationery/vehicular engines, including marine and other internal combustion engine whether petrol, diesel or kerosene driven—	
		(i) Parts made of cast iron.	0·5% (point five per cent only) of the f. o. b. value.
		(ii) Parts made of steel sections, sheets & pipes.	3% (Three per cent only) of the f. o. b. value.
		(iii) Parts made of aluminium alloy consisting of more than 81% of aluminium.	10% (Ten per cent only) of the f. o. b. value.
		(iv) Spark plug.	7·5% (Seven point five per cent only) of the f. o. b. value.
		(v) Engine valves.	7·5% (Seven point five per cent only) of the f. o. b. value.
		(vi) Gaskets.	10% (Ten per cent only) of the f. o. b. value.
		(vii) All other not specified in this item other than those made of natural raw rubber.	3% (Three per cent only) of the f. o. b. value.
		NOTE :—The above rates will be applicable provided no rebate of Central Excise Duty paid on the raw materials or components used in the manufacture of finished product has not been availed of under rule 56-A or any other provision in force of the Central Excise Rules, 1944.	
	4003	E. O. T. Cranes.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
41		*Agricultural machinery and implements, parts thereof* :	
	4101	Agricultural machinery and implements, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4102	Agricultural implements not otherwise specified made of steel other than cast.	Rs. 356·40 (Rupees three hundred fifty six and paise forty only) per tonne.
42		*Office machines, parts thereof* :	
	4201	Office machines, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
43		*Metal working machinery, parts thereof* :	
	4301	Metal working machinery, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
44		*Textile machinery, parts thereof* :	
	4401	Textile machinery, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
45		*Machinery for other purposes and industries, equipments, appliances (other than electrical)* :	
	4501	Machinery for other purposes and industries, equipments, appliances (other than electrical) not elsewere specified parts there of.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
	4502	Oil Mill Machinery and parts thereof.	6% (Six per cent only) of the export f. o. b. value.
	4503	(1) Centrifugal and non-centrifugal pumps.	Rs. 135·00 (Rupees one hundred and thirty five only) per tonne.
		(2) Centrifugal and non-centrifugal pumps fitted with diesel engines.	1·5% (One point five per cent only) of the f. o. b. value plus Central Excise Duty paid on pumps or on diesel engines provided the same has not been claimed/obtained as rebate or refund under Central Excise Rules and a certificate is also produced from the concerned Central Excise authorities to that effect.
		(3) Centrifugal and non-centrifugal pumps fitted with electric motors upto 100 H. P.	6·5% (Six point five percent only) of the F. O. B. value plus Central Excise Duty paid on pumps or on electric motor, provided the same has not been claimed/obtained as rebate or refund under Central Excise Rules and a certificate is also produced from the concerned Central Excise authorities to that effect.
	4504	Sewing Machines, all sorts, with or without hand attachment, base, cover, stand, table, arm, bed including sewing machines in CKD/SKD condition and parts and accessories thereof.	2·5% (Two point five per cent only) of the F. O. B. value.
46		*Electrical power machinery equipment for distributing electricity, switchgear, parts thereof*	
	4601	Electrical power machinery, equipment for distributing electricity, switchgear, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4602	Copper cables and conductors, all sorts.	Rs. 9·50 (Rupees nine and paise fifty only) per kg. of copper content.
		Provided that no rebate of the Counterveiling Duty/Central Excise Duty paid under item 26A of the Central Excise Tariff has been claimed/obtained under the Central Excise Rules, 1944 or the export is not made under bond in respect of Central Excise Duty payable under the aforesaid tariff item.	
	4603	All aluminium conductors . . .	Rs. 2·40 (Rupees two and paise forty only) per kg. of aluminium content.
		Provided that no rebate of Central Excise Duty paid under item 27 of the Central Excise Tariff has been claimed or obtained under the Central Excise Rules, 1944 or the export is not made under bond in respect of Central Excise Duty payable under the aforesaid tariff item.	
		NOTE:—The rate of drawback against Sub-Serial No. 4603 shall come into force on the 11th day of June, 1975.	
	4604	Insulated aluminium cables or conductors .	(1) Rate admissible under Sub-Serial No. 4603 in respect of aluminium content. (2) Rate admissible under Sub-Serial No. 1918(a) in respect of PVC composition content. (3) Rate admissible under Sub-Serial No. 1914 in respect Polythene content.

1	2	3	4
4605	Aluminium conductors steel re-inforced		Rate of drawback applicable under Sub-Serial No. 4603 in respect of aluminium content plus the rate of drawback under Sub-Serial No. 3617 (i) or 3617(ii) as the case may be in respect of steel core content.
4606	Paper Insulated Mass Impregnatted Lead sheathed power cables excluding pilot cables, telephone cables and electrostatic precipitator cables (DC).		
		(i) with copper conductors . . .	32% (Thirty two per cent only) of the export F.O.B. value.
		(ii) with aluminium conductors . .	22% (Twenty two per cent only) of the export F.O.B. value.
4607	P.V.C. Insulated copper cables . .		(i) Rate of drawback admissible under sub-serial No. 1918 (a) for P.V.C. Compound content. (ii) Rate of drawback applicable in respect of copper content under sub-serial No. 4602.
4608	Electric motors, all sorts of the following ratings only:—		
		(i) Upto 1 H.P.	Rs. 31·50 (Rupees thirty one and paise fifty only) per H.P.
		(ii) above 1 H.P. and upto and including 3 H.P.	Rs. 22·20 (Rupees twenty two and paise twenty only) per H.P.
		(iii) Above 3 H.P. and upto and including 5 H.P.	Rs. 17·85 (Rupees seventeen and paise eighty five only) per H.P.
		(iv) Above 5 H.P. and upto and including 25 H.P.	Rs. 16·20 (Rupees sixteen and paise twenty only) per H.P.
		(v) Above 25 H.P. and upto and including 100 H.P.	Rs. 13·35 (Rupees thirteen and paise thirty five only) per H.P.
4609	Direct-on-line starters for Electric Motors upto 30 H.P. and Star Delta Starters for Electirc Motors upto 50 H.P.		4·6% (Four point six per cent only) of the F.O.B. value.
4610	All types of cables and conductors insulated or other wise not elsewhere specified.		(i) Rate of drawback applicable in respect of copper content under sub-serial No. 4602 plus (ii) Rate of drawback applicable in respect of Aluminium content under sub-serial No. 4603, plus (iii) Rate of drawback applicable in respect of tin content under sub-serial No. 3709, plus (iv) Rate of drawback applicable for lead content under sub-serial No. 3822, plus

1	2	3	4
			(v) Rate of drawback applicable for Zinc content under sub-serial No 3702, plus
			(vi) Rs. 450·00 (Rupees four hundred and fifty only) per tonne of steel tape, content, if any, plus
			(vii) Rate of drawback applicable for P.V.C. compound content under sub-serial No. 1918(a), plus
			(viii) Rate of drawback applicable in respect of polythene content under sub-serial No. 1914, plus
			(ix) Rate of drawback applicable in respect of jute content under sub-serial No. 2722, plus
			(x) Rate of drawback applicable in respect of Polyamide content under sub-serial No. 1911, plus
			(xi) Rate of drawback applicable under sub-serial No. 3617 (i) or 3617(ii) as the case may be, in respect of steel core wire content, plus
			(xii) Rs. 6·75 (Rupees six and paise seventy five only) per kg. of the insulation paper content if any, plus
			(xiii) Rs. 3·00 (Rupees three only) per kg. of the impregnating compound, any, plus
			(xiv) Rate of drawback applicable in respect of synthetic man made filament yarn content under sub-serial No. 2513.
4611	Plastic Electrical Accessories mainly made of plastics and brass.		Rs. 5·50 (Rupees five and paise fifty only) per kg.
4612	Power and distribution transformers others than potential and current transformers, of the following voltage and ratings:		
	(A) *Below 22 KV*—		
	(i) Upto 50 KVA		Rs. 28·75 (Rupees twenty eight and paise seventy five only) per KVA.
	(ii) Above 50 KVA and upto 100 KVA		Rs. 24·35 (Rupees twenty four and paise thirty five only) per KVA.
	(iii) Above 100 KVA and upto 300 KVA		Rs. 19·75 (Rupees nineteen and paise seventy five only) per KVA.
	(iv) Above 300 KVA and upto 750 KVA		Rs. 14·55 (Rupees fourteen and paise fifty five only) per KVA.

1	2	3	4
		(v) Above 750 KVA and below 1000 KVA	Rs. 12·10 (Rupees twelve and paise ten only) per KVA.
		(vi) 1000 KVA and above and upto 1600 KVA	Rs. 12·45 (Rupees twelve and paise forty five only) per KVA.
		(B) 22*KV to* 33*KV* :	
		(i) Upto 300 KVA	Rs. 21·10 (Rupees twenty one and paise ten only) KVA.
		(ii) Above 300 KVA and upto 750 KVA	Rs. 15·90 (Rupees fifteen and paise ninety only) per KVA.
		(iii) Above 750 KVA and below 1000 KVA	Rs. 13.95 (Rupees thirteen and paise ninety five only) per KVA.
		(iv) 1000 KVA and above and upto 1600 KVA.	Rs. 14·35 (Rupees fourteen and paise thirty five only) per KVA.
	4613	Electric Fans :	
		(i) Ceiling fans with regulator—	
		(a) 56″ and 60″ sweep.	Rs. 36·00 (Rupees thirty six only) per fan.
		(b) 48″ sweep.	Rs. 30·00 (Rupees thirty only) per fan.
		(c) 42″ and 36″ sweep.	Rs. 25·00 (Rupees twenty five only) per fan.
		(ii) Ceiling fan without regulator.	
		(a) 56″ and 60″ sweep.	Rs. 33·00 (Rupee thirty three only) per fan.
		(b) 48″ sweep.	Rs. 27·00 (Rupees twenty seven only) per fan.
		(c) 42″ and 36″ sweep.	Rs. 22·00 (Rupees twenty two only) per fan.
		(iii) Table fans.	7·5% (Seven point five per cent only) of the export f.o.b. value.
		NOTE—(1) The above rate of drawback will apply for fans with Aluminium blades.	
		(2) The above rate of drawback shall come into force on the 11th day of June, 1975.	
	4614	Fan regulators of all types.	Rs. 3·00 (Rupees three only) per unit.
	4615	Down rods for electric ceiling fans.	Re. 0·54 (Paise fifty four only) per kg.
	4616	Blades made of Aluminium for electric ceiling fans.	Rs. 4·00 (Rupees four only) per kg.
		NOTE.—(1) The rates of drawback in respect of sub-serial Nos. 4615 and 4616 are inclusive of packing materials.	
		(2) The rates of drawback against sub-serial No. 4616 shall come into force on the 11th day of June, 1975.	
47		*Telecommunication Equipment and Apparatus, Parts thereof* :	
	4701	Telecommunication equipment and apparatus parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
	4702	Electronic valve/tube/transistor/diodes for radios/wireless receiving sets.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4703	(i) Transistor radio	11% (Eleven per cent only) of the export f.o.b. value.
		(ii) Radio with valves.	15% (Fifteen per cent only) of the export f.o.b. value.
	4704	Vacant.	
48		*Domestic Electrical Equipment, Electrical apparatus for Medical purposes, Radiological apparatus other electric Machinery and apparatus, parts there of* :	
	4801	Domestic Electrical equipment, Electrical apparatus for medical purposes, radiological apparatus, other electric machinery and apparatus parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4802	Domestic Refrigerator and component parts of Domestic Refrigerators.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4803	Lead Acid Storage Batteries of the following types :—	Rs. 1·79 (Rupee one and paise seventy nine only) per kg. of the net weight of fully assembled batteries.
		(1) Automobile Batteries.	
		(2) Traction Batteries.	
		(3) Train lighting Batteries.	
		(4) Stationary Batteries.	
	4804	Plates for the lead acid storage batteries of the following types :—	Rs. 2·35 (Rupees two and paise thirty five only) per kg.
		(1) Automobile Batteries.	
		(2) Traction Batteries.	
		(3) Train Lighting Batteries.	
		(4) Stationary Batteries.	
49		*Railway locomotives, wagons, coaches, track fixtures and fittings, traffic signalling equipment all kinds, parts thereof* :	
	4901	Railway locomotives, wagons, coaches, track fixtures and fittings, traffic signalling equipment all kinds, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
50		*Vehicles (other than Railway) Aircrafts, Ships, Boats, and Floating Structures all sorts parts and Accessories thereof* :	
	5001	Vehicles (other than Railway) aircraft, ships, boats and floating structures all sorts parts and accessories thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5002	Parts of Motor Vehicles including Tractors other than those covered by Sub-Serial No. 4002 B.	
		(i) Articles or components made of cast iron.	0·5% (Point five percent only) of f.o.b. value.

1	2	3	4
		(ii) Articles or components made of steel castings sections sheets and pipes.	3% (Three percent only) of the export f.o.b. value.
		(iii) Radiator assemblies and cores for Motor Vehicles including Tractors but excluding oil coolers and air cooled oil radiators viz.—	
		(a) Radiator assemblies of copper/ brass construction.	Rs. 4·80 (Rupees four and paise eighty only) per kg.
		(b) Radiator assemblies of steel/brass construction.	Rs. 3·21 (Rupees three and paise twenty one only) per kg.
		(c) Radiator cores of copper/ brass construction.	Rs. 6·10 (Rupees six and paise ten only) per kg.
		(iv) Ignition coils, Ignition distributor, assembly electrical horns, dynamos or alternators voltage regulators and solenoid.	10% (Ten per cent only) of the f.o.b. value.
		(v) Starter Motors.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
		(vi) Commutators.	14% (Fourteen per cent only) of the f.o.b. value.
		(vii) Steel wheels for commercial vehicles.	10% (Ten per cent only) of the f.o.b. value.
		(viii) Thin Wall bearings.	10% (Ten percent only) of the f.o.b. value.
		(ix) Shock absorbers.	8·5% (Eight point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(x) Brake lining and clutch facing.	9% (Nine per cent only) of the f.o.b. value.
		(xi) Spring leaves used in automobiles.	Rs. 346.50 (Rupees three hundred forty six and paise fifty only) per tonne.
		(xii) All others not elsewhere specified in this item excluding those made of natural raw rubber.	3% (Three per cent only) of the f.o.b. value.
		NOTE:—The above rates will be applicable provided no rebate of Central Excise duty paid on the raw materials of components used in the manufacture of the finished products has not been availed of under rule 56A or any other provisions of the Central Excise Rules, 1944.	
5003		Trollies.	Rs. 356.40 (Rupees three hundred fifty six and paise forty only) per tonne.
5004		(i) Bicycles complete, not otherwise specified assembled or unassembled.	9.5% (Nine point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(ii) Components, spare parts, and accessories of bicycles, other than bicycle spokes, nipples, washers, chains, rim liners, saddle covers (made of leather), rubber portion of pedals, tools and tool boxes, cycle pumps, tyres and tubes.	
		NOTE.—The above rate is inclusive of drawback on packing materials.	
5005		Bicycle chains all sorts whether assembled orunassembled, and whether in running length or otherwise.	Rs. 1·05 (Rupees one and paise five only) per kg.

1	2	3	4
	5006	Bicycle spokes—	
		(a) Galvanised spokes without nipples and washers.	Rs. 563.75 (Rupees five hundred sixty three and paise seventy five only) per tonne.
		(b) Brass nipples for bicycle spokes.	At the rate applicable under Sub-Serial No. 3805(b).
		(c) Complete spokes with brass nipple and washers.	Rs. 101.00 (Rupees one hundred one only) per quintal.
		(d) Washers for bicycle spokes—	
		(i) made of tin plate.	Rs. 954.70 (Rupees nine hundred fifty four and paise seventy only) per tonne.
		(ii) Galvanised, made of mild steel strips.	Rs. 894·35 (Rupees eight hundred ninety four and paise thirty five only) per tonne.
	5007	Sports Light Roadster Bicycles assembled or unassembled—	
		(a) fitted with imported 3 speed hubs.	Rs. 16·20 (Rupees sixteen and paise twenty only) per bicycle plus the amount of import duty paid on the imported 3 speed hubs as determined with reference to the relevant Bill (s) of Entry on a 'First in First out' basis.

Provided that manufacturer/ exporter produces evidence to the satisfaction of the Collector of Customs regarding import and duty incidence in respect of an adequate number of 3 speed hubs to cover the export of S.L.R. Bicycles fitted with 3 speed hubs and provided further that the imported 3 speed hubs in respect of which such evidence is produced, have not been—

(i) similarly co-related to and accounted for against any other previous exportation; and

(ii) previously re-exported as such or in any other form, whether under claim for drawback or otherwise.

NOTE.—The above rate is exclusive of drawback on packing materials which may be claimed separately under appropriate 'all industry' rate of drawback.

		(b) other than those fitted with 3 speed hubs, whether exported in assembled or SKD or CKD condition.	Rs. 16·20 (Rupees sixteen and paise twenty only) per bicycle (exclusive of drawback on packing material which may be claimed separately under appropriate all industry rates of drawback).
	5008	Industrial or automotive steel roller chains (other than those covered by Sub-Serial No. 5005) whether assembled or unassembled, and whether in running length or otherwise.	Re. 0·90 (Ninety paise only) per kg.
51		*Sanitary, Plumbing, Heating, Lighting fixtures and fittings and parts thereof* :	
	5101	Sanitary, plumbing, heating, lighting fixtures and fittings and parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
52		*Furniture* :	
	5201	Furniture not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
	5202	Steel furniture (excluding tubular steel furniture and furniture tubes) including lockers cabinet and other safe deposit equipment, strong doors, steel windows and doors but excluding parts thereof made of stainless steel—	
		(a) made of steel sheets or strips of less than 5 mm thickness.	Rs. 486·00 (Rupees four hundred eighty six only) per tonne.
		(b) All others.	Rs. 356·40 (Rupees three hundred fifty six and paise forty only) per tonne.
53		*Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical and Surgical Instruments, apparatus and equipment, parts thereof :*	
	5301	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments, apparatus and equipment, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
54		*Clock and Watches and parts thereof :*	
	5401	Clock and watches and parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
55		*Musical instruments, sound records and reproducers parts and accessories thereof :*	
	5501	Musical instruments, sound records, and reproducers parts and accessories thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
56		*Toys, Games and sports requisites parts thereof ;*	
	5601	Toys, games and sports requisites parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
57		*Office and Stationery Supplies :*	
	5701	Office and stationery supplies not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5702	Fountain pens, ball point pens, sign pens, fibre tippens, and fountain pen nibs (including stainless steel fountain pen nibs) tipped with iridium alloy pen points and ball point pen refills (metal or plastic).	3% (Three per cent only) of the export f. o. b. value
58		*Precious and semi-precious Stones (including diamonds set or unset) and articles made wholly or partly of alabaster or gold or silver :*	
	5801	Precious and semi-precious stones (including diamonds set or unset) and articles made wholly or partly of alabaster or gold or silver not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5802	Vacant.	

1	2	3	4
	5803	Handicrafts and other articles made of alabaster.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
59		*Manufactured articles, namely Brushes, all sorts except Carbon Brushes, Zip fastner, snap fastner, mechanical lighter, artificial hair wig and the like and ivory products :*	
	5901	Manufactured articles namely, brushes all sorts except carbon brushes, zip fastner, snap fastner, mechanical lighter, artificial hair wig and the like and ivory product not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5902	Metallic zip fasteners—	
		(i) made of brass—	
		(a) size No. 3.	Rs. 171·25 (Rupees one hundred seventy one and paise twenty five only) per one thousand metres.
		(b) size No. 5 or bigger than that.	Rs. 296·45 (Rupees two hundred ninety six and paise forty five only) per one thousand metres.
		(ii) made of aluminium —	
		(a) size No. 3	Rs. 44·00 (Rupees forty four only) per one thousand metres.
		(b) size No. 5 or bigger than that.	Rs. 71·90 (Rupees seventy one and paise ninety only) per one thousand metres.
		NOTE .—The rate of drawback prescribed under Sub-Serial No. 5902 shall take effect from the 11th day of June, 1975.	
	5903	Ivory products.	Rs. 300/- (Rupees three hundred only) per kg.

The provisions of rule 3(1), Rule 6 and Rule 7 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 are Reproduced below for the information of trade and industry:—

"3. *Drawback*—(1) Subject to the provisions of—

(a) the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the rules made thereunder,

(b) the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Rules made thereunder, and

(c) these rules,

a drawback may be allowed on the export of goods specified in Schedule II at such amount, or at such rates, as may be determined by the Central Government:

Provided that where any goods are produced or manufactured from imported materials or excisable materials, on some of which only duty chargeable thereon has been paid and not on the rest, or only a part of the duty chargeable has been paid, or the duty paid has been rebated or refunded in whole or in part or given as credit, under any of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the rules made thereunder or of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder, the drawback admissible on the said goods shall be reduced taking into account the lesser duty paid or the rebate, refund or credit obtained:

Provided further that no drawback shall be allowed—

(i) if the said goods, except tea chests used as packing materials for export of blended tea, have been taken into use after manufacture; or

(ii) if the said goods are produced or manufactured using imported materials or excisable materials in respect of which duties have not been paid."

"6. *Cases where amount or rate of drawback has not been determined*:—

(1)(a) Where no amount or rate of drawback has been determined in respect of any goods, any manufacturer or exporter of such goods may, before exporting such goods, apply in writing to the Central Government for the determination of the amount or rate of drawback therefor stating all relevant facts including the proportion in which the materials or components are used in the production or manufacture of goods and the duties paid on such materials or components.

(b) On receipt of an application under clause (a) the Central Government shall after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, determine the amount or rate of drawback in respect of such goods.

(2)(a) Where an exporter desires that he may be granted drawback provisionally, he may, after making an application under clause (a) of sub-rule (1), apply in writing to the Central Government that a provisional amount be granted to him towards drawback on the export of such goods pending determination of the amount or rates of drawback under clause (b) of that sub-rule;

(b) The Central Government may after considering the application authorise the Collector of Customs at the port where the goods are exported to pay provisionally an amount not exceeding seventy five per cent of the amount claimed by the exporter in respect of such export:

Provided that the Collector of Customs may, for the purpose of allowing provisional payment of drawback in respect of such export require the exporter to enter into a general bond for such amount, and subject to such conditions, as the Collector of Customs may direct; or to enter into a bond for an amount not exceeding the full amount claimed by such exporter as drawback in respect of a particular consignment and binding himself—

(i) to refund the amount so sanctioned provisionally if, for any reason, the Central Government decides not to allow the drawback; or

(ii) to refund the excess if any, paid to him provisionally if the Central Government decides to allow a drawback:

Provided further that when the amount or rate of drawback payable on such goods is finally determined, the amount provisionally paid to such exporter shall be adjusted against the drawback finally payable and if the amount so adjusted is in excess or falls shorts of the drawback finally payable, he shall repay to the Collector of Customs the excess or be entitled to the deficiency, as the case may be.

(c) The bond referred to in clause (b) may be with such surety or security as the Collector of Customs may direct.

(3) Where the Central Government considers it necessary so to do, it may cancel authorisation referred to in sub-rule (2) from such date as it may specify."

"7. *Cases where amount or rate of drawback determined is low*:

(1) Where in respect of any goods, the manufacturer or exporter finds that the amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4 for that class of goods is less than three-fourths of the duties paid on the materials or components used in the production or manufacture of the said goods, he may make an application in writing to the Central Government for fixation of appropriate amount or rate of drawback stating all relevant facts including the proportion in which the materials or components are used in the production or manufacture of the goods and the duties paid on such materials or components.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Central Government may, after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, allow payment of drawback to such exporter at such amount or at such rate as may be determined to be appropriate if the amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be revised rule 4 is in fact less than three fourths of such amount or rate determined under this sub-rule."

All the goods in respect of which drawback is allowed by Government on export are covered by the 59 main heads in the table. 'All Industry' rates of drawback have been prescribed in respect of as many products as possible. Where a particular export product falling within the general description of any of 59 main heads is not covered by the 'all industry' rates, the exporters

may get the brand rates fixed under Rule 6. The exporters can also avail of the facility of fixation of rate or amount of drawback up to 75% of the drawback claimed in terms of rule 6(2) of the Rules.

Where an exporter finds that in his case the rate or amount of drawback is less than three-fourth of the duties paid on the materials and components used in the production of or manufacture of goods the facility of fixation of special brand rate may be availed of under rule 7 of the Rules.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

[नई दिल्ली, 16 जून, 1975

सं० प्रतिअदायगी /सा० सू० 53/75.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र , असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70–प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन , केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

सभी क्रमांकों, उप-क्रमांकों और उन से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 1 जून, 1975 से उस स्थिति में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा जब अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, अर्थात् :—

तालिका

नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची –11 में क्रम सं०	उप-क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3	4
1.		परिरक्षित फल और फल निर्मितियां डिब्बे में बंद , बोतलों में बंद अथवा और अन्यथा अविनिर्दिष्ट सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां	
	101.	परिरक्षित फल और फल निर्मितियां डिब्बे में बंद , बोतलों में बंद अथवा और अन्यथा अविनिर्दिष्ट सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां ।	ब्रांड दर अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।

1	2	3	4
	102.	फलों की चटनी जिस में भार के आधार पर चीनी 50 प्रतिशत से कम न हो।	ऐसे माल का 15.84 रु० (केवल पन्द्रह रुपये चौरासी पैसे) प्रति क्विंटल ।
	103.	जैम और जैली जिस में भार के आधार पर चीनी 60 प्रतिशत से कम न हो ।	ऐसे माल का 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति क्विंटल ।
	104.	शर्बत में डिब्बा बन्द फल जिस में—	
		(क) भार के आधार पर 16 प्रतिशत से कम	ऐसे माल का 5.07 रु० (केवल पांच रुपये सात पैसे) प्रति क्विंटल ।
		(ख) भार के आधार पर 16 प्रतिशत से कम परन्तु 13.5 प्रतिशत से कम चीनी न हो।	ऐसे माल का 4.28 रु० (केवल चार रुपये अट्ठाइस पैसे) प्रति क्विंटल ।
	105.	स्क्वाश जिस में भार के आधार पर 40 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 12.67 रु० (केवल बारह रुपये सड़सठ पैसे) प्रति क्विंटल ।
	106	फलों का सिरप संश्लिष्ट सिरप और शर्बत जिन में 65 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 20.59 रु० (केवल बीस रुपये उनसठ पैसे) प्रति क्विंटल ।
	107.	फ्रूट कार्डियल जिन में भार के आधार पर 30 प्रतिशत से कम चीनी न हो।	ऐसे माल का 9.50 रु० (केवल नौ रुपये पचास पैसे) प्रति क्विंटल ।
	108.	बार्ली वाटर तथा लैमन बार्ली वाटर जिस में भार के आधार पर 40 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 12.67 रु० (केवल बारह रुपये सड़सठ पैसे) प्रति क्विंटल ।
	109.	फ्रूट रस जिस में भार के आधार पर 55 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 17.42 रु० (केवल सत्रह रुपये बयालीस पैसे) प्रति क्विंटल ।
	110.	मार्मेलड जिस में भार के आधार पर 60 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति क्विंटल ।
	111.	कंदित और केलासित अथवा ग्लेस्ड फल और छिलका जिन में भार के आधार पर 60 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति क्विंटल ।

1	2	3	4
	112.	आम का गूदा जिसमें	
		(क) भार के आधार पर 5 प्रतिशत से कम चीनी न हो।	ऐसे माल का 1.58 रु० (केवल एक रुपया अठावन पैसे) प्रति क्विंटल ।
		(ख) भार के आधार पर 5 प्रतिशत से कम परन्तु 3 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 0.95 रु० (केवल पचानबे पैसे) प्रति क्विंटल ।
	113.	परिरक्षित फल जिनमें भार के आधार पर 60 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति क्विंटल ।
	114.	मीठा किया हुआ फलों का रस (डिब्बा बन्द या बोतल बन्द) जिसमें भार के आधार पर 10 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 3.17 रु० (केवल तीन रुपये सत्रह पैसे) प्रति क्विंटल ।
	115.	आम का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिये तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर 15 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 4.75 रु० (केवल चार रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति क्विंटल ।
	116.	पपीते का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर 15 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 4.75 रु० (केवल चार रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति क्विंटल ।
	117.	अमरूद का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर 15 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 4.75 रु० (केवल चार रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति क्विंटल ।
	118.	अंगूर का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर 15 प्रतिशत से कम चीनी न हो ।	ऐसे माल का 4.75 रु० (केवल चार रुपया पचहत्तर पैसे) प्रति क्विंटल ।
		(लेकिन शर्त यह है कि फल उत्पाद, फल उत्पाद आदेश, 1955 के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये हों) ।	
2.	**इन्सटेन्ट काफी :**		
	201.	इन्सटेन्ट काफी जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड दर अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है।

1	2	3	4
3.	**कोको पेस्ट, मक्खन, पाउडर, चाकलेट और अन्य खाद्य निर्मितियां जिन में कोको हो :**		
	301.	कोको पेस्ट, मक्खन पाउडर, चाकलेट और अन्यत्र अविनिर्दिष्ट ऐसे अन्य खाद्य निर्मितियां जिनमें कोको हो ।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है ।
4.	**चीनी की बनी मिठाई (कन्फेक्शनरी) और चीनी की अन्य निर्मितियां :**		
	401.	चीनी की बनी कन्फेक्शनरी और चीनी की अन्य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है ।
5.	**बिस्कुट :**		
	501.	बिस्कुट जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है	ब्राण्ड-दर, अलग अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है ।
	502.	सभी प्रकार के बिस्कुट	बिस्कुट की सूक्रोज अन्तर्वस्तु का 0.317 रु० (केवल इकतीस दशमलव सात पैसे) प्रति किलोग्राम तथा वनस्पति उत्पाद अन्तर्वस्तु का 0.245 रु० (केवल चौबीस दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम ।
6.	**कोप्रा-केक :**		
	601.	कोप्रा-केक जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
7.	**बिना अल्कोहल वाले पेयों के लिये खांड और आधारी वस्तु :**		
	701.	बिना अल्कोहल वाले पेयों के लिये खांड और आधारी वस्तु जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड-दर अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
8.	**अल्कोहल वाले पेय :**		
	801.	अल्कोहल वाले पेय जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	– यथोपरि –
9.	**तम्बाकू की विनिर्मितियां :**		
	901.	तम्बाकू की विनिर्मितियां जो अन्यत्र निर्दिष्ट नही है ।	ब्राण्ड-दर अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।

1	2	3	4
	902.	पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू जिसके तैयार करने में (पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल तथा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न) विदेशी मूल के तम्बाकू का उपयोग किया गया है ।	पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू में पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू अन्तर्वस्तु का 32.65 रु० (केवल बत्तीस रूपये और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु शर्त यह है कि :—

(क) इस दर पर प्रतिग्रदायगी, पाइप अथवा सिगरेट के केवल ऐसे तम्बाकू पर दी जायगी जो इस प्रयोजन के लिए उस इलाके के सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें पाइप अथवा सिगरट का ऐसा तम्बाकू तैयार किया जाता है;

(ख) पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों की देख-रेख में तैयार किया जाता है;

(ग) पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू ऐसे सील बन्द डिब्बों में पैक किया जात है जिनमें फेर बदल नहीं किया जा सकता हो और जिनके बाहर की तरफ माल का विस्तृत ब्यौरा निर्दिष्ट किया गया हो; और

(ङ) बर्मा, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू की जो मात्रा निर्यात किये जाने वाले पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू में विद्यमान है उसके सम्बन्ध में सीमाशुल्क समाहर्ता का समाधान कर लिया गया हो।

	903.	सिगरेटें, जिनके निर्माण में (पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी मूल के तम्बाकू का इस्तेमाल किया गया है।	सिगरेटों में निहित पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी मूल के तम्बाकू की मात्रा का 32.65 रू० (केवल बत्तीस रूपये और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

लेकिन शर्त यह है कि :

(क) इस दर पर प्रतिग्रदायगी केवल ऐसी सिगरेटों पर ही दी जाएगी जो उस व्यक्ति द्वारा तैयार की गयी है जो इस प्रयोजन के लिए उस इलाके के सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा पंजीकृत किया गया है जिसमें ऐसी सिगरेटों का निर्माण किया जाता है ; और

(ख) पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू की जो मात्रा निर्यात किए जाने वाली सिगरेटों में विद्यमान है उसके सम्बन्ध में सीमाशुल्क समाहर्ता का समाधान कर लिया गया है।

1	2	3	4
	904.	सिगारों जिनके निर्माण में (पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के सिगार रैपर तम्बाकू से भिन्न) विदेशी मूल के सिगार रैपर तम्बाकू इस्तेमाल किया गया है।	सिगार के निर्माण में इस्तेमाल किए गये, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, बर्मा, अथवा भूटान मूल के सिगार रैपर तम्बाकू से भिन्न विदेशी मूल के सिगार रैपर तम्बाकू की मात्रा का 31.50 रु० (केवल इक्कतीस रुपये और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु शर्त यह है कि :—

(क) आयात की गई सामग्रियों के पैकेजों की सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा तस्दीक कर ली गई हो और आयात के पत्तन पर उनके वितरण से पूर्व उन पर सीमाशुल्क विभाग की मुहर लगा दी गई हो।

(ख) जिस कारखाने में सिगारों का निर्माण किया जाता है उसके कार्यभारी केन्द्रीय उत्पादनशुल्क अधिकारी की अनुमति से सीलबन्द पैकेज खोले गये हैं और आयात की गयी समाग्रियों का विनिर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया है।

(ग) आयात किये गए सिगार रैपर तम्बाकू के इस्तेमाल के सम्बन्ध में निर्माता ने ऐसे ढंग से खाता रखा है जो सिगार के निर्माण के कारखाने के स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सहायक केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(घ) निर्यात, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अधीन निर्धारित फार्म-ए और-4 (के०उ०शु० की श्रंखला संख्या 60) के अधीन किया जाता है।

	905.	हुक्का तम्बाकू पेस्ट जिसमें भार के आधार पर 20 प्रतिशत से कम तम्बाकू नहीं हो।	0.35 रु० (केवल पेंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
10.		**पेट्रोलियम उत्पाद :**	
	1001.	पैट्रोलियम उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्त्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर नियत की जानी है।
11.		**कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, रसायनिक उत्पाद :**	
	1101.	कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, रसायनिक उत्पादन जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें, अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है।

1	2	3	4
1102.	डाइक्रोमेट:		
	(i) सोडियम डाइक्रोमेट डिहाइड्रेट		96.00 रु० (केवल छियानवें रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) पौटाशियम डाइक्रोमेट		300.00 रु० (केवल तीन सौ रूपये) प्रति मीट्रिक टन ।
1103.	एलुमिना फेरिक		20.80 रु० (केवल बीस रुपये और अस्सी पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
1104.	रिक्त		
1105.	रिक्त		
1106.	रिक्त		
1107.	पोताश एलुमी		3.90 रु० (केवल तीन रुपये और नब्बे पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
1108.	रिक्त		
1109.	क्रोमिक एसिड		177.50 रु० (केवल एक सौ सतहत्तर रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
1110.	एलम और एलुमिनियम सलफेट जिसमें लोहा न हो ।		
	(1) अमोनिया एलम		17.30 रु० (केवल सत्रह रुपये और तीस पैसे) प्रति टन ।
	(2) एलुमिनियम सलफेट		20.40 रु० (केवल बीस रुपये और चालीस पैसे) प्रति टन ।
1111.	रिक्त		
1112.	कास्टिक पोटाश		783.00 रु० (केवल सात सौ तिरासी रूपये) प्रति टन ।
1113.	सोडियम सलफेट		105.00 रु० (केवल एक सौ पांच रुपये) प्रति टन ।
1114.	सोडियम थियोसलफेट		35.00 रु० (केवल पैंसीत रुपये) प्रति टन ।
1115.	सोडियम बाइसल्फाइट		65.00 रु० (केवल पैंसठ रुपये) प्रति टन ।
1116.	18 प्रतिशत या उससे अधिक के सक्रिय अपमार्जक युक्त संश्लिष्ट अपमार्जक		698.70 रु० (केवल छ सौ अठानवें रुपये और सत्तर पैसे) प्रति टन ।
1117.	रिक्त		
1118.	पोटाशियम परमैंग्नेट (97–100 प्रतिशत)		(केवल आठ सौ पचास रुपये) प्रति टन ।
1119.	रिक्त		
1120.	रिक्त		

1	2	3	4
	1121.	हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेकनिकल ग्रेड जिसमें 28 प्रतिशत से कम एच० सी० एल० न हो।	11.58 रु० (केवल ग्यारह रुपये और अठावन पैसे) प्रति टिन।
	1122.	स्टेबिल ब्लीचिंग पाउडर	30.00 रु० (केवल तीस रुपये) प्रति टन।
12.		**औषधिद्रव्य और औषधीय उत्पाद :**	
	1201.	औषधि द्रव्य और औषधीय उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	1202.	रिक्त	
	1203.	जिंक-आक्साइड एडेसिव प्लास्टर बी०पी०सी०	32.00 रु० (केवल बत्तीस रुपये) प्रति एक सौ वर्ग मीटर।
13.		**संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य रंजक माध्यमिक और रंग लेक :**	
	1301.	संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य, रंजक माध्यमिक और रंग लेक जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
		वर्णक, रंग, पेन्ट, इनेमल, वार्निश, लेकर, संश्लिष्ट पोलिएस्टर (एपाक्सी) रेजिन, मुद्रण स्याही और लेखन स्याही :	
	1401.	रंजक द्रव्य रंग, पेन्ट, इनेमल, वार्निश, लेकर, संश्लिष्ट, पोलिएस्टर, (एपाक्सी) रेजिन, मुद्रण स्याही और लेखन स्याही, जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	1402.	संश्लिष्ट इनेमल सफेद	2.84 रु० (केवल दो रुपये और चौरासी पैसे) प्रति लीटर।
	1403.	संश्लिष्ट इनेमल रंगीन	0.89 रु० (केवल नवासी पैसे) प्रति लीटर।
	1404.	प्लास्टिक इमल्शन पेंट	3.10 रु० (केवल तीन रुपये और दस पैसे) प्रति लीटर।

1	2	3	4
	1405.	पेस्ट पेन्टस अर्थात् केवल असली जिंक सफ़ेद पेन्ट	2545.00 रु० (केवल दो हजार पांच सौ पैंतालीस रुपये) प्रति टन ।
	1406.	रिक्त	
	1407.	रिक्त	
	1408.	रिक्त	
	1409.	रिक्त	
	1410.	रिक्त	
	1411.	रिक्त	
	1412.	रिक्त	
	1413.	आयल बाउण्ड डिस्टैम्पर	0.51 रु० (केवल इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	1414.	रिक्त	
	1415.	मुद्रण स्याही	6.60 रु० (केवल छः रुपये और साठ पैसे) प्रति क्विन्टल ।
	1416.	लाल सीसा	2080.00 रु० (केवल दो हजार अस्सी रुपये) प्रति टन ।
	1417.	रिक्त	
	1418.	लिथार्ज	2025.00 रु० (केवल दो हजार पच्चीस रुपये) प्रति टन ।
	1419.	जिंक आक्साइड	2925.00 रु० (केवल दो हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) प्रति टन ।
		सुगन्धित तेल, हाइड्रोजिनेट्यड कैस्टर आयल, सुगन्धित सामग्री, अगर बत्तियां, श्रृंगार सामग्री, पालिश, और सफाई संबंधी निर्मितियां :	
	1501.	सुगन्धित तेल, हाइड्रोजिनेट्यड कस्टर आयल, सुगन्धित सामग्री, अगरबत्तियां श्रृंगार सामग्री, पालिश और सफाई सम्बन्धि निर्मितियां जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं ।	अण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	1502.	अगरबत्तियां जिनमें शुद्ध अगरबत्तियां शामिल नहीं हैं ।	जहाज तक निःशुल्क मूल्य का 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) ।

1	2	3	4
16.		**विस्फोटक आतिशबाजी उत्पाद (आतिशबाजी) निरापद दियासलाई और निरापद फ्यूज :**	
	1601.	विस्फोटक, आतिशबाजी उत्पाद (आतिशबाजी) निरापद दियासलाई और निरापद फ्यूज जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	1602.	दियासलाई, सभी प्रकार की।	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 2.4 प्रतिशत (केवल दो दशमलव चार प्रतिशत)।
17.		**फोटोग्राफी और सिनेमा का माल :**	
	1701.	फोटोग्राफी और सिनेमा का माल जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी हैं ।
	1702.	(i) रंगीन फ़िल्में, उद्भाषित रंगीन ।	56.96 रु० (केवल छप्पन रुपये छियानवे पैसे) प्रति 100 मीटर लम्बाई के लिये ।
			1–6–75 से 6–6–75 तक
		(ii) सिनेमा फ़िल्में उद्भाषित श्याम । तथा श्वेत ।	15.90 रु० (केवल पन्द्रह रुपये नब्बे पैसे) प्रति 100 मीटर लम्बाई के लिये ।
			7–6–75 से 12.50 रु० (केवल बारह रुपये और पचास पैसे) प्रति 100 मीटर लम्बाई के लिये
18.		**कीटनाशी, नाशिकीट मार, फसंगनाशी, घासपातनाशी औषधियां और उन से बनी औषधियां :**	
	1801.	कीटनाशी, नाशिकीटमार फ़संगनाशी, घासपातनाशी औषधियां और उनसे बनी औषधियां जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता /निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी हैं ।
19.		**संश्लिष्ट रेजिन (जिस में असंजक सम्मिलित है) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री और उन से बनी वस्तुएं :**	
	1901.	संश्लिष्ट रेजिन (जिसमें असंजक सम्मिलित हैं) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी हैं ।

1	2	3	4
1902.	रिक्त		
1903.	रिक्त		
1904.	रिक्त		
1905.	रिक्त		
1906.	एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर से बनी वस्तुएं अथवा वस्तुओं के संघटक पुर्जे तथा उनसे बनायी गई वस्तुएं (जिसमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परत-दार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में, और उनसे बनायी गई वस्तुएं शामिल नहीं हैं) ।	553.00 रु० (केवल पांच सौ तिरपन रुपये) प्रति क्विंटल ।	

परन्तु यह तब, जब कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क; अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्य विधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1907.	सेलुलोस एसिटेट मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परतवालीसे सेलुलोस एसिटेट की चादरें अथवा शला-काओं अथवा ट्यूबों आदि से बनायी गई वस्तुएं अथवा किसी वस्तु से संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग चादरें तथा फिल्में, शामिल नहीं हैं) ।		
	(क) चादरों की बनी हुई	370.00 रु० (केवल तीन सौ सत्तर रुपये) प्रति क्विंटल ।	
	(ख) अन्य	1395.00 रु० (केवल एक हजार तीन सौ पचानवे रु०) प्रति क्विण्टल ।	

परन्तु यह तब, जब कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56–क अथवा 191–क अथवा 191–ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1	2	3	4
1908.	सेलुलोज एसिटेट ब्यूराइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत की सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट चादरों शलाकों/ट्यूबों आदि से बनायी गई वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग चादरें तथा फिल्में, शामिल नहीं हैं)।	1580.00 रु० (केवल एक हजार पांच सौ अस्सी रुपये) प्रति क्विंटल।	

परन्तु यह तब, जब कि निर्यातकर्ता, सीमाशुल्क समाहर्ता के इतमीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और निर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम सेलुलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर, राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिये मुक्त कर दिया गया है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंण्टल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्व वर्ती बारह महीनों की कालावधि में प्रयुक्त किया गया है और सेलुलोस ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर की मात्रा --

(क) सेलुलोस, एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओं के किसी अन्य पिछले निर्यात से तत्समान सह-संबंधित नहीं है और उसमें नहीं ली गई है ; अथवा

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रूप में वापसी के लिये दावे सहित या इसके बिना, पहले पुनः निर्यात नहीं की गई है।

व्याख्या.---यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी मुक्ति निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को ध्यान में रखा जायगा।

इसमें अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्य विधियों का भी पालन नहीं किया जाता हो।

1909.	सेलुलोस नाइट्रेट चादरों, छड़ों, अथवा ट्यूबों से बनायी गई वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे।	3353.00 रु० (केवल तीन हजार तीन सौ तिरपन रुपये) प्रति क्विण्टल।

1	2	3	4

परन्तु यह तब, जब कि निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता के इतमीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम सेलुलोस नाइट्रेट चादरें, छड़े अथवा ट्यूबों राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिये मुक्त कर दी गई हैं और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर प्रयुक्त की गई है और यह कि सेलुलोस नाइट्रेट चादरों, छड़ों अथवा ट्यूबों की मात्रा :—

(क) सेलुलोस नाइट्रेट चादरों, छड़ों अथवा ट्यूबों की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान सह-संबंधित नहीं है और उसमें ली नहीं गई है; अथवा

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रूप में, प्रति अदायगी के लिये दावे सहित या उसके बिना पहले पुनः निर्यात नहीं की गई है ।

व्याख्या.—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी, निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा, राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में, सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायगा ।

इसके अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56—क अथवा 191—क अथवा 191—ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1910.	केनाल फार्मेल्डीहाइड मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत के केनाल फार्मल्डीहाइड चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनाई गई वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिसमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में, शामिल नहीं हैं)	705.00 रु० (केवल सात सौ पांच रुपये) प्रति क्विंटल ।	

परन्तु, यह तब, जब कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 56—क अथवा 191—क अथवा 191—ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1	2	3	4
1911.	पोलिएमाइड मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत वाली पालिएमाइड चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनाई गई वस्तु अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्ज (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें और फिल्में, शामिल नहीं हैं)		2585.00 रु० (केवल दो हजार पांच सौ पच्चासी रुपये) प्रति क्विंटल ।

परन्तु यह तब, जबकि निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद-रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम पोलिएमाइड एम० पी० छड़े राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिये मुक्त कर दी गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर प्रयुक्त की गई है और पोलिएमाइड एम० पी० की मात्रा (i) उक्त वस्तु के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान सह-संबंधित नहीं है और उसमें ली नहीं गई है; अथवा (ii) इस रूप में या किसी अन्य रूप में प्रति अदायगी के दावे सहित या उसके बिना पहले पुनः निर्यात नहीं की गई है ।

व्याख्या—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी, निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायगा ।

इसमें शर्त यह है कि उक्त वस्तुओं के संबंध में निर्माता/निर्यातकर्त्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56—क अथवा 191—क अथवा 191—ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का भी पालन नहीं किया जाता हो ।

1912.	बिना परतवाली एक्रिलिक चादरों से बनायी गई वस्तु अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे ।		संगत आगम-पत्र में प्रति क्विंटल एक्रिलिक चादर पर अदा की गई आयात शुल्क की रकम अथवा 1258.00 पये (केवल एक हजार दो सौ अट्ठावन पये) प्रति क्विंटल, इनमें जो भी कम हो ।

परन्तु यह तब जब कि :—

(i) निर्यातकर्त्ता सीमाशुल्क समाहर्त्ता के इतमीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम एक्रिलिक चादरें,

1	2	3	4

निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा आयात की गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर, प्रयुक्त की गई हैं और एक्रिलिक चादर की मात्रा—

(क) एक्रिलिक चादरों की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान सहसंबंधित नहीं है और उसमें नहीं ली गई है ;

अथवा

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रूप में प्रतिअदायगी के लिये दावे सहित या इसके बिना पहले पुनः निर्यात नहीं की गई है ।

उपर्युक्त मामले में दर पूर्णतया लागू होगी :

(ii) जिस मामले में ऊपर विनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो उसमें दर 553·00 रु० (केवल पांच सौ तिरपन रुपये) प्रति क्विंटल होगी ।

व्याख्या—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायगा ।

इसमें अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्याविधियों का भी पालन नहीं किया जाता हो ।

1913. पालिएस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत वाली पालिएस्ट्रीन चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनायी गयी वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में शामिल नहीं हैं) — 680.00 रु० (केवल छ : सौ रुपये) प्रति क्विंटल ।

परन्तु यह तब, जबकि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क या 191-क या 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1914. पोलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परतवाली पोलीथिलीन की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से — 488.00 रु० (केवल चार सौ अट्ठासी रुपये) प्रति क्विण्टल ।

1	2	3	4
		बनी वस्तुएं अथवा उनसे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरें तथा फिल्मों, चाहें वे परतदार हों अथवा नहीं, शामिल नहीं है)।	

परन्तु यह कि निर्माताओं/निर्यातकर्ताओं द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56–क अथवा 191–क अथवा 191–ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1915.	यूरिया फार्मेल्डिहाइड मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परतवाले यूरिया फार्मेल्डिहाइड की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उनसे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरों तथा फ़िल्में—चाहे वे परतदार हों अथवा नहीं—शामिल नहीं हैं)।	718.00 रु०	(केवल सात सौ अठारह रुपये) प्रति क्विंटल ।

परन्तु यह कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56–क अथवा 191–क अथवा 191–ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1916.	पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परतवाली पोलिप्रोपीलीन की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उनसे बनी वस्तुओं के निर्माणक हिस्से (जिस में कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीट अथवा फिल्में—चाहे वह परतदार हों अथवा नहीं—शामिल नहीं हैं)	1020.00 रु०	(केवल एक हजार बीस रुपये) प्रति क्विंटल ।

परन्तु यह कि:—

(i) निर्यातकर्ता, सीमाशुल्क समाहर्ता को उनके समाधानप्रद रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करता है और निर्माता का इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करता है कि निर्यात किये गये प्रति क्विंटल उत्पाद के निर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता को राज्य व्यापार निगम द्वारा 105 किलोग्राम पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर मुक्त

1	2	3	4

किया गया है तथा उसका इस्तेमाल किया गया है और यह कि पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर की इस मात्रा को —

(क) पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओं के किसी अन्य निर्यात में इसी प्रकार सह सम्बद्ध नहीं किया गया है तथा हिसाब में नहीं दिखाया गया है ; अथवा

(ख) प्रतिअदायगी के दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी भी अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है :

यह दर पूर्णतया लागू होगी ।

(ii) जहां उपरिनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता वहां यह दर 488.00 रु० (केवल चार सौ अट्ठासी रुपये) प्रति क्विंटल होगी ।

व्याख्या.—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायेगा ।

परन्तु यह भी कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1917.	मेलामाइन फ़ार्मेल्डिहाइड मोल्डिंग पाउडर या बिना परत की मेलामाइन फ़ार्मेल्डिहाइड की चादरों/छड़ों/ ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उससे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड शीटिंग, शीटें अथवा फिल्में— चाहे ये परतदार हों अथवा नहीं— शामिल नहीं हैं) ।	940.00 रु० (केवल नौ सौ चालीस रुपये) प्रति क्विंटल ।

परन्तु यह कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्याविधियों का पालन नहीं किया गया हो ।

1918. पोलिविनाइल क्लोराइड संयोजन तथा बिना परत के सख्त तथा लचीले पोलिविनाइल क्लोराइड बोर्डों, शीटिंग/चादरों/फिल्मों/ ले फ्लेट ट्यूबिंग आदि से बनायी गई वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिन में सख्त

1	2	3	4
		प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में तथा लचीली पोलिविनाइल क्लोराइड शीटिंग्ज, चादरें, फिल्में तथा लेफ्लैट ट्यूबिंग, चाहे उनमें टैक्सटाइल सामग्री हो अथवा नहीं, शामिल नहीं है)	
		(क) लचीला	190.00 (केवल एक सौ नब्बे रुपये) प्रति क्विंटल ।
		(ख) सख्त-पी०वी०सी० पइप/कण्ड्-यूट तथा (सख्त) पाइपों से बने उपकरण	295.00 रु० (केवल दो सौ पंचानवे रुपये) प्रति क्विंटल ।
		(ग) पाइपों के अवाला सख्त	259.00 रु० (केवल दो सौ उनसठ रुपये) प्रति क्विंटल ।
		(घ) बिना सहारे की लचीली चादरें	17.50 रु० (केवल सत्रह रुपये और पचास पैसे) प्रति क्विंटल ।
		परन्तु यह तब, जब कि उक्त वस्तुओं के सम्बंध में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क या 191क या 191ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधिकों का पालन नहीं किया जाता हो ।	
1919.		एक्रिलिक प्लास्टिक्स से बनायी गई बिना परत के सख्त प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरें अथवा फिल्में ।	553.00 रु० (केवल पांस सौ तिरपन रुपये) प्रति क्विंटल ।
1920.		सेलुलोस एसिटेट मोल्डिंग पाउडर से बनी बिना परत के सख्त प्लाटिक बोर्ड, शीटिंग, चादरें अथवा फिल्में ।	370.00 रु० (केवल तीन सौ सत्तर रुपये) प्रति क्विंटल ।
1921.		लचीला पोलिविनाइल क्लोराइड शीगिट, चादरें, फिल्में लैफ्लैट फ्यूविरज, जिनमें कोई टैक्सटाइल सामग्री नहीं है ।	17.50 रु० (सत्रह रुपये और पचास पैसे मात्र) प्रति क्विंटल ।
1922.		स्टाइरीन एक्रिलोनिट्राइल कोपोलाइथर (जिसमें परतदार अथवा बिना परत का सख्त प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरें और फिल्में, शामिल नहीं हैं) से बनी वस्तु अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे ।	संगत आगम-पत्र में प्रति क्विंटल स्टाइरीन एक्रिलोनिट्राइल कोपोलाइमर पर अदा किये गये आयात शुल्क की रकम अथवा नौं सौ तिरासी रुपये (983.00 रु०) प्रति क्विंटल इनमें से जो भी कम हो ।
		परन्तु यह तब, जबकि निर्यातकर्ता सीमा शुल्क समाहर्ता के इतमीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र ले कर प्रस्तुत करता है कि स्टाइरीन एक्रिलोनिट्राइल कोपोलाइमर की 105 किलोग्राम की मात्रा निर्यातकर्ता या	

1	2	3	4

निर्माता द्वारा आयात की गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि में प्रयुक्त की गई है और आयात किये गये स्टाइरीन एक्रिलोनिट्राइल कोपोलाइमर की मात्रा—

(क) स्टाइरीन एक्रिलोनिट्राइल कोपोलाइमर की वस्तुओं के किसी अन्य पुर्वतन निर्यात से तत्समान सह-सम्बन्धित नहीं है और उसमें ली नहीं गई है ; या

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रुप में प्रतिग्रदायगी के लिये दावे सहित या उसके बिना पहले पुनः निर्यात नहीं की गई है ।

व्याख्या—वह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के भीतर की गई है, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में, सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में, सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जाएगा ।

इसमें अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में, निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क या 191-क या 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1923.	रिक्त		
1924.	प्लास्टिक की सभी प्रकार की चूड़ियां जो निम्नलिखित प्लास्टिक की वस्तुओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक वस्तुओं से बनी हो अर्थात् सेलुलोज एसिटेट मोल्डिंग पाउडर, सेलुलोज नाइट्रेट चादरें, सेलुलोज एसिसेट ब्यूटाईरेट मोल्डिंग पाउडर पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर तथा एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर अथवा चादरें जो मेटल फायल्स या वायर्स, लेकर्स आदि से अलंकृत तथा अनलंकृत हो ।		
	(i) जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री में पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर शामिल है ।	चूड़ियों के प्रति क्विंटल पर 680.00 रु० (केवल छः सौ अस्सी रुपये) ।	
	(ii) जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री में पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर शामिल नहीं है परन्तु एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर चादरें आदि शामिल हैं ।	चूड़ियों के प्रति क्विंटल पर 553.00 रु० (केवल पांच सौ तिरपन रुपये) ।	
	(iii) जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री में पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर तथा/अथवा एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर, चादरें आदि शामिल नहीं हैं परन्तु सेलुलोज एसिटेट मोल्डिंग पाउडर शामिल है ।	चूड़ियों के प्रति क्विंटल पर 1395.00 रु० (केवल एक हजार तीन सौ पचानवे रुपये) ।	

1	2	3	4
	(iv)	जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री में पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर अथवा चादरें आदि तथा सेलुलोज एसिटेट मोल्डिंग पाउडर शामिल नहीं है परन्तु सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर शामिल है।	चूड़ियों के प्रति क्विंटल पर 1580.00 रु० (केवल एक हजार पांच सौ अस्सी रुपए)।
	(v)	जिन मामलों में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री केवल सेलुलोस नाइट्रेट चादरें हैं।	चूड़ियों के प्रति क्विन्टल पर 3353.00 रु० (केवल तीन हजार तीन सौ तिरपन रुपये)।
	(vi)	जिन मामलों में इस्तेमाल की गयी प्लास्टिक सामग्री में वालिस्टिरीन मोल्डिंग पाउडर अथवा शीटें, एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर अथवा शीटें सेलूलोज एसीटेट मोल्डिंग पाउडर अथवा शीटें अथवा सेलूलोज एसीटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर शामिल नहीं है परन्तु पालिएमाईड मोल्डिंग पाउडर शामिल हो।	2585.00 रु० (केवल दो हजार पांच सौ पचासी रुपये) प्रति क्विन्टल।

इसमें शर्त यह है कि उपर्युक्त मद (iv) तथ (v) के सामने निर्दिष्ट प्रतिअदायगी की दरें उस स्थिति में लागू होंगी जब निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप से यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण–पत्र ले कर प्रस्तुत करता है कि, सेलुलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा सेलुलोस नाइट्रेट चादरों जैसा भी मामला हो की 105 किलोग्राम की मात्रा राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिए मुक्त कर दी गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विन्टल के विनिर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि में प्रयुक्त की गई है, और सेलुलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा सेलुलोस नाइट्रेड चादरों जैसा भी मामला हो, की मात्रा।

(क) सेलुलोस एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा सुलुलोस नाइट्रेट चादरें, जैसी भी स्थिति हो, की वस्तु के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान सह सम्बन्धित नहीं है और उसमें नहीं ली गई है ;

या

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रूप में, प्रतिअदायगी के लिए दावे सहित अथवा उसके बिना, पूर्णतः पुनः निर्यात नहीं की गई है।

व्याख्या–यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में

1	2	3	4
		सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जाएगा ।	

अतिरिक्त शर्त यह भी है कि प्लास्टिक चूड़ियों के निर्माण में, निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क या 191-क या 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्याविधियों का पालन नहीं किया जाता है ।

1925	सेलुलोस नाइट्रेट चादर के फ्रन्ट और सेलुलोस नाइट्रेट चादर की पार्श्वों वाले चश्मे के फ्रेम/चश्मे और धूप के चश्मे, चाहे वे लैंस/ग्लेयर ग्लास सहित या उनके बिना हो और निम्नलिखित सामग्री अर्थात् कब्जे, रिबेट, शील्ड ज्वाइण्ट्स, पार्श्वों पर तार, नौज पैडल, टिप्स में से किसी से सज्जित हो अथवा नहीं ।	**1-6-75 से 6-6-75** तक पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 42.5 प्रतिशत (केवल बयालीस दशमलव पांच प्रतिशत) अथवा 34.80 रु० (केवल चौतीस रुपये अस्सी पैसे) प्रति दर्जन, इनमें से जो भी कम हो ।	
		7-6-75 से 33.00 रुपये (केवल तैंतीस रुपये) प्रति दर्जन ।	
1926	रिक्त		
1927	लैंन्स/ग्लेयर ग्लास सहित या उसके बिना किसी भी रूप में सेलुलोस एसिटेट प्लास्टिक से बने चश्में के फ्रेम/चश्में और धूप के चश्में, चाहे वे निम्नलिखित सामग्री में से किसी से युक्त हों अथवा नहीं—कब्जे, रिबेट, शील्ड ज्वाइंट, पार्श्वों पर तार, रोल्डगोल्ड/गोल्ड फिल्ड/सोने का मुलम्मा किया हुआ तार और/अथवा संघटक, ऐलुमिनियम के एनोडीकृत पार्श्व, नोज बैंड, टिप आदि ।	6.75 रु० (केवल छः रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति दर्जन ।	

परन्तु यह तब, जबकि सीमाशुल्क समाहर्ता को यह इतमीनान हो जाये कि निर्यात किये गये चश्में/चश्में के फ्रेम, पुरुषों तथा महिलाओं के नाम के वास्तविक चश्में के फ्रेम—चश्में अथवा धूप के चश्में हैं ।

1928	सेलुलोस नाइट्रेट चादरों से बने चश्में के फ्रेमों के पार्श्व, चाहे उनमें जोड़ हो अथवा नहीं ।	12.40 रु० (केवल बारह रुपये चालीस पैसे) प्रति दर्जन जोड़े ।	

1	2	3	4
	1929	चश्मों के सभी अन्य प्लास्टिक फ्रेम/चश्मे/धूप के चश्में, जो अन्यत्र निर्विष्ट हों।	**1-6-75 से 6-6-75 तक** 2.95 रु० (केवल दो रुपए पंचानवे पैसे) प्रति किलोग्राम। **7-6-75 से** 2.59 रु० (केवल दो रुपए उनसठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
20		**संश्लिष्ट रबड़, सवांरा हुआ रबड़ और रबड़ की वस्तुएं :**	
	2001	संश्लिष्ट रबड़ संवारा हुआ रबड़ और रबड़ की वस्तुएं जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	ब्रांड दरें, अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी हैं।
	2002	सभी प्रकार के टायर तथा ट्यूबें जिनमें साइकिलों के टायर ट्यूब शामिल नहीं हैं परन्तु नीड रबड़ और फ्लैप शामिल हैं।	**1-6-75 से 6-6-75 तक :**
		(1) 2.50 से 6.70 तक की सेक्शनल चौड़ाई के आकार वाले टायर	
		(क) रेयन	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) नायलोन	2.30 रु० (केवल दो रुपए तीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(2) 7.00 से 14.00 तक जिनमें 14.00 भी शामिल है, की सेक्शनल चाड़ाई के आकार वाले टायर	
		(क) रेयन	0.84 रु० (केवल चौरासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) नायलोन	2.98 रु० (केवल दो रुपए अट्ठानब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(3) 15.00 तथा इससे अधिक के सेक्शनल चौड़ाई के आकार वाले टायर-नायलोन।	2.35 रु० (केवल दो रुपए पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(4) न्यूटाइल ट्यूबें उन ट्यूबों को छोड़कर जो प्राकृतिक कच्चे रबड़ अथवा देशी संश्लिष्ट रबड़ से निर्मित होती हैं अथवा साइकल ट्यूब।	1.69 रु० (केवल एक रुपया उनहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3	4
		(5) फ्लैष (सभी आकारों के)	0.24 रु० (केवल चौबीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(6) ट्वीड रबड़ (सभी आकारों के)	0.30 रु० (केवल तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		7-6-1975 से	
		ट्वीड रबड़ तथा फ्लैषों सहित निम्न-लिखित प्रकार के टायर तथा ट्यूबें	
		(1) 2.50 से 6.70 तक जिसमें 6.70 भी शामिल हैं, की सेक्शनल चौड़ाई के आकार वाले रेयन टायर	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(2) 7.00 से 14.00 तक, जिसमें 14.00 भी शामिल है, की सैक्शनल चौड़ाई के आकार वाले रेयन टायर	0.84 रु० (केवल चौरासी पैसे) प्रति कि0ग्रा0 ।
		(3) ब्यूटाइल ट्यूबें जिनमें प्राकृतिक कच्चे रबड़ अथवा स्वदेशी सोग्लिष्ट रबड़ से निर्मित ट्यूबें शामिल नहीं हैं अथवा साइकिल ट्यूबें	1.69 रु (केवल एक रुपया उनहत्तर पैसे) प्रति कि0 ग्रा0 ।
		(4) सभी आकार के फ्लैष	0.24 रु0 (केवल चौबीस पैसे) प्रति कि0ग्रा0 ।
		(5) सभी आकार की ट्वीड रबड़	0.30 रु० (केवल तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		21 खाल, चर्म, चमड़ा या कृत्रिम चमड़े की वस्तुएं, चमड़े का अन्य माल यात्रा-माल :	
2101		खाल, चर्म, चमड़ा, चमड़े या कृत्रिम चमड़े की वस्तुएं, चमड़े का अन्य माल, यात्रा-माल जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
2102		(क) पूर्वी भारत शोधित पशुचर्म और बछड़े की खालें, अर्थात् गाय की खालें, भैंसों की खालें, किप्स गाय का बछड़ा तथा पैडवा (पाडिया) चर्म ।	0.66 रु0 (केवल छियासठ पैसे) प्रति किलो ग्राम ।
		(ख) पूर्वी भारत शोधित खालें अर्थात् बकरी और भेड़ की खालें ।	0.68 रु0 (केवल अड़सठ पैसे) प्रति किलो ग्राम ।

1	2	3	4
		(ग) पूर्वी भारत शोधित सांप तथा सरीसृप की खालें।	0.63 रु० (केवल बेसठ पैसे) प्रति किलो ग्राम।
	2103	शोधित पशुचर्म और खालें, क्रोम शोधित (क्रोम शोधित नीली पशु चर्म और खालें) क्रोम छाल (चमड़ी) चमड़े और सर्प खाल से भिन्न।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.7 प्रतिशत (केवल दशमलव सात प्रतिशत)।
	2104	शोधित पशुचर्म और खालें, क्रोम शोधित क्रोम छाल (चमड़ी) चमड़ा जो सर्प खाल से भिन्न हो।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)।
	2105	सभी प्रकार का परिष्कृत चमड़ा, चमड़े की पट्टी, चियड़ों (कतरनों) के पट्टे, बकर, भेड़/बछड़े की बेलना कार (लपेटी हुई) खालें और चमड़े के पल्ल, सर्प खाल और सर्प चमड़े से भिन्न।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3.6 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव छः प्रतिशत)।
	2106	अटैची केसों, ब्रीफ केसों, महिलाओं के हैंड बैगों, वालेट, चमड़े के एपेरल, पर्स आदि जैसा यात्रा संबंधी तथा अन्य हल्की किस्म का चमड़े का माल	
		(क) छल्ले, वस्तुएं जैसा पीतल की फिटिंग्स के साथ लाभ	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.8 प्रतिशत (केवल सात दशमलव आठ प्रतिशत)।
		(ख) सभी अन्य	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5.3 प्रतिशत (केवल पांच दशमलव तीन प्रतिशत)
	2107	चमड़े का भारी माल जैसे काठी की चीजें, चमड़े के ट्रंक, चमड़े के सूटकेस	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5.3 प्रतिशत (केवल पांच दशमलव तीन प्रतिशत)।
	2108	चमड़े के औद्योगिक दस्ताने	पोत पयन्त निःशुल्क मूल्य का 4.8 प्रतिशत (केवल चार दशमलव आठ प्रतिशत)
	2109	सभी प्रकार के क्रोम लेदर वास्टर्स	1200.00 रु० (केवल एक हजार दो सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन, जिसमें पैकिंग सामग्री पर प्रति-अदायगी शामिल है।

1	2	3	4
		पृष्ठावरण, प्लाईवुड या उस से बने लकड़ी के उन्नत या पुनर्निर्मित उत्पाद :	
	2201	पृष्ठांवरण, प्लाईवुड, या उससे बने लकड़ी के उन्नत या पुनर्निर्मित, उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ।	ग्रांड दरें, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने पर नियत की जानी है ।
	2202	चाय के निर्यात के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त प्लाई बुड कलक की बनी चाय की पेटियों जिनके सभी तरफ एल्युमिनियम पन्नी की कतार और किनारों पर टिन प्लेट धातु की फिटिंग हों	289.80 रु० (केवल दो सौ नवासी रुपये अस्सी पैसे) चाय की पेटी के सतही क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर
	2203	चाय के निर्यात के लिये पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त प्लाई बुड कलक से बनी चाय की पेटियां (उपशीर्षक सं० 2202 के अन्तर्गत आने वाली पेटियों से भिन्न) और चाय की पेटियों और उनकी फिटिंग के लिए प्लाई बुड कलक	
		(i) चाय की पेटियों के लिए प्लाई बुड पेनल	
		(क) जब चाय के निर्यात के लिए चाय की पेटी के रूप में प्रयुक्त हों	184.30 रुपये (केवल एक सौ चौरासी रुपये तीस पैसे) ऐसी चाय की पेटियों के सतही क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मीटर
		(ख) जब कलक अथवा पट्टियों के आकार में कटे हों और उसी रूप में निर्यात किये जाये ।	1-6-75 से 6-6-75 तक 98.00 रु० (केवल अठानवे रु०) प्रति 100 वर्ग मीटर 7-6-75 से 85.30 रु० (केवल पचासी रुपये तीस पैसे) प्रति 100 वर्ग मीटर
		(ii) टिन प्लेट की बनी हुई चाय की पेटियों का धातु फिटिंग	0.95 रु० (केवल पचानवे पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(iii) तार की कीलें, टेंटर हुकें और रिवटें	0.34 रु० (केवल चौंतीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(iv) बेटनों को लपेटने के अथवा एल्युमिनियम पन्नी पर अस्तर के लिए उतक कागज	1.62 रु० (केवल एक रुपया बासठ पैसे) प्रति कि०ग्रा० ।

1	2	3	4
		(v) एल्यूमिनियम पन्नी	10.50 रु० (केवल दस रुपये पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा० 1-6-75 स 15-6-75 तक
	2204	सभी प्रकार की प्लाई वुड जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है	48.00 रु० (केवल अड़तालीस रुपये) प्रति ग्लू लाइन प्रति सौ वर्गमीटर 16-6-75 से आगे 40.35 रु० (केवल चालीस रुपये पैंतीस पैसे) प्रति ग्लू लाइन के प्रति सौ वर्ग मीटर
	2205	चाय की पेटियों से भिन्न प्लाई वुड की पेटियां—	
		(i) वे पेनल जिनमें से प्रत्येक का सतह क्षेत्र 5625 वर्ग से० मी० या उससे कम है।	ऐसे पैनलों के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 57.75 रु० (केवल सत्तावन रुपये और पचहत्तर पैसे)
		(ii) वे पेनल जिनमें से प्रत्येक का सतह क्षेत्र 5625 वर्ग से० मी० से अधिक है।	ऐसे पेनलों के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 117.70 (केवल एक सौ सत्रह रुपये और सत्तर पैसे)

स्पष्टीकरण

(1) उपक्रम संख्या 2205 के अन्तर्गत दी गयी दर 4 मि० मी० मोटाई वाले प्लाईवुड पेनलों के लिए है। अन्य मोटाइयों के लिए दर अनुपाततः बढ़ा या घटा दी जायेगी।

(2) उपक्रम संख्या 2204 में निर्धारित ग्लू लाइन के प्रति 100 वर्ग मीटर पर प्रति अदायगी, उप-क्रम सख्या 2205 में विहित दरों के अतिरिक्त दी जायेगी

23		**कार्क विनिर्मितियां जिनमें क,उन कार्क सम्मिलित हैं :**	
	2301	कार्क विनिर्मितियां, जिनमें अन्यत्र अविनिर्दिष्ट आउन कार्क भी शामिल हैं	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है
	2302	कार्क स्टापर	प्रति क्विंटल 110.70 रु० (केवल एक सौ दस रुपये और सत्तर पैसे)
	2303	कार्क डिस्क	107.00 रु० (केवल एक सौ सात रुपये) प्रति क्विंटल।

1	2	3	4
24.		**कागज की लुगदी, कागज, कागज के गत्ते तंतु गत्ता, काष्ठ लुगदी या वनस्पति तंतु के अन्य गत्ते, उनसे बनी वस्तुएं मुद्रित सामग्री, पुस्तकें, पत्रिकाएं**	
	2401.	कागज की लुगदी, कागज, कागज के गत्ते तंतु गत्ता, काष्ठ, लुगदी या वनस्पति तंतु के अन्य गत्ते, उनसे बनी वस्तुएं, मुद्रित सामग्री, पुस्तकें, पत्रिकाएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	ब्राण्ड दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	2402.	ताश के पत्ते	
		(i) आर्ट बोर्ड से बने	1.68 रु० (केवल एक रुपया और अड़सठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०
		(ii) लुगदी बोर्ड से बने	1.24 रु० (केवल एक रुपया और चौबीस पैसे) प्रति किलोग्राम
	2403.	रिक्त	
	2404.	रिक्त	
	2405.	रिक्त	
	2406.	रिक्त	
	2407.	ब्लाटिंग टायलेट, टिशू (सिगरेट टिशू के अलावा) टेलीप्रिंटर, टाइपराइटिंग पेनीफोड बैंक ब्राण्ड, आर्ट पेपर, क्रोम पेपर, टब साइज्ड पेपर, चेक पेपर, स्टाम्प पेपर, कार्टिज पेपर और पार्चमेंट से निर्मित अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं, जहां ऐसा कागज	
		(i) 40 से 45 ग्राम प्रति वर्ग मीटर का है।	0.84 रु० (केवल चौरासी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) 40 से 45 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से भिन्न का है।	1.62 रु० (केवल एक रुपया और बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2408.	समाचार पत्र	कुछ नहीं।

1	2	3	4
	2409.	मुद्रण और लिखाई के कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं—	
		(i) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का	0.84 रु० (केवल चौरासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अनधिक वाले पदार्थ का जिनमें रंगीन किस्में शामिल नहीं हैं, पदार्थ का	0.16 रु० (केवल सोलह पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iii) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अनधिक वाले रंगीन किस्मों के पदार्थ का	0.84 रु० (केवल चौरासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2410.	पैकिंग और लपेटने के कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	1.22 रु० (केवल एक रुपया और बाइस पैसे) प्रति किलो ग्राम
	2411.	लुगदी बोर्ड, ग्रे बोर्ड, डुपलेक्स बोर्ड और ट्रिपलेक्स बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं।	1.24 रु० (केवल एक रुपया और चौबीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2412.	आर्ट बोर्ड, क्रोम बोर्ड और ताश के पत्तों के बोर्ड सहित कोट किये हुए बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं।	1.68 रु० (केवल एक रुपया और अड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2413.	स्ट्रा बोर्ड और मिल बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं।	0.30 रु० (केवल तीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2414.	नालीदार बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं।	1.10 रु० (केवल एक रुपया और दस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2415.	कागज और कागज बोर्ड (उप क्रम संख्या 2407 से 2414 आदि में विनिर्दिष्ट सिगरेट टिशू पेपर और पेपर/पेपर बोर्ड से भिन्न) से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं।	
		(i) यदि वस्तुएं कागज से बनी हैं	0.76 रु० (केवल छिहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) यदि वस्तु बोर्ड की बनी है	1.60 रु० (केवल एक रुपया और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3	4
	2416.	क्लिप लगी चपटी फाइलें	लुगदी बोर्ड पर उप क्रम संख्या 2411 और टीन प्लेट अन्तर्वस्तु पर उपक्रम सं० 3618 के सामने विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार।
	2417.	पैकिंग और लपेटने के कागज, लुगदी बोर्ड, ग्रे बोर्ड, डुपलेक्स और ट्रिपलेक्स बोर्ड से बने कागज शंकु (कोन)	153.72 (केवल एक सौ तिरपन रुपये और बहत्तर पैसे) प्रति क्विंटल।
	2418.	स्ट्रा बोर्ड और/अथवा मिल बोर्ड से बने कागजी शंकु (कोन)	37.35 रु० (केवल सैंतीस रुपये और पैंतीस पैसे) प्रति क्विंटल।
	2419.	पुस्तकें—	
		(क) जहां प्रयुक्त किया गया मुद्रण का कागज (आवरण पृष्ठ को छोड़कर) 65 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का है।	1.00 रु० (केवल एक रुपया) प्रति किलोग्राम।
		(ख) जहां प्रयुक्त किया गया मुद्रण का कागज (आवरण पृष्ठ को छोड़कर) 65 ग्राम या इससे कम वाले पदार्थ का है।	0.64 रु० (केवल चौंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2420.	समाचार पत्रों से भिन्न, सजिल्द या सपाट मुड़े हुए कागजों के रूप में पत्र-पत्रिकाएं	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2421.	पोलीथीन कोट किये गये कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	कागज अन्तर्वस्तु पर ऊपर उप क्रम संख्या 2407 से 2415 तक के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर तथा पोलीथीन अन्तर्वस्तु पर उप क्रम संख्या 1914 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर।
	2422.	सिगरेट टिशू पेपर से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	पदार्थ में सिगरेट टिशू अन्तर्वस्तु का 4.20 रु० (केवल चार रुपये और बीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2423.	उप क्रम संख्या 2403 से 2418 और 2421 से 2422 पर विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा इन उप क्रम संख्याओं में उल्लिखित कागज/कागज बोर्ड के मिश्रण से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	प्रत्येक प्रकार के कागज/कागज बोर्ड अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में संगत उप क्रम संख्याओं के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दरें।

1	2	3	4
	2424.	पैकिंग सामान के रूप में प्रयुक्त कागज अथवा कागज बोर्ड	उप-क्रम संख्याओं 2407 से 2415 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर पर ।
	2425.	सभी प्रकार की कागज की ट्यूबें जिनमें रेशम संसिक्त कागज की ट्यूबें शामिल हैं, चाहे उन पर टिन की कवच चढ़ी हो अथवा नहीं :—	
		(i) पैक करने तथा लपेटने वाले कागज से बनी	उप-क्रम सं० 2410 के सामने विनिर्दिष्ट उपयुक्त दर पर
		(ii) मिल बोर्ड तथा स्ट्रा बोर्ड से बनी	उप-क्रम सं० 2413 के सामने विनिर्दिष्ट दर पर
		(iii) ग्रे बोर्ड डुप्लेक्स बोर्ड और पल्प बोर्ड से निर्मित	उप-क्रम संख्या 2411 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर पर ।
	25.	**संश्लिष्ट और पुनर्योजित फाइबर तथा वस्त्र बनाने का सूत, धागा, ट्रबाइन, डोरियां और रस्सियां :**	
	2501	संश्लिष्ट और पुनर्योजित फाइबर वस्त्र बनाने का सूत, धागा, ट्रबाइन, डोरियां और रस्सियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है ।
	2502	(क) 21 बी डब्लू एस काउण्टों अथवा 14 एन० एफ० काउण्टों से अधिक का सूत, जो या तो विस्कोज रेयन तन्तु या एसीटेट तन्तु या पोलियेस्टर तन्तु अथवा एक्रीलिक तन्तु अथवा ऊन से पूर्णतः काता गया हो, या ऊपर उल्लिखित तन्तुओं में से दो के और दो से अनधिक के मिश्रण से काता गया हो, या सूत अथवा रेशम के ऊपर उल्लिखित तन्तुओं में से किसी एक के मिश्रण से काता गया हो (लेकिन तन्तु वेस्ट, सूत, वेस्ट, या फेब्रिक वेस्ट से गार्नेटिंग अथवा अन्य किसी प्रक्रिया से काते गये धागे को छोड़कर) :—	
		(क) सेलुलोजिक तन्तु अन्तर्वस्तु	1.80 रुपये (केवल एक रुपया और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
	(ख) पोलियेस्टर तन्तु अन्तर्वस्तु		43.15 रु० (केवल तैंतालिस रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ग) एक्रिल तन्तु अन्तर्वस्तु		23.20 रु० (केवल तेईस रुपये और बीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(घ) पोलियामाइड तन्तु अन्तर्वस्तु		17.90 रु० (केवल सत्रह रुपये और नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ङ) ऊन अन्तर्वस्तु—		
	(i) वूल टाप से निर्मित बुनाई किस्म के वर्सटेड धागे में		21.30 रु० (केवल इक्कीस रुपये और तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) वूल टाप से नहीं बने बुनाई किस्म के वर्सटेड धागे में		15.90 रु० (केवल पन्द्रह रुपये और नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii) वूल टाप से निर्मित वर्सटेड होजरी धागे और वर्सटेड हाथ से बुनाई के धागे में		18.60 रु० (केवल अठारह रुपये और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iv) वूल टाप से नहीं बने वर्सटेड होजरी धागे और वर्सटेड हाथ से बुनाई के धागे में		13.20 रु० (केवल तेरह रुपये और बीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(च) रंग अन्तर्वस्तु यदि धागा रंगा हुआ हो ।		0.85 रु० (केवल पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु यह तब, जब कि—

(i) तन्तु अन्तर्वस्तु और ऊन अन्तर्वस्तु के कारण उपर्युक्त दरों पर प्रति-अदायगी केवल तब स्वीकार्य हो सकती है जब निर्माता निर्यातकर्ता जहाज पर माल लादने के समय यह घोषित करता है और यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के सामाधानप्रद रूप में इस बात का सबूत प्रस्तुत करता है ; कि निर्यात किये जाने वाले माल में अन्तर्निहित ऊपर (क) से (घ) तक उल्लिखित संश्लिष्ट तन्तु, शुल्क प्रदत्त नये तन्तु हैं (और ऐसे तन्तु नहीं हैं जो रद्दी तन्तु, रद्दी धागे अथवा रद्दी फेब्रिक के गारनेटिंग अथवा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किये गये हों) तथा ऊपर (ङ) पर उल्लखित ऊन केवल आयातित शुल्क प्रदत्त ऊन है ;

(ii) तन्तुओं पर अदा किये गये शुल्क से, केन्द्रीय उत्पादन नियमावली, 1944 के अधीन कोई छूट प्राप्त नहीं की गयी है ।

(iii) उन तन्तुओं के सम्बन्ध में तन्तु अन्तर्वस्तु पर उपर्युक्त दरों पर प्रति-अदायगी स्वीकार नहीं होगी, जिनके लिए ऊपर बताये अनुसार

1	2	3	4
		घोषणा नहीं की गयी है और ऊपर बताये अनुसार सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है ।	
	(ख) 21 बी० डब्ल्यू० एस० अथवा उससे कम काउंटों का पूर्णतः ऊनी वर्सटेड का हाथ की बुनाई का धागा—		
	(i) ऊन अंतर्वस्तु :—		
	(क) बूल टाप से निर्मित		16.20 रु० (केवल सोलह रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा ।
	(ख) बूल टाप से अनिर्मित		10.80 रु० (केवल दस रुपये अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा ।
	(ii) रंजक अंतर्वस्तु यदि धागा रंजित हो ।		धागे के प्रति किलोग्राम पर 0 85 रु० (केवल पचासी पैसे) ।
	बशर्ते कि ऊन अंतर्वस्तु के बारे में प्रतिअदायगी को उपर्युक्त दरें केवल तभी स्वीकार्य होगी यदि निर्माता/निर्यातकर्ता पोत-लदान के समय यह घोषणा करता है अ.र यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के समाधान के लिए यह सबूत प्रस्तुत करता है कि निर्यात किये जाने वाले माल में ऊन अन्तर्वस्तु आयात की गयी शुल्क-प्रदत्त ऊन है और यह कि धागा वर्सटेड है ।		
	(ग) 21 बी० डब्ल्यू० एस० अथवा उससे कम कांडटों का पूर्णत ऊनी वर्सटेड धागा (जिसमें पूर्णतः ऊनी वर्सटेड हाथ की बुनाई का धागा शामिल नहीं है ।		
	(i) बूल अन्तर्वस्तु—		
	(क) बूल टाप से निर्मित		5.40 रु० (केवल पांच रुपये चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
	(ख) बूल टाप से अनिर्मित		कुछ नहीं ।
	(ii) रंजक अन्तवस्तु यदि धागा रंजित हो ।		धागे के प्रति कि० ग्रा० पर 0.85 रु० (केवल पचासी पैसे) ।
	बशर्ते कि उन अंतर्वस्तु के बारे में प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर केवल तभी स्वीकार्य होगी यदि निर्माता/निर्यातकर्ता पोत-लदान के समय यह घोषणा करता है, और यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के समाधान के लिए यह सबूत प्रस्तुत करता है कि धागा वर्सटेड धागा है ।		

1	2	3	4
		(घ) ऐसे तंतुओं से काता गया रंजित धागा जिसमें संश्लिष्ट तंतु और/अथवा उन अंतर्निहित हों और जो गार्नेटिंग अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से तंतु की रद्दी, धागे की रद्दी अथवा वस्त्र की रद्दी से प्राप्त किया गया हो।	धागे के प्रति किलोग्राम पर 0·85 रु० (केवल पचासी पैसे)।
2503.		कते हुए सूत से बना धागा, ट्वाइन, डोरी तथा रस्सी जिसमें सूत, रेशम, ऊन तथा मानव निर्मित तन्तु हों, परन्तु जूट नहीं हो—	
		(क) धागा अन्तवस्तु :—	
		(i) धागे की अन्तर्वस्तु जिसे पूर्ण-तया सेलुलोजिक मूल के संश्लिष्ट स्टेपल तन्तु से काता गया हो अथवा सेलुलोजिक मूल के संश्लिष्ट स्टेपल तन्तु तथा सूत से काता गया हो, बशर्ते कि धागे में सूती अन्तर्वस्तु उसके भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो —	
		निम्नलिखित एन० एफ़० कांउंट अथवा उससे अधिक के	परन्तु निम्नलिखित एन० एफ़० काउंट से कम के
		(क) 84एन०एफ़०	— 4.18 रु० (केवल चार रुपये और अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) 69एन०एफ़०	84 एन० एफ़० 3.35 रु० (केवल तीन रुपये और पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ग) 51एन०एफ़०	69 एन० एफ़० 2.92 रु० (केवल दो रुपये बानवे पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(घ) 48एन०एफ़०	51 एन० एफ़० 2.50 रु० (केवल दो रुपये पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(ङ) 34एन०एफ़०	40 एन० एफ़० 1.67 रु० (केवल एक रुपया सड़सठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०।

1	2	3	4
		(च) 29एन०एफ़० 34 एन० एफ़०	1.50 रु० (केवल एक रुपया पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(छ) 22एन० एफ़० 29 एन० एफ़०	0.68 रु० (केवल अड़सठ पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(ज) 14एन०एफ़० 22 एन० एफ़०,	0.30 रु० (केवल तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(झ) — 14 एन० एफ़०,	0.16 रु० (केवल सोलह पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) धागे की अन्तर्वस्तु जिसे सेलुलोजिक मूल के संश्लिष्ट स्टेपल तन्तु और ऊन तथा/अथवा रेशम से काता गया हो बशर्ते कि धागे में ऊन तथा/अथवा रेशम अन्तर्वस्तु उसके भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।	12.55 रु० (केवल बारह रुपये और पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iii) धागे की अन्तर्वस्तु जिसे पूर्णतया संश्लिष्ट पोलिएस्टर अथवा पोलिएमाइड स्टेपल तन्तुओं अथवा अंशतः उक्त स्टेपल तन्तुओं से तथा अंशतः एक्रिलिक तन्तु/सेलुलोजिक स्टेपल तन्तु/ऊन/सूत रेशम से काता गया हो परन्तु यदि उसमें कोई ऊन तथा/अथवा सूत तथा/अथवा रेशम अन्तर्वस्तु हो तो वह भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और यदि उसकी नान सेलुलोजिक (पोलिएस्टर/पोलिएमाइड) तन्तु अन्तर्वस्तु—	
		(क) 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो ।	25.10 रु० (केवल पच्चीस रुपये दस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(ख) 50 प्रतिशत से कम हो परन्तु 25 प्रतिशत से कम नहीं हो ।	20.03 रु० (केवल बीस रुपये तीन पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(ग) 25 प्रतिशत से कम परन्तु 10 प्रतिशत से अधिक हो।	16.72 रु० (केवल सोलह रुपये बहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(घ) 10 प्रतिशत अथवा उससे कम हो ।	12.55 रु० (केवल बारह रुपये पचपन पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

1	2	3	4
		(iv) धागे की अन्तर्वस्तु जिसे या तो पूर्णतया एक्रिलिक तन्तु से अथवा अंशतः इस प्रकार के एक्रिलिक तन्तु तथा अंशतः सूत तथा/अथवा रेशम तथा/अथवा ऊन से काता गया हो बशर्ते कि धागे में सूत रेशम ऊन अन्तर्वस्तु उसके भार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो —	
		(क) बस्टड का हाथ की बुनाई का धागा।	11.70 रु० (केवल ग्यारह रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(ख) हाथ की बुनाई के धागे से भिन्न, बर्स्टेड।	
		(1) 40 एन० एफ० काउन्ट तथा उससे अधिक के	23.42 रु० (केवल तेइस रुपये ब्यालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(2) 20 एन० एफ० काउंट से अधिक तथा 40 एन० एफ० काउंट से कम के	13.38 रु० (केवल तेरह रुपये अड़तीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(3) 20 एन० एफ० काउन्ट तथा उससे कम के	6.70 रु० (केवल छः रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ग) वर्स्टेड से भिन्न—	
		(i) 40 एन० एफ० काउन्ट तथा उससे अधिक	13.38 रु० (केवल तेरह रुपये अड़तीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) 20 एन० एफ० काउन्ट से अधिक के परन्तु 40 एन० एफ० काउंट से कम के।	8.36 रु० (केवल आठ रुपये छत्तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(iii) 20 एन० एफ काउंट तथा उससे कम के।	5.02 रु० (केवल पांच रुपये और दो पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iv) धागों का अन्तर्वस्तु जिनमें कुल तन्तु धागा अन्तर्वस्तु पर परिकलित वजन का 90 प्रतिशत से कम ऊन नहीं हो।	
		(क) बर्स्टेड के हाथ की बुनाई के भूरे धागे की अन्तर्वस्तु	3.30 रु० (केवल तीन रुपये तीस पैसे) प्रति किलो ग्रा०।

1	2	3	4
		(ख) बर्स्टेड के हाथ की बुनाई के प्रक्रियागत और/अथवा रंजित ऊन के कते धागे की अन्तर्वस्तु	11.20 रु० (केवल ग्यारह रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(ग) हाथ की बुनाई से भिन्न बर्स्टेड धागे की अन्तर्वस्तु	
		(i) 48 पी डब्ल्यू एस काउंटों और उससे अधिक का	15.74 रु० (केवल पन्द्रह रुपये चौहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(ii) 24 बी डब्ल्यू एस काउंटों से अधिक लेकिन 48 बी० डब्ल्यू० एस० काउंटों से कम का	6.00 रु० (केवल छः रुपये) प्रति किलोग्राम।
		(iii) 24 बी डब्ल्यू एस काउण्टों और उससे कम का	3.30 रु० (केवल तीन रुपये तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(घ) ऊनी धागे की अन्तर्वस्तु (जिसमें 5 प्र० श० से अधिक नई ऊन नहीं हो), जो टेनरी अथवा स्ट्रिप ऊन से बने शोडी अथवा ऊनी धागे के नाम से सामान्यतः विख्यात है।	1.00 रु० (केवल एक रुपया) प्रति कि० ग्रा०।
		(ङ) ऊपर (क), (ख), (ग) और (घ) के अन्तर्गत आने वाले धागे से भिन्न ऊनी धागे की अन्तर्वस्तु।	2.60 रु० (केवल दो रुपये साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(iv) निम्नलिखित तन्तुओं में से दो या उससे अधिक से कते हुये धागे की अन्तर्वस्तु :— सूत, रेशम, ऊन और संश्लिष्ट मानव निर्मित तन्तु (लेकिन पटसन को छोड़ कर) बशर्ते कि ऊपर विनिर्दिष्ट प्रत्येक	

1	2	3	4
		तन्तु का वजन 90 प्र० श० से कम हो—	
		(क) रिक्त	
		(ख) (1) धागे की अन्तर्वस्तु जिसमें अंशतः गैर-सेलूलोजी मूल का संश्लिष्ट स्टेपिल तन्तु हो और अंशतः ऊन हो, इस प्रकार के संश्लिष्ट स्टेपिल तन्तु की अन्तर्वस्तु ऐसे धागे के वजन के 50 प्र० श० से अधिक हो ।	
		(i) यदि उसकी गैर-सेलूलोजी तन्तु अन्तर्वस्तु 60 प्र० श० अथवा उससे अधिक है ।	25.10 रु० (केवल पच्चीस रु० दस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(ii) यदि उसकी गैर-सेलुलोजी तन्तु अन्तर्वस्तु 56 प्रतिशत से अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम है ।	20.08 रु० (केवल 20 रु० आठ पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(iii) 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 56 प्रतिशत से अनधिक	
		(क) यदि धागे का काउंट 34 एन० एफ० अथवा कम हो ।	14.64 रु० (केवल चौदह रुपये चौसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ख) यदि धागे का काउंट 34 एन० एफ० से अधिक हो ।	16.72 रु० (केवल सोलह रुपये बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
		(2) धागा अन्तर्वस्तु जिसमें अंशतः गैर सेलूलोजी मूल का संश्लिष्ट स्टेपल तन्तु हो और अंशतः किसी अन्य तन्तु अथवा तन्तुओं का हो (जिसमें ऊन शामिल नहीं है), यदि ऐसे धागे को गैर सैलूलोजी तन्तु अन्तर्वस्तु का भार—	
		(i) 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो ।	25.10 रु० (केवल पचीस रुपये और दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ii) 50 प्रतिशत से कम परन्तु 25 प्रतिशत से कम नहीं हो।	20.08 रु० (केवल बीस रुपये और आठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iii) 25 प्रतिशत से कम परन्तु 10 प्रतिशत से अधिक हो ।	16.72 रु० (केवल सोलह रुपये और बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iv) 10 प्रतिशत अथवा इससे कम हो।	12.55 रु० (केवल बारह रुपये और पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ग) धागा अन्तर्वस्तु जिसमें अंशतः सैलूलोजी मूल का संश्लिष्ट तंतु हो और/अथवा सूत हो और अंशतः ऊन हो बशर्ते कि सैलूलोजी मूल का संश्लिष्ट स्टेपिल तन्तु अन्तर्वस्तु और/अथवा सूत ऐसे धागे के वजन के 50 प्रतिशत से अधिक हो और यदि गैर-सैलूलोजी तंतु अन्तर्वस्तु और/अथवा उन अन्तर्वस्तु का धागा	
		(i) 40 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम हो और धागे का काउण्ट 34 एन० एफ़० अथवा उससे कम है ।	11.30 रु० (केवल ग्यारह रुपये तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ii) 40 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 50 प्रतिशत से कम हो और धागे का काउन्ट 34 एन एफ़ से अधिक है ।	13.38 रु० (केवल तेरह रुपये और अड़तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iii) 20 प्रतिशत या उससे अधिक लेकिन 40 प्रतिशत से कम हो और धागे का काउण्ट 34 एन एफ़ या उससे कम है ।	7.95 रु० (केवल सात रुपये और पंचानवें पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
		(iv) 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 40 प्रतिशत से कम तथा सूत का काउण्ट 34 एन० एफ० से अधिक हो।	10.04 रु० (केवल दस रुपये और चार पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(v) 20 प्रतिशत से कम और सूत का काउंट 34 एन० एफ० अथवा उससे कम हो।	4.60 रु० (केवल चार रुपये साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(vi) 20 प्रतिशत से कम और सूत का काउंट 34 एन० एफ० से अधिक हो।	6.70 रु० (केवल छः रुपये और सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(घ) ऐसा धागा जिसमें अंशतः ऊन और/अथवा एक्रिलिक तन्तु तथा अंशत कोई अन्य तन्तु अथवा बहुत से तन्तु हो बशर्ते ऊन तथा/अथवा एक्रिलिक तन्तु अन्तर्वस्तु, इस प्रकार के धागे के भार का 50 प्रतिशत से अधिक हो—	
		(i) वर्स्टेड हाथ की बुनाई का कोरा धागा।	5.33 रु० (केवल पांच रुपये और तैंतीस पैसे) प्रति किलो ग्राम।
		(ii) वर्स्टेड हाथ की बुनाई का प्रक्रियागत और/अथवा रंगा हुआ धागा।	17.88 (केवल सत्रह रुपये और अट्ठासी पैसे) प्रति किलो ग्राम।
		(iii) हाथ की बुनाई के धागे से भिन्न वर्स्टेड धागा।	
		(1) 40 एन० एफ० काउंट और उससे अधिक का।	25.10 रु० (केवल पच्चीस रुपये और दस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(2) 20 एन० एफ० काउंट से अधिक का परन्तु 40 एन० एफ० काउंट से कम।	9.62 रु० (केवल नौ रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(3) 20 एन० एफ० काउंट और उससे कम का।	5.33 रु० (केवल पांच रुपये और तैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3	4
	(iv) धागा (जिसमें 60 प्रतिशत से कम ऊन नहीं हो तथा 5 प्रतिशत से अधिक नई ऊन नहीं हो), जिसे सामान्यतया शोडी कहा जाता है ।		1.67 रु० (केवल एक रूपया और सड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(v) वर्स्टेड धागे अथवा शोडी धागे से भिन्न धागा ।		4.18 रु० (केवल चार रुपये और अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ङ) धागे की अन्तर्वस्तु जो सेलुलोजिक मूल के सेश्लिष्ट स्टेपल तन्तु और सूत से बनी हो बशर्ते उपर्युक्त तन्तुओं में से प्रत्येक की अन्तर्वस्तु 90 प्रतिशत से कम हो—		
	काउंट का अथवा उससे अधिक के	परन्तु नीचे लिखे काउंट का	
i.	84 एन० एफ०	—	4.18 रु० (केवल चार रुपये और अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
ii.	69 एन० एफ०	34 एन० एफ०	3.35 रु० (केवल तीन रुपये और पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
iii.	51 एन० एफ०	69 एन० एफ०	2.92 रु० (केवल दो रुपये और बानवे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
iv.	40 एन० एफ०	51 एन० एफ०	2·50 रु० (केवल दो रुपये और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।
v.	34 एन० एफ०	48 एन० एफ०	1.67 रु० (केवल एक रुपया और सड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
vi.	29 एन० एफ०	34 एन० एफ०	1.50 रु० (केवल एक रुपया और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।
vii.	22 एन० एफ०	29 एन० एफ०	0.68 रु० (केवल अड़सठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
viii.	14 एन० एफ०	23 एन० एफ०	9.30 रु० (केवल तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
ix.	—	14 एन० एफ०	0.16 रु० (केवल सोलह पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
		(च) धागे की अन्तर्वस्तु जिसमें अंशतः रेशमी तन्तु तथा अंशतः कोई भी अन्य तन्तु अथवा बहुत से तन्तु हो बशर्ते रेशमी तन्तु अन्तर्वस्तु इस प्रकार के धागे के भार के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक हो—	
		(i) 34 एन० एफ० काउंट का अथवा उससे कम का	23.00 रु० (केवल तेइस रुपये) प्रति किलोग्राम ।
		(ii) 34 एन० एफ० काउंट अधिक का	25.10 रु० (केवल पचीस रुपये और दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

बशर्ते कि ऊपर (क) में विनिर्दिष्ट धागा अन्तर्वस्तु पर प्रति अदायगी उस स्थिति में देय हो सकती है जब कि निर्माता/निर्यातकर्ता जहाज पर लदान के समय यह घोषणा करता है कि प्रयुक्त धागे पर शुल्क अदा किया जा चुका है और उप-क्रम संख्या, मद तथा उप-मद विनिर्दिष्ट करता है जिनके अन्तर्गत प्रति अदायगी का दावा किया जाता है । उक्त घोषणा में धागे की संरचना में रेशे की मात्रा का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए और समाहर्ता को यह इत्मीनान हो जाना चाहिये कि धागा उस उप-क्रम सं०, मद और उप मद के अन्तर्गत आता है । अन्यथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रति अदायगी अन्य उपयुक्त दरों पर मंजूर की जाय ।

(ख) उपर उप-मद (क) पर विनिर्दिष्ट धागों से बनी वस्तुओं की रंजक अन्तर्वस्तु यदि उनमें उन तथा अथवा मानव निर्मित संश्लिष्ट तन्तु का कुल 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो और जब उन वस्तुओं का धागा रंगा गया हो अथवा कपड़ा रंगा गया हो ।		वस्तुओं के कते हुए धागे अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 0.90 रु० (केवल नब्बे पैसे ।
(ग) (1) 21 बी० डब्ल्यू० एस० काउंट/14 एन० एफ० काउंट से अधिक के धागों से बनी वस्तुओं में तन्तु अन्तर्वस्तु		
	पोलिएस्टर तन्तु	45.00 रु० (केवल पैंतालीस रुपये) प्रति किलोग्राम ।
	(ख) पोलिएमाइड तन्तु	18.65 रु० (केवल अठारह रुपये और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
		(ग) सेलुलोजिक तन्तु	1.85 रु० (केवल एक रुपया और पचासी पैसे) ।
		(घ) एक्रिलिक तन्तु	24.15 रु० (केवल चौबीस रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ङ) बुनाई के किस्म के बर्स्टेड धागे में ऊनी अन्तर्वस्तु	22.20 रु० (केवल बाईस रुपये और बीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(च) हौजरी किस्म के बर्स्टेड धागे में ऊनी अन्तर्वस्तु तथा हाथ की बुनाई का बर्स्टेड ऊनी धागा (बुनाई का ऊन)	19.40 रु० (केवल उन्नीस रुपये और चालीस पैसे (प्रति किलोग्राम) ।
		(छ) धागे में सूती अन्तर्वस्तु	
		(1) 34 एन० एफ० अथवा उससे अधिक के परन्तुक 51 एन० एफ० से कम के	0.82 रु० (केवल बयासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(2) 51 एन० एफ० तथा उससे अधिक परन्तु 69 एन० एफ० से कम	1.87 रु० (केवल एक रुपया और सतासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(3) 69 एन० एफ० तथा उससे अधिक	3.18 रु० (केवल तीन रुपये अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु यह कि (1) तन्तु अन्तर्वस्तु तथा ऊनी अन्तर्वस्तु के कारण उक्त दरों पर प्रति अदायगी तभी अनुमत्य होगी जब निर्माता/निर्यातकर्ता जहाज में लदान के समय यह घोषणा करे और यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के इतमीनान के लिये यह प्रमाण प्रस्तुत करे कि—

(क) निर्यात की वस्तुओं में उपर्युक्त मद (क) से (ङ) तक उल्लिखित संश्लिस्ट तन्तु शुल्क अदा किये गये नये तन्तु हैं और ये वे तन्तु नहीं हैं जिन्हें तन्तु रद्दी, धागे की रद्दी अथवा कपड़े की रद्दी से गार्नेटिंग अथवा किसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया गया हो); तथा

(ख) उपर्युक्त मद (च) तथा (छ) में उल्लिखित ऊन केवल शुल्क अदा किया गया आयातित ऊन है और धागा बर्स्टेड है ।

(ग) तन्तुओं पर अदा किये गये शुल्क पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त नहीं की गई है ।

(2) जिन तन्तुओं के बारे में उपर्युक्त अनुसार घोषणा नहीं की गई तथा उपर्युक्त अनुसार प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके सम्बन्ध में उपर्युक्त (छ) से भिन्न तन्तु अन्तर्वस्तु दरों पर प्रति अदायगी नहीं दी जाये ।

1	2	3	4
	(ii)	21 बी० डब्लू० एस० अथवा उससे कम काउन्ट के पूर्णतः ऊनी वर्स्टेड हाथ की बुनाई के धागे से बनी वस्तुओं में ऊनी अन्तर्वस्तु	16.80 रु० (केवल सोलह रुपये और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु यह कि ऊनी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दर पर प्रति अदायगी तभी अनुमत्य होगी जब जहाज में लदान के समय निर्माता/निर्यातकर्ता यह घोषणा करें तथा यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के इतमिनान के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत करें कि निर्यात के माल में ऊनी अन्तर्वस्तु शुल्क अदा किया गया आयातित ऊन है और धागा वर्स्टेड है ।

	(iii)	21 बी० डब्लू० एस० काउन्ट अथवा उससे कम काउन्ट के सम्पूर्ण ऊनी वर्स्टेड धागे (जिसमें हाथ की बुनाई का धागा शामिल नहीं है) से बने माल में ऊनी अन्तर्वस्तु ।	5.60 रू० (केवल पांच रुपये और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु यह कि ऊनी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दर पर प्रति अदायगी तभी अनुमत्य होगी जब जहाज के लदान के समय निर्माता/निर्यातकर्ता यह घोषणा करे और यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के इतमिनान के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत करे कि धागा वर्स्टेड धागा है ।

2504.	(क) सूती धागा :—		
	(अ) प्रक्रियागत		
	(i)	यदि धागा 34 एन० एफ़० अथवा उससे अधिक काउन्ट का हो परन्तु 51 एन० एफ़० काउन्ट से कम का हो ।	0.82 ० (केवल बयासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii)	यदि धागा 51 एन० एफ़० अथवा उससे अधिक काउन्ट का हो परन्तु 69 एन० एफ़० काउन्ट से कम का हो ।	1.87 रु० (एक रुपया और सतासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii)	यदि धागा 69 एन० एफ़० अथवा उससे अधिक काउन्ट का हो	3.18 रु० (केवल तीन रुपया और अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
		(आ) कोरा (अप्रक्रियागत)	
		(i) यदि धागा 34 एन० एफ़० अथवा उससे अधिक काउन्ट का हो परन्तु 51 एन० एफ़० काउन्ट से कम का हो ।	0.79 रु० (केवल उनासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ii) यदि धागा 51 एन० एफ़० अथवा उससे अधिक काउन्ट का हो परन्तु 69 एन० एफ़० से कम का हो ।	1.80 (केवल एक रुपया और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iii) यदि धागा 69 एन० एफ़० काउन्ट का अथवा उससे अधिक काउन्ट का हो ।	3.06 रु० (केवल तीन रुपये छः पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ख) सूती धागा	
		(अ) प्रक्रियागत	
		(i) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 34 एन० एफ़० अथवा उससे अधिक काउन्ट के हों परन्तु 41 एन० एफ़० काउन्ट से कम के हो ।	0.82 रु० (केवल बयासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ii) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 51 एन० एफ़० अथवा उससे अधिक काउन्ट के हों परन्तु 69 एन० एफ० काउन्ट से कम के हों ।	1.87 रु० (केवल एक रुपया और सतासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iii) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 69 एन० एफ० अथवा उससे अधिक काउन्ट के हों ।	3.18 रु० (केवल तीन रुपये और अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(आ) कोरा (अप्रक्रियागत)	
		(i) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 34 एन० एफ० अथवा उससे अधिक काउन्ट के हों परन्तु 51 एन०एफ० काउन्ट से कम के हों ।	0.79 रु० (केवल उनासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
		(ii) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 51 एन० एफ़० अथवा उससे अधिक काउन्ट के हों परन्तु 69 एन० एफ़० काउन्ट से कम के हो	1·80 रु० (केवल एक रुपया और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iii) यदि धागे में प्रयुक्त सभी रेशे 69 एन० एफ़० अथवा उससे अधिक काउन्ट के हों ।	3·06 रु० (केवल तीन रुपये और छः पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2505.	रिक्त		
2506.	(क)	पटसन का धागा, रस्सा डोरा और रस्सी जिसमें भार के अनुसार पटसन का 80 प्रतिशत से से कम नहीं हो (जिसमें बिमली पटम पटसन अथवा मेस्टा तन्तु शामिल है) जबकि उसका उसी रूप में निर्यात किया जाय अथवा उसका इस्तेमाल अन्य निर्यात माल को पैक करने के लिए किया जाय ।	600 रु० (केवल छः सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन तथा नीचे उप-मद (ख) के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर ।

इसमें शर्त यह है कि यदि माल का निर्यात इसी प्रकार किया जाता है तो उपर्युक्त दर पर प्रतिअदायगी तब लागू होगी जब निर्यातकर्ता शिपिंग बिल पर यह घोषित करता है तथा समाहर्ता के समाधानप्रदरुप में यह प्रमाण भी प्रस्तुत करता है कि माल पर शुल्क की अदायगी कर दी गई है तथा इस प्रकार के माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत छूट का दावा नहीं किया गया है । यह शर्त भी है कि जब पटसन का वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य निर्यात-माल को पैक करने के लिए किया जाता है तो पटसन की इस प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 191क तथा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि का पालन नहीं किया गया है ।

	(ख)	पटसन उत्पाद में शोधित डीजल तेल या पटसन बैचिंग तेल अन्तर्वस्तु	
		(i) हेसियन, डी०डब्ल्यू० तिरपाल तथा डी०डब्ल्यू० कैन्वस में प्रयुक्त होने वाली किस्म का हेसियन डी०डब्ल्यू० तिरपाल,	उत्पाद का 0.65 रु० (केवल पैंसठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
		डी०डब्ल्यू० पटसन कैन्वस तथा पटसन-धागा/पटसन रस्सा/ पटसन-डोरा।	
		(ii) उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट किस्म से भिन्न किस्म का पटसन-धागा पटसन-रस्सा तथा पटसन-डोरा।	उत्पाद का 0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(iii) पटसन के बोरे में तथा पटसन की निवाड़	उत्पाद का 0.87 रु० (केवल सतासी पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(iv) गलीचे के अस्तर का 2.64 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ा कपड़ा	उत्पाद का 0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(v) गलीचे के अस्तर का कम चौड़ा कपड़ा जिसकी चौड़ाई 2.64 मीटर से कम हो।	उत्पाद का 0.84 रु० (केवल चौरासी पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
2507.	रिक्त		
2508.	(क) बी०एस०एस० 2052/1953 के अनुसार निर्मित सुतली के रस्से		1241.70 रु० (केवल एक हजार दो सौ इकतालीस रुपये सत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन।

बशर्ते कि उपर्युक्त दर केवल तब लागू होगी यदि निर्माता पोत परिवहन बिल पर निर्यात के समय प्रमाण-पत्र देता है तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधान प्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार के सुतली के रस्सों का निर्माण पूर्ण तथा सिसल तन्तु के ग्रेड 1, 3-एल, 2, 3 तथा यू० जी० से किया गया है।

	(ख) बी०एस०एस० 2052/1953 के अनुसार निर्मित मनीला रस्से	2570.20 रु० (केवल दो हजार पांच सौ सत्तर रुपये बीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।

परन्तु यह दर केवल तब लागू होगी यदि निर्माता पोत परिवहन बिल पर निर्यात के समय प्रमाण-पत्र देता है तथा सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार के मनीला रस्सों का निर्माण पूर्ण तथा मनीला सन तन्तुओं के ग्रेड एस 1, एस-2, एस-3, जी-1 तथा जे० के० किस्मों से किया गया है।

	(ग) सिसल तन्तु तथा/अथवा मनीला सन तन्तु से पूर्णतः अथवा अंशतः निर्मित सभी अन्य रस्से, लाइनें, जहाजी रस्से, टुर्वाइन तथा स्लिंग्स	

1	2	3	4
		(i) सिसल तन्तु अन्तर्वस्तु	1241.70 रु० (केवल एक हजार दो सौ इकतालीस रुपये सत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(ii) मनीला सन तन्तु अन्तर्वस्तु	2323.15 रु० (केवल दो हजार तीन सौ तेईस रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		नोट.—उपक्रमांक 2508 के अन्तर्गत प्रति अदायगी की दरें 30-9-75 तक लागू रहेंगी।	
2509.		(क) विसकोस फिलामेन्ट धागा	1.50 रु० (केवल एक रुपया और पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(ख) विसकोस टायर धागा	1.95 रु० (केवल एक रुपया और पंचानबे पैसे) प्रति कि० ग्रा०
2510.		रिक्त	
2511.		पोलिएमाइड फिलामेन्ट धागा	10.60 रु० (केवल दस रुपये साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
2512.		रिक्त	
		परन्तु यह तब, जब कि उप-क्रम सं० 2509, 2511 के अन्तर्गत निर्धारित प्रति अदायगी की दरें उपर्युक्त तन्तु धागे से निर्मित वस्त्र के ऐसे निर्यात पर भी लागू हों, जो केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अधीन, इस प्रकार के तन्तु धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी बिना, बन्ध-पत्र के अधीन निर्यात किये गये हों।	
2513.		(1) पूर्णतः मानव निर्मित संश्लिष्ट तन्तु धागे से निर्मित बलित धागे, डोरियां (जिनमें पैराशूट की रस्सियां शामिल नहीं हैं) तथा रस्सियां।	
		(क) पालिएस्टर फिलामेंट धागा अन्तर्वस्तु—	
		(i) 30 डेनियर से नीचे	100.00 रु० (केवल एक सौ रुपये) प्रति किलो ग्राम।
		(ii) 30 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 75 डेनियर से कम	78.15 रु० (केवल अठहत्तर रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3	4
		(iii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम	66.45 रु० (केवल छियासठ रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iv) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से ऊपर नहीं।	57.45 रु० (केवल सत्तावन रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(v) 750 डेनियर से ऊपर	15.00 रु० (केवल पन्द्रह रुपये) प्रति किलोग्राम।
		(ख) पोलिएमाइड फिलामेंट धागा अन्तर्वस्तु :—	
		(i) 35 डेनियर से नीचे	69.40 रु० (केवल उनहत्तर रुपये चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(ii) 35 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 80 डेनियर से कम	63.30 रु० (केवल तिरसठ रुपये तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(iii) 80 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 110 डेनियर से कम	55.90 रु० (केवल पचपन रुपये नब्बे पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(iv) 110 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम	48.40 रु० (केवल अड़तालीस रुपये चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से ऊपर नहीं।	30.20 रु० (केवल तीस रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(vi) 750 डेनियर से ऊपर	20.15 रु० (केवल बीस रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ग) विसकोस फिलामेन्ट धागा अन्तर्वस्तु :	
		(i) 75 डेनियर से नीचे	21.45 रु० (केवल इक्कीस रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(ii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम	14.45 रु० (केवल चौदह रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति० कि० ग्रा०।
		(iii) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 120 डेनियर से कम	10.75 रु० (केवल दस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलो ग्राम।

1	2	3	4
		(iv) 120 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम	9.20 रु० (केवल नौ रुपये प्रति (बीस पैसे) किलोग्राम ।
		(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 350 डेनियर से कम	8.10 रु० (केवल आठ रुपये दस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(vi) 350 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 1100 डेनियर से ऊपर नहीं	5.90 रु० (केवल पांच रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(vii) 100 डेनियर से ऊपर का	4.00 रु० (केवल चार रुपये) प्रति किलोग्राम ।
		(घ) ऐसीटेट फिलामेंट धागा अन्स-वैस्तु :	
		(i) 75 डेनियर से नीचे	14.50 रु० (केवल चौदह रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम	10.90 रु० (केवल दस रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iii) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 120 डेनियर से कम	8.10 रु० (केवल आठ रुपये दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(iv) 120 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम	5.60 रु० (केवल पांच रुपये साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 350 डेनियर से कम	5.20 रु० (केवल पांच रुपये बीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(vi) 350 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 1100 डेनियर से ऊपर नहीं	4.25 रु० (केवल चार रुपये पच्चीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(vii) 1100 डेनियर से ऊपर	2.55 रु० (केवल दो रुपये पचपन पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

1	2	3	4
		(2) टैक्सचर्ड धागा अन्तर्वस्तु	फिलामेंट धागे की दर जो ऊपर उप-क्रमांक 2513 (1) (क) से (ध) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, जैसी स्थिति हो, और 10.00 रु० (केवल दस रुपये) प्रति कि० ग्रा० ।

परन्तु यह कि धागा अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त उल्लिखित दरें तभी लागू हो सकती हैं यदि धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी समुचित दरों पर की जा चुकी है तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन उक्त शुल्क में किसी प्रकार की छूट नहीं ली गई हैं ।

26. **टेक्सटाइल वस्त्र तथा होजरी** :

2601.	टेक्सटाइल वस्त्र तथा होजरी, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो	ग्रांड दर, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी हैं ।
2602.	प्रक्रियागत सूती वस्त्र जिनमें सूत की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो ।	(क) 34 एन० एफ० अथवा उससे अधिक परन्तु 51 एन० एफ० से कम काउंट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 0.82 रु० (केवल बयासी पैसे) (ख) 51 एन० एफ० अथवा उससे अधिक परन्तु 69 एन० एफ० से कम काउंट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 1.87 रु० (केवल एक रुपया और सतासी पैसे) (ग) 69 एन० एफ० अथवा उससे अधिक काउंट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 3.18 रु० (केवल तीन रुपये और अठारह पैसे)
2603.	अप्रक्रियागत सूती वस्त्र जिनमें सूत की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो ।	(क) 34 एन० एफ० तथा उससे अधिक काउंट परन्तु 51 एन०एफ० काउंट से कम की सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 0.79 रु० (केवल उनासी पैसे) ।

1	2	3	4
			(ख) 51 एन० एफ० तथा अधिक परन्तु 69 एन० एफ० से कम काउंट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलोग्राम पर 1.80 रु० (केवल एक रुपया अस्सी पैसे) ।
			(ग) 69 एन० एफ० अथवा उससे अधिक काउंट के सूती धागे में सूत की मात्रा के प्रति किलो ग्राम पर 3.06 रुपये (केवल तीन रूपये और छः पैसे) ।
2604.	रिक्त		
2605.	रिक्त		
2606.	वस्त्र और होजरी जो पूर्णतः बटे धागों से बनी हो जिसमें सूत, रेशम, ऊन तथा मानव निर्मित तन्तु हों परन्तु पटसन नहीं हो ।	धागा अन्तर्वस्तु रंग अन्तर्वस्तु, तन्तु अन्तर्वस्तु के लिए उप-क्रम सं० 2503 के सामने यथा उल्लिखित दरें बशर्ते कि उनमें दी गई शर्तें पूरी होती हो ।	

परन्तु यह कि उप-क्रम सं० 2503 (क) i(ङ) पर उल्लिखित धागों से बनाये गये वस्त्र के सम्बन्ध में धागा अन्तर्वस्तु के कारण कोई प्रतिअदायगी स्वीकार नहीं की जायगी ।

2607.	सूती धागे से निर्मित होजरी (जिनमें सूती धागे के बुने वस्त्र शामिल हैं)	
	(क) कोरा	उप-क्रम सं० 2628 के सामने उल्लिखित प्रति अदायगी की समुचित दर का 92.5 प्रतिशत (केवल बयानबे दशमलव पांच प्रतिशत)
	(ख) कोरे से भिन्न	उप-क्रम सं० 2628 के सामने उल्लिखत समुचित दर ।
2608.	रिक्त	
2609.	रिक्त	
2610.	रिक्त	
2611.	रिक्त	
2612.	रिक्त	

1	2	3	4
2613.	रिक्त		
2614.	रिक्त		
2615.	रिक्त		
2616.	रिक्त		
2617.	रिक्त		
2618.	रिक्त		
2619.	रिक्त		
2620.	पूर्णतया संश्लिष्ट तन्तु के मानव निर्मित धागे से बने वस्त्र तथा होजरी ।		उपक्रम सं० 2513 के सामने उल्लिखित धागा अन्तर्वस्तु की दरें अर्थात् कि उस में दी गयी शर्तें पूरी की जाती हों ।
2621.	विस्कासों टायर कार्ड फैब्रिक्स वार्प और शीट्स		1.95 रु० (केवल एक रुपया पंचानवे पैसे) प्रति किलोग्राम
2622.	(क) जूट फैब्रिक्स जिस में (क्रिमली-पटम जूट अथवा मेस्टा तन्तु सहित) जूट भार के अनुसार 90 प्रतिशत से कम नहीं हो जब उनका उसी रूप में निर्यात किया जाय अथवा जब उसका इस्तेमाल अन्य निर्यात वस्तुओं को पैक करने के लिये किया जाता हो ।		600.00रु० (केवल छः सौ रुपये) प्रति टन तथा परिष्कृत डीजल तेल अथवा पटसन बैंचिंग तेल अन्तर्वस्तु पर उप-क्रमांक 1003 के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर ।

1. इस में शर्त यह है कि यदि माल का निर्यात उसी रूप में किया जाता है तो उपर्युक्त दर पर प्रति-अदायगी तब लागू होगी जब निर्यातकर्ता पोत परिवहन बिल पर यह घोषित करता है तथा समाहर्ता के इतमीनान का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि माल पर शुल्क की अदायगी की जा चुकी है तथा इस प्रकार के माल की खेप के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत छूट का कोई दावा नहीं किया गया है ।

2. इस में यह भी शर्त है कि जब जूट की वस्तुओं का इस्तेमाल अन्य निर्यात वस्तुओं को पैक करने के लिये किया जाता है तो जूट की इस प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली के नियम 191–क तथा नियम 191–ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि का पालन नहीं किया गया है ।

	(ख) पटसन उत्पाद में शोधित डीजल तेल या पटसन बैंचिंग तेल अन्तर्वस्तु ।		

1	2	3	4
		(i) हेसियन, डी० डब्लू तिरपाल तथा डी० डब्लू केन्वस में प्रयुक्त होने वाली किस्म का हेसियन डी० डब्लू तिरपाल, डी० डब्लू पटसन-धागा / पटसन-रस्सा / पटसन डोरा ।	उत्पाद का 0.65 रू० (केवल पैंसठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट किस्म का पटसन धागा ; पटसन-रस्सा/पटसन-डोरा ।	उत्पाद का 0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे प्रति मीट्रिक टन ।
		(iii) पटसन के बोरे तथा पटसन की निवाड़ ।	उत्पाद का 0.87 रु० (केवल सतासी पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(iv) गलीचे के स्तर का 2.64 मीटर तथा इस से अधिक चौड़ा कपड़ा ।	उत्पाद का 0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(v) गलीचे के अस्तर का कम चौड़ा कपड़ा जिस की चौड़ाई 2.64 मीटर से कम हो ।	उत्पाद का 0.48 रु० (केवल अड़तालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
2623.	हथकरघे के सूती वस्त्र, अर्थात्		
		(i) असली मद्रासी रूमाल जिस पर नकली रेशम का अलंकरण हो ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत (केवल एक प्रतिशत) अथवा 0.51 रू० (केवल इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम, इन में से जो भी अधिक हो ।
		(ii) हथकरघे की लुंगियां जिन में चमकीले धागे वाली हथकरघा लुंगी भी शामिल हैं ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.4 प्रतिशत (केवल दो दशमलव चार प्रतिशत) ।
		(iii) हथकरघे के अन्य सभी वस्त्र जो या तो तैयार कर के रंगे गये हों तथा / अथवा रंगीन धागों से निर्मित हो तथा/ अथवा छपे हों (परन्तु इन में ऐसे वस्त्र शामिल नहीं हैं जिन में रंगीन धागे केवल बार्डर में हों तथा सारे वस्त्र में नहीं हों तथा / अथवा जिन में छपे हों तथा शेष सारा भाग छपा नहीं हो) और /अथवा जो वस्त्र	0.51 रू० (केवल इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
		पर नहीं अपितु वस्त्र के केवल किनारों पर छपे हों ।	
	2624.	रिक्त	
	2625.	पोलिविनाइल क्लोराइड यौगिक की निर्मिति से विलेषित अथवा उसकी परत चढ़े टैक्सटाइल फैब्रिकस	
		(1) पोलिविनाइल क्लोराइड यौगिक अन्तर्वस्तु ।	177.00 रु० (केवल एक सौ सतहत्तर रुपये) प्रति किवटल ।
		(2) आधारी फैब्रिक अन्तर्वस्तु (जिस में विद्युत करघा तथा हथकरघा के वस्त्र शामिल नहीं हैं)—	
		(i) जब आधारी फैब्रिक निम्न-लिखित वर्गों के सूती वस्त्र हों ।	
		(क) मोटा कोरा / बिरंजित / रंगा हुआ फैब्रिक ।	5.80 रु० (केवल पांच रुपये अस्सी पैसे) प्रति सौ वर्ग मीटर ।
		(ख) मध्यम कोरा / बिरंजित रंगा हुआ फैब्रिक	10.40 रु० (केवल दस रुपये चालीस पैसे) प्रति सौ वर्ग मीटर ।
		(ग) मध्यम 'क' कोरा फैब्रिक	16.00 रू० (केवल सोलह रुपये) प्रति एक सौ वर्ग मीटर ।
		(घ) मध्यम 'क' बिरंजित अथवा रंगा हुआ फैब्रिक ।	18.50 रु० (केवल अठारह रुपये पचास पैसे) प्रति एक सौ वर्ग मीटर ।
		(ii) जहां आधारी फैब्रिक विसकोस रेयन स्टैपल तन्तु का फैब्रिक हो ।	उप-क्रम सं० 2503 के अन्तर्गत नियत दरें लागू होंगी ।

परन्तु :—

(i) जहां निर्यात कर्त्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन आधारी सूती फैब्रिक (विद्युत करघा फैब्रिक से भिन्न) पर उत्पादन शुल्क से छूट का दावा नहीं करता हो , अथवा जहां पोलीविनाइल क्लोराइड यौगिक की निर्यात से विलेषित अथवा उसकी परत चढ़ा हुआ इस प्रकार का टैक्सटाइल फैब्रिक उक्त नियमावली के नियम 96—च अथवा 121—क अथवा 191—ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि के अनुसार निर्मित नहीं किया गया हो, वहां प्रति अदायगी को उपर्युक्त दर पूर्णतया लागू होगी ।

1	2	3	4
	(ii)	जहां निर्यातकर्ता ने आधारी सूती फैब्रिक पर (जिसमें हथकरघा अथवा विद्युत् करघा के फैब्रिक शामिल नहीं है) उत्पादन शुल्क से छूट का दावा किया हो अथवा आधारी सूती फैब्रिक (जिस में हथकरघा / विद्यत् करघो के सूती फैब्रिक शामिल नहीं है) अथवा पोलीविनाइल क्लोराइड शीटिंग के सम्बन्ध में ऊपर वर्णित कार्यविधियों का लाभ उठाया हो, वहां प्रतिअदायगी की दर इस संशोधन की शर्तों के साथ लागू होंगी कि, आधारी फैब्रिक अन्तर्वस्तु तथा / अथवा पोलीविनाइल क्लोराइड अन्तर्वस्तु यथास्थिति के सम्बन्ध में उल्लिखित दर लागू नहीं होगी।	
2626.	फैब्रिक्स और होजरी जो अंशतः मानव-निर्मित संश्लिष्क तन्तु धागे तथा अंशतः कते हुये धागे से बनी हो जिसमें सूत, रेशम ऊन तथा मानव-निर्मित तन्तु हों परन्तु जिसमें पटसन नहीं हो, जहां इस प्रकार के धागे अलंकरण और सजावट के धागे के रूप में ताना अथवा बाना या दोनों पों में इस्तेमाल किये जाते हों।	धागा अन्तर्वस्तु, तन्तु अन्तर्वस्तु तथा रंजक अन्तर्वस्तु के लिए क्रम सं० 2503 तथा / अथवा 2513, जैसा भी मामला हो, के सामने उल्लिखित दरें बशर्ते कि उसमें दी गई शर्तें पूरी होती हों परन्तु के क्रम सं० 2503 (क) (vi) (ङ०)में उल्लिखित धागा इस्तेमाल करने वाले फैब्रिक के सम्बन्ध में धागा अन्तर्वस्तु की प्रतिअदायगी स्वीकार्य नहीं होगी।	
2627	रिक्त		
2628.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19–1 के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक्स किये गये हों।		
	(i)	84 अथवा इस से अधिक काउंट की धागा अन्तर्वस्तु	7.20 रु० (केवल सात रुपये और बीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ii)	69 अथवा इससे अधिक परन्तु 84 से कम काउंटर की धागा अन्तर्वस्तु	6.83 ० (केवल छः रुपये और तिरासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(iii)	51 अथवा उससे अधिक परन्तु 69 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु	5.25 रु० (केवल पांच रुपये और पचीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(iv)	40 अथवा उस से अधिक परन्तु 51 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु।	3.88 रु० (केवल तीन रुपये और अठ्ठासी पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3	4
		(v) 34 अथवा अधिक परन्तु 48 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु	2.16 रु० (केवल दो रुपये और सोलह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(vi) 29 अथवा अधिक परन्तु 34 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु	1.18 रु० (केवल एक रुपया और अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(vii) 22 अथवा अधिक परन्तु 29 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु	8.64 रू० (केवल चौसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(viii) 14 अथवा अधिक परन्तु 22 से कम काउंट की धागा अन्तर्वस्तु	8.21 रु० (केवल इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ix) 14 काउंट से कम की धागा अन्तर्वस्तु	0.10 रु० (केवल दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु :

(i) जहां वस्त्र में विभिन्न काउंट के दो अथवा दो से अधिक धागे हों तथा / अथवा उपर्युक्त विभिन्न काउंट समूहों के अन्तर्गत आते हों तो प्रतिअदायगी, प्रत्येक वर्ग के धागे के भार के आधार पर उक्त काउंट समूहों पर लाग दर पर दी जायगी ।

(ii) धागे का काउंट कोरे बिना कलफ के धागे का साइज होगा जो प्रति आधा किलोग्राम 1000 मीटर की अट्टियों के रुप में व्यक्त किया गया है ।

(iii) निर्माता / निर्यातकर्त्ता पोत परिवहन बिल में घोषित करता है कि सूती वस्त्रों के निर्माण में इस्तेमाल किये गये धागे पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी की जा चुकी है ।

27. मुख्यतः टैक्सटाइल सामग्री से बनी तैयार वस्तुएं, पोशाकें :

2701.	मुख्यतः टैक्सटाइल सामग्री से बनी तैयार वस्तुएं , पोशाकें जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्रांड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
2702.	हथकरघे के सूती वस्त्रों से निर्मित तैयार पोशाकें ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.6 प्रतिशत (केवल एक दशमलव छः प्रतिशत) ।
2703.	हथकरघे के सूती वस्त्रों से तैयार वस्तुएं जो उप-क्रम सं० 2623 (ii) तथा 2623 (iii) के अन्तर्गत आती है :	0.51 रू० (केवल इक्यावन पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4
2704.	रिक्त		
2705.	टाइपराइटरों तथा कार्यालय संबंधी इसी प्रकार के उपस्करों में इस्तेमाल किये जाने वाली स्याहीयुक्त रिबन अथवा बिना स्याही वाले रिबन		महीन किस्म के सूती वस्त्र से बने रिबन का प्रति वर्ग मीटर 0 90 रु० (केवल नब्बे पसे) ।
2706	बुने हुए कपड़े और अन्य तैयार वस्तुएं जो पूर्णतया कते हुए धागे से बनी हो जिस में सूत, रेशम, ऊन और मानव निर्मित तन्तु हों परन्तु जिस-में जूट नहीं हो ।		उपक्रम-सं० 2503 के सामने धागा अन्तर्वस्तु, रंजक अन्तर्वस्तु तथा तन्तु अन्तर्वस्तु के लिए उल्लिखित दर बशर्ते कि उन में दी गई शत पूरी की जाती हों ।

परन्तु यह कि उपक्रम सं० 2503 (क) (vi) (ङ) पर उल्लिखित धागा इस्तेमाल करने वाले वस्त्र की तैयार वस्तुओं के संबंध में, धागा अन्तर्वस्तु के कारण कोई प्रतिअदायगी स्वीकार्य नहीं होगी।

2707.	रिक्त		
2708.	रिक्त		
2709.	रिक्त		
2710.	रिक्त		
2711.	रिक्त		
2712.	रिक्त		
2713.	रिक्त		
2714.	रिक्त		
2715.	रिक्त		
2716.	रिक्त		
2717.	रिक्त		
2718.	रिक्त		
2719.	रिक्त		
2720.	बुने हुए कपड़े तथा अन्य तैयार वस्तुएं जो अंशतः मानव निर्मित संश्लिष्ट तन्तु धागे से तथा अंशतः कते हुए धागों से बनी हों जिस में सूत, रेशम, ऊन, और मानव निर्मित तन्तु हों परन्तु जिस में जूट नहीं हो और जहां इस प्रकार		उप-क्रम सं० 2503 तथा / अथवा 2513, जैसा भी मामला हो, के सामने धागा अन्तर्वस्तु, तन्तु अन्तर्वस्तु तथा रंजक अन्तर्वस्तु के लिए उल्लिखित दरें, बशर्ते की उन में दी गई शर्तें पूरी की जाती हों परन्तु उपक्रम सं० 2503 (क) (vi) (ङ) पर उल्लिखित

1	2	3	4
		के धागे अलंकरण, सजावट के लिए ताना अथवा बाना अथवा दोनों के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं ।	धागा इस्तेमाल करने वाले वस्त्रों की तैयार वस्तुओं के संबंध में धागा अन्तर्वस्तु के कारण कोई प्रति-अदायगी स्वीकार्य नहीं होगी ।
	2721.	बुने हुये कपड़े तथा अन्य तैयार वस्तुएं (मछली पकड़ने के, जालों को छोड़ कर) जो पूर्णतः मानव निर्मित संश्लिष्ट तन्तु धागे चुने हुए धागे से निर्मित हों ।	उप-क्रम सं० 2515 के सामने उल्लिखित धागा अन्तर्वस्तु के लिए दरें परन्तु यह तब जब उस में दी गई शर्तें पूरी होती हों ।
	2722.	(क) अन्यत्र अविनिर्दिष्ट जूट निर्मितियां जिन में भार के अनुसार जूट का, (जिस में विमलीपटन जूट अथवा मेस्टा तन्तु शामिल है) 90 प्रतिशत से कम नहीं हो जबकि उन का निर्यात इसी रूप में किया जाये अथवा जब उनका इस्तेमाल अन्य वस्तुओं को पैक करने के लिए किया जाये ।	600 ० (केवल छः सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन तथा परिष्कृत डीजल तेल अथवा जूट बैचिंग तेल अन्तर्वस्तु पर नीचे उप-मद (ख) के अन्तर्गत नियत समुचित दर ।

इसमें शर्त यह है कि :—

(1) यदि माल का निर्यात इसी रूप में किया जाता हो तो प्रतिअदायगी उपर्युक्त दर पर तब लागू होगी जब निर्यातकर्ता पोत परिवहन बिल पर यह घोषित करता हो तथा समाहर्ता के इतमीनान का यह प्रमाण भी प्रस्तुत करता हो कि माल पर शुल्क की अदायगी कर दी गई है तथा इस प्रकार के माल की शेष के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत शुल्क में किसी छूट का दावा नहीं किया गया है ।

1	2	3	4
		(2) यह भी कि जब जूट की वस्तुओं का इस्तेमाल निर्यात की अन्य वस्तुओं को पैक करने के लिए किया जाता है तो जूट की इस प्रकार की वस्तुओं के संबंध में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली के नियम 191–क तथा नियम 191–ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्याविधि का पालन नहीं किया गया है ।	
		(ख) पटसन उत्पाद में शोधित डीजल तेल या पटसन बैचिंग तेलअन्तर्वस्तु :	
		(i) हेसियन, डी० डब्ल्यू० तिरपाल तथा डी० डब्ल्यू० कैन्वस में प्रयुक्त होने वाली किस्म का हेसियन, डी० डब्ल्यू० तिरपाल, डी० डब्ल्यू० पटसन कैन्वस तथा पटसन धागा/पटसन-रस्सा/पटसन-डोरा	उत्पाद का 0.65 रु० (केवल पैंसठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट किस्म से भिन्न किस्म का पटसन ; धागा पटसन-रस्सा तथा पटसन-डोरा	उत्पाद का 0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(iii) पटसन के बोरे तथा पटसन की निवाड़	उत्पाद का 0.87 रु० (केवल सतासी पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(iv) गलीचे के अस्तर का 2.64 मीटर तथा इसे अधिक चौड़ा	उत्पाद का 0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(v) गलीचे के अस्तर का कम चौड़ा कपड़ा जिसकी चौडाई 2.64 मीटर से कम हो	उत्पाद का 0.48 रु० (केवल अड़तालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
2723.	नारियल की जटा के उत्पाद जिनमें जूट तथा सिसल हो		जहां तक सिसल तन्तु अन्तर्वस्तु का सम्बन्ध है, उपक्रम सं० 2508 (ग) (i) के अन्तर्गत समुचित दर तथा जूट अन्तर्वस्तु यदि कोई हो, के लिए समुचित दर, जैसा कि उपक्रम सं० 2622 के अन्तर्गत उल्लिखित है ।

1	2	3	4
2724.	गैस मैण्टल		दर, प्रति 100 गुरुस
	(i)	200 सी०पी०	रु० 177.35 (केवल एक सौ सतहत्तर रूपये पैंतीस पैसे)।
	(ii)	300 सी०पी०	रु० 179.25 (केवल एक सौ उनासी रुपये पच्चीस पैसे) ।
	(iii)	400सी०पी०	रु० 201.00 (केवल दो सौ एक रुपये) ।
	(iv)	500सी०पी०	रु० 214.75 (केवल दो सौ चौदह रुपये पचहत्तर पैसे)।
	(v)	600सी०पी०	रु० 225.70 (केवल दो सौ पच्चीस रुपये सत्तर पैसे) ।
	(vi)	800 सी०पी०	रु० 234.85 (केवल दो सौ चौंतीस रुपये पचासी पैसे) ।
	(vii)	1000सी०पी०	रु० 234.85 (केवल दो सौ चौंतीस रुपये पचासी पैसे)
2725.	रिक्त		
2726.	पटसन की वस्तुएं जिन पर कागज अथवा पोलिथीन अथवा दोनों का अस्तर लगा हो/परत चढ़ी हो/एक्सट्रूजन विलेषित हो ।		
	(i)	पटसन तथा पोलिथीन अन्तर्वस्तु।	पटसन अन्तर्वस्तु के संबंध में उपक्रम सं० 2622 के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर तथा पोलिथीन अन्त-वस्तु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में पोलिथीन से बनी वस्तुओं के लिए उपक्रम सं० 1914 के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर ।
	(ii)	कागज अन्तर्वस्तु	क्रम सं० 24 के अन्तर्गत निर्धारित समुचित दर ।
2727.	सूती वाटर प्रूफ तिरपाल—		
	(i)	जहां तिरपाल का पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य रु० 4.20 प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रति-शत (केवल चार प्रतिशत) ।

1	2	3	4
		(ii) जहां तिरपाल का पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य रु० 4.20 प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत) ।

परन्तु यह तब जब कि सूती वाटर प्रूफ तिरपाल के निर्माण के सम्बन्ध में निर्माता/निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191—क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्याविधि का लाभ नहीं उठाया हो ।

2728.	रेयन तन्तु धागे से निर्मित रेयन के सभी आकारों के फीते अथवा रेयन की पट्टियां ।	रु० 2.80 (केवल दो रुपये अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्राम० ।
2729.	रिक्त	
2730.	टेक्सटाइल वस्त्रों से बनी सभी किस्म की तैयार पोशाकें परन्तु जिनमें (i) अंशतः अथवा पूर्णतया शुद्ध रेशम, (ii) सूती हथकरघा तथा विद्युत करघा वस्त्र और (iii) होजरी से बनी पोशाकें शामिल नहीं हैं:—	
	(i) जिन मामलों में पोशाकों के निर्माण में प्रयुक्त वस्त्रों पर शुल्क की अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता हो।	पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत) तथा उपक्रम सं० 2602, 2603, 2606, 2620 तथा 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के सम्बन्ध में, पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर यथास्थिति, निर्धारित की गई प्रति अदायगी की दरों का 103.5 प्रतिशत (केवल एक सौ तीन दशमलव पांच प्रतिशत) । तथा पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर वस्तुतः अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का 103.5 प्रतिशत (केवल एक सौ तीन दशमलव पांच प्रतिशत) ।

1	2	3	4
	(ii) अन्य		पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव पांच प्रतिशत) तथा उप-क्रम सं० 2602, 2603, 2606, 2620 तथा 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संबंध में, पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर, यथास्थिति, निर्धारित की गई प्रतिअदायगी की दरों का 103.5 प्रतिशत (केवल एक सौ तीन दशमलव पांच प्रतिशत) ।

परन्तु शर्त यह है कि जिन मामलों में निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत कार्य-विधि का लाभ उठाया हो, उनमें प्रतिअदायगी के उपर्युक्त दरें लागू नहीं होंगी ।

व्याख्या :—

(1) पोशाकों के निर्माण में प्रयुक्त ऐसे वस्त्रों पर, जिनकी निकासी किसी गेट-पास विशेष के अन्तर्गत की गई हो, उत्पादन शुल्क की अदायगी को प्रमाणित करने और उपर्युक्त (i) के अन्तर्गत प्रति-अदायगी का दावा पेश करने के लिए उन्हें निर्यात किये जाने वाले माल से यह-संबंधित करने की दृष्टि से, निर्यातकर्ता / निर्माताओं निर्यात के पत्तन के सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क को नीचे दिये गये प्रोग्रामों में विवरण पत्र i और ii पेश करेंगें । उक्त विवरण-पत्रों में किसी प्रकार के फेरबदल की सूचना निर्माता/निर्यातकर्ता निर्यात के पत्तन के सहायक समाहर्ता, को भेजी जायगी ।

(2) उन मामलों में जहां कारखाना पोत-लदान के स्थान से भिन्न स्थान पर स्थित हों वहां निर्यातकर्ता/निर्माता द्वारा उसी प्रकार के विवरण पत्रों i ii को उस सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क / के० उ० शुल्क को भी प्रस्तुत करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना हों और वह उन विवरण पत्रों की जांच करेगा और निर्यात के पत्तन पर सीमाशुल्क के संबंधित सहायक समा हर्ता को विवरण-पत्रों में दिए गए, ब्योरों की सत्यता के बारे में सूचित करेगा ।

(3) जिन मामलों में निर्माता/निर्यातकर्ता उपर्युक्त विवरण-पत्र i और ii पेश नहीं कर सकते उन मामलों में दावों का निपटान उपर्युक्त (ii) के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर किया जायेगा ।

(4) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित वस्त्र अन्तर्वस्तु का संकेत पोशाकों में प्रयुक्त मुख्य/बाह्य वस्त्र मात्र से है और इसमें अस्तर, कालर, कफ जेब आदि तथा अन्य सजावटों के लिए प्रयुक्त वस्त्र शामिल नहीं हैं ।

विवरण-पत्र I

संविदा सं० दिनांक
तथा शिपिंग बिल सं० दिनांक
के अन्तर्गत निर्यात किये गये माल के निर्माण के लिए शुल्क अदा किये गये वस्त्र की प्राप्ति को दिखाने वाला विवरण-पत्र ।

क्रम सं०	वस्त्रों का विवरण (किस्म की सं० का उल्लेख)	वस्त्र सप्लाई करने वाली मिल का नाम और पता	गेट पास सं० और तारीख	लिनियर मीटर	चौड़ाई
1	2	3	4	5	6

वर्ग मीटर	प्रति कि०ग्रा० वर्ग मीटर की सं०	शुल्क की दर	शुल्क की कुल रकम	तन्तु की संरचना में ताना और बाना/ताना/बाना	बस्त्रों की बनावट ताना बाना पिक काउंट रीड्स काउंट
7	8	9	10	11	12

वस्त्र विरंजित, रंजित मुद्रित हैं अथवा नहीं	इस वस्त्र से निर्मित पोशाकों का विवरण (विवरण-पत्र 11 की क्रम सं० दर्शायें)	विशेष
13	14	15

टिप्पणी.—उपर्युक्त विवरण-पत्र में दिये जाने वाले ब्यौरों का सम्बन्ध केवल निर्यात की पोशाकों में प्रयुक्त मुख्य वस्त्र से होना चाहिए और उनमें केवल वे वस्त्र ही होने चाहिए जिनका इस्तेमाल वास्तव में उपर्युक्त शिपिंग बिल के अन्तर्गत आने वाले निर्यात माल में किया गया हो । जेब, अस्तर आदि के लिए प्रयुक्त वस्त्रों का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है ।

विवरण-पत्र II

क्र०सं०	तैयार शुदा पोशाकों का ब्यौरा	कालम 2 में उल्लिखित पोशाकों की कोड सं०	विवरण-पत्र I की क्रम सं० जिसमें उस वस्त्र का उल्लेख किया गया है जिससे पोशाकें बनाई गई हैं	विशेष
1	2	3	4	5

1	2	3	4
28.	**फर्श के आवरण जिनमें कालीन शामिल हैं :**		
2801.	फर्श के आवरण जिन में कलीन भी शामिल हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ।		ब्रांड दरें, अलग-अलग निर्माता। निर्यातकर्त्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
2802.	मशीन से निर्मित गुच्छेदार ऊनी कालीनों से भिन्न ऊनी कालीन ।		1.70 रु० (केवल एक रुपया और सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
व्याख्या :— 'ऊनी कालीन' का अर्थ उस कालीन से है जिस में ऊनी धागा अन्तर्वस्तु का भार 50 प्रतिशत से कम नहीं हो ।			
2803.	कोयर और सिसल की चटाइयां अथवा मैटिंग्स		जहां तक सिसल तन्तु अन्तर्वस्तु का संबंध है उस क्रम सं० 2508(ग) (i) के अन्तर्गत समुचित दर तथा पटसन उत्पाद अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के लिए समुचित दर, जो उप क्रम सं० 2622 के सामने उल्लिखित है ।
2804.	ऐसी चटाइयां तथा मैटिंग्स जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में सिसल तन्तु तथा/अथवा मनीला हेम्प तन्तु से निर्मित हो ।		जहां तक सिसल तन्तु अन्तर्वस्तु का संबंध है, उप-क्रम सं० 2508(ग) (i) के अन्तर्गत समुचित दर तथा उपक्रम सं० 2508(ग) (ii) के अन्तर्गत मनीला हेम्प तन्तु अन्तर्वस्तु के लिए समुचित दरें।
2805.	ऊनी दरियां जिन में केलिम्स भी शामिल है, जिनका ताना सूती धागे अथवा लिनन धागे का तथा बाना ऊनी धागे का हो ।		ऊनी दरियों / केलिम्स के प्रति कि० ग्राम पर रु० 0.45 (केवल पैंतालीस पैसे) ।

1	2	3	4

29. जूते और जूतों के हिस्से

2901.	जूते और जूतों के हिस्से भाग, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	ब्रांड दरें, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता द्वारा आवेदित किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।	
2902.	जूते और जूतों के उपांग (जिनमें केनवस के जूते, प्लास्टिक के जूते, रबड़ के जूते, टायर के तले वाले जूते और कोल्हापुरी चप्पलें शामिल नहीं हैं) ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5.3 प्रतिशत (केवल पांच दशमलव तीन प्रतिशत) अथवा निम्नलिखित दरें, इन में जो भी कम हों :—	
		(क) चमड़े के मर्दाने जूते जिन में रबड़ अथवा चमड़े का तला हो — रु० 1.06 (केवल एक रुपया और छः पैसे) प्रति जोड़ा ।	
		(ख) चमड़े के जनाने जूते अथवा सैण्डल–हों रु० 0.33(केवल तैंतीस पैसे) प्रति जोड़ा ।	
		(ग) लड़कों के लिए चमड़े के जूते जिन में रबड़ अथवा चमड़े के तले हों–रु० 0.80 (केवल अस्सी पैसे) प्रति जोड़ा ।	
		(घ) बच्चों के लिये चमड़े के जूते जिन में रबड़ अथवा चमड़े के तले हों–रु० 0.80 (केवल अस्सी पैसे) प्रति जोड़ा ।	
		(ङ) चमड़े के मर्दाने सैण्डल जिन में रबड़ अथवा चमड़े के तले हों– रु० 0.64 (केवल चोंसठ पैसे) प्रति जोड़ा ।	
		(च) लड़कों के लिये चमड़े के सैण्डल जिन में रबड़ अथवा चमड़े के तले हों–रु० 0.48 (केवल अड़तालीस पैसे) प्रति जोड़ा ।	
		(छ) चमड़े के बचकाने सैण्डल जिन में रबड़ अथवा चमड़े के तले हों— रु० 0.48 (केवल अड़तालीस पैसे) प्रति जोड़ा ।	

1	2	3	4
			(ज) चप्पलें (जिन में कोल्हापुरी चप्पलें शामिल नहीं हैं) जिन में रबड़ अथवा चमड़े के तले हों— रु० 0.32 (केवल बत्तीस पैसे) प्रति जोड़ा ।
2903.	कैनवस रबड़ के जूते		पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत ।
30.	**छाते और छातों के उद्योग**		
3001.	छाते और छातों के उपांग जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।		आंड दरें, अलग-अलग निर्माता । निर्यातकर्त्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
3002.	छाते तथा छातों के हिस्से :—		
	(क) कमानी		
	(i) फ्लूटेड कमानियां		रु० 715.00 (केवल सात सौ पन्द्रह रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) दूसरे प्रकार की कमानियां अर्थात् ठोस कमानियां तथा लचीली कमानियां ।		363.00 रु० (केवल तीन सौ तिरसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) छातों के हत्थे तथा छड़ें —		
	(i) सी०आर०सी०ए० इस्पात की शीटों पट्टियों से निर्मित		उप-क्रम सं० 3640 (च) के अन्तर्गत देय दर पर प्रति अदायगी ।
	(ii) अन्य		जिस सामग्री से हत्थे तथा छड़ें बनाई जाती हैं उसके अनुसार प्रतिअदायगी की समुचित दर, यदि कोई हो ।
	(ग) छातों के ढांचे— संयोजित अथवा असंयोजित		उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित समुचित दर पर प्रतिअदायगी तथा उपर्युक्त (ख) पर उल्लिखित समुचित दर पर प्रतिअदायगी ।
	(घ) छाते पूर्ण— संयोजित अथवा असंयोजित		(i) उपर्युक्त (ग) पर उल्लिखित समुचित दर पर प्रतिअदायगी तथा छातों की सूती वस्त्र अन्तर्वस्तु के संबंध में नीचे (ii) पर उल्लिखित प्रतिअदायगी की दर ।

1	2	3	4
		(ii) (छाते की की किस्म	प्रतिग्रदायगी की दर प्रति दस दर्जन
		15"×8	रु० 6.97 (केवल छः रुपये सत्तानवे पैसे)
		17"×8	रु० 9.05 (केवल नौ रुपये पांच पैसे)
		19"×8	रु० 10.09 (केवल दस रुपये नौ पैसे)
		20"×8	रु० 10.61 (केवल दस रुपये इकसठ पैसे)
		20"×10	रु० 11.70 (केवल ग्यारह रुपये सत्तर पैसे)
		21"×10	रु० 10.66 (केवल दस रुपये छियासठ पैसे)
		21"×10	रु० 11.96 (केवल ग्यारह रु० और छियानवे पैसे) ।
		23"×8	रु० 11.96 (केवल ग्यारह रुपये छियानवे पैसे)
		23"×10	रु० 13.00 (केलव तेरह रुपये)
		24"×8	रु० 12.85 (केवल बारह रुपये पचासी पैसे)
		25"×8	रु० 13.31 (केवल तेरह रुपये इकतीस पैसे)
		25"×10	रु० 14.35 (केवल चौदह रुपये पैंतीस पैसे)
		25"×12	रु० 15.08 (केवल पन्द्रह रूपये आठ पैसे)

1	2	3	4
		25"×16	रु० 15.91 (केवल पन्द्रह रुपये इक्यानवे पैसे) ।
		27"×8	रु० 15.60 (केवल पन्द्रह रुपये साठ पैसे)
		27"×10	रु० 16.22 (केवल सोलह रुपये बाईस पैसे)
		27"×12	रु० 17.16 (केवल सत्रह रुपये सोलह पैसे)
		27"×16	रु० 18.72 (केवल अठारह रुपये बहत्तर पैसे)

(III)

उपर्युक्त दरों में पैकिंग सामग्री पर प्रतिअदायगी शामिल नहीं है जिसका दावा निर्धारित दरों पर अलग से किया जाय ।

31. मनुष्यों के बाल और उसके उत्पाद :

3101.	मनुष्य के बाल और उसके उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों ।	ब्रांड दर, अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित कीजानी है ।

32.: एस्बेस्टास सीमेंट से निर्मित उत्पाद अथवा दोनों :

3201	एस्बेस्टास, सीमेंट अथवा दोनों से निर्मित उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	ब्रांड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी हैं ।
3202.	एस्बेस्टाल सीमेंट उत्पाद (1-7-75 से 6-6-75 तक)	एस्बेस्टास अन्तर्वस्तु के प्रति मीट्रिक टन पर रु० 870.50 (केवल आठ सौ सत्तर रूपये पचास पैसे) तथा सीमेंट अन्तर्वस्तु के प्रति मीट्रिक टन पर रु० 66.00 (केवल छियासठ रुपये) ।
	(7-6-75 से)	एस्बेस्टास अन्तर्वस्तु के प्रति मीट्रिक टन प्रति पर रु० 946.00 (केवल नौ सौ छियालीस रु०) तथा सीमेंट अन्तर्वस्तु के प्रति मीट्रिक टन पर रु० 54.80 (केवल चौवन रुपये और अस्सी पैसे) ।

1	2	3	4
33.		**चीनी मिट्टी के उत्पाद, उच्चताप सह (रिफेक्टरीज) मिट्टी के बर्तन :**	
	3301.	चीनी मिट्टी के उत्पाद, उच्चताप सह मिट्टी के बर्तन जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हों ।	ब्राण्ड दर, निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
34.		**कांच और कांच के बर्तन जिसमें कांच के दर्पण और निर्वात फ्लास्क सम्मिलित हैं :**	
	3401.	रिक्त	
	3402.	कांच और कांच के बर्तन	
		(क) शीट कांच और प्लेट कांच	19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) प्रयोगशाला में काम का कांच का सामान	84.95 रुपये (केवल चौरासी रुपये और पंचानबे पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ग) विद्युत् रोशनी के बल्बों और फ्लोरोसैन्ट विद्युत् ट्यूबों के लिये कांच के खोल ।	24.00 रु० (केवल चौबीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(घ) लैम्प और लालटेन के लिये कांच के ग्लोब और कांच की चिमनी जो ऊपर (ग) पर उल्लिखित से भिन्न हों ।	24.00 रु० (केवल चौबीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ङ) कांच की बोतलें :	
		(i) जब इसी रूप में निर्यात किया गया हो ।	24.00 रु० (केवल चौबीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जब अन्य निर्यात माल के पैकिंग के लिए प्रयुक्त किया गया हो ।	140.60 रुपये (केवल एक सौ चालीस रुपये और साठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(च) कांच की बोतल/छोटी सीसी/इंजेक्शन की सीसी जब इन्हें अन्य निर्यात माल को पैक करने के लिए प्रयुक्त किया गया हो—	
		(i) 5 सी०सी०/5 एम एल माप की और उससे ऊपर किन्तु 7.5 सी० सी०/7.5 एम एल से नीचे ।	7.35 रुपये (केवल सात रुपये और पैंतीस पैसे) प्रति हजार नग ।

1	2	3	4
		(ii) 7.5 सी०सी०/7.5 मि० लि० तथा उससे अधिक क्षमता वाली परन्तु 10 सी० सी०/10 मि० लि० से कम क्षमता वाली ।	8.45 रुपये (केवल आठ रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(iii) 10 सी० सी०/10 मि० लि० तथा उससे अधिक क्षमता वाली परन्तु 15 सी० सी०/15 मि० लि० से कम क्षमता वाली ।	10.60 रु० (केवल दस रुपये और साठ पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(iv) 15 सी०सी०/15 मि०लि० तथा उससे अधिक क्षमता वाली परन्तु 20 सी०सी०/20 मि० लि० से कम क्षमता वाली ।	11.35 रुपये (केवल ग्यारह रुपये और पैंतीस पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(v) 20 सी०सी०/20 मि०लि० क्षमता वाली ।	12.20 रु० (केवल बारह रुपये और बीस पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(छ) अन्य सभी प्रकार के कांच तथा कांच के बर्तन जिनमें तार-कांच और चित्रित कांच शामिल हैं ।	19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	3403.	रिक्त	
	3404.	सभी प्रकार के वैक्यूम फ्लास्क	पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 9 प्रतिशत (केवल नौ प्रतिशत) ।
	3405.	सभी किस्म के वैक्यूम फ्लास्क के रिफिल	पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 1.2 प्रतिशत (केवल एक दशमलव दो प्रतिशत) ।
35.	**परिष्कृत कलचर्ड मोती :**		
	3501.	परिष्कृत कलचर्ड मोती अर्थात् ऐसे कलचर्ड मोती जो सूराख करके विरंजित करके, पालिश करके तैयार किये गये हों अथवा कच्चे कलचर्ड मोतियों या बिवाकों मोतियों की प्रक्रिया करने से तैयार किये हों ।	बिवाकों मोती अन्तर्वस्तु का 1.39 रु० (केवल एक रुपया और उनतालीस पैसे) प्रति ग्राम तथा बिवाकों से भिन्न कलचर्ड मोतियों की अन्तर्वस्तु का 0.82 रु० (केवल बयासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3	4

परन्तु यह तब जब कि परिष्कृत कलचर्ड मोतियों का निर्यात करते समय निर्यातकर्ता सीमाशुल्क समाहर्ता के इतमीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर भी प्रस्तुत करता है कि 105 ग्राम मात्रा के विवाकों अथवा विवाकों से भिन्न किस्म के कलचर्ड मोतियों का, यथा स्थिति, विनिर्माता अथवा निर्यातकर्ता द्वारा आयात किया गया है तथा उनका इस्तेमाल निर्यात किये गये उत्पाद के प्रति 100 ग्राम के विनिर्माण के लिये ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर किया गया है और आयात किये गये विवाकों अथवा विवाकों से भिन्न कलचर्ड मोतियों की मात्रा :

(i) परिष्कृत कलचर्ड मोतियों के किसी पिछले निर्यातों के प्रति उसी प्रकार सह सम्बन्धित नहीं किया गया है और उन्हें हिसाब में नहीं लिया गया है, अथवा

(ii) उन्हें इसी प्रकार अथवा किसी अन्य रूप में प्रतिग्रहायगी के दावे सहित अथवा दाव के बिना इससे पूर्व पुनर्निर्यात नहीं किया गया है ।

36. **लोहे और इस्पात के ढलों तथा अन्य प्राथमिक रूपों के सिवाय (जिसमें ट्यूबों और पाइपों के लिए ब्लैंक सम्मिलित हैं) लोहा और इस्पात :**

3601. रिक्त

3602. मुद्रित कलईदार प्लेटें/कलईदार चादरें 901.65 रु० (केवल नौ सौ एक रुपये पैंसठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

परन्तु यह तब, जब कि मुद्रित कलईदार प्लेटों/कलईदार चादरों के निर्माण में इस्तेमाल की गई कलईदार प्लेटों/कलईदार चादरों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट का दावा निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन अलग से नहीं किया गया है तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं शुल्क अदा की गई कलईदार प्लेटों अथवा कलईदार चादरों से बनाई जाती हैं ।

3603. बोलिंग हूप्स, बाक्स स्ट्रैपिंग स्टील हूप्स । रु० 450.00 (केवल चार सौ पचास रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

परन्तु शर्त यह है कि उप-क्रमांक 3603 के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के संबंध में प्रति ग्रदायगी तभी मंजूर की जायेगी जब ये वस्तुएं शुल्क प्रदत्त हों और प्रदत्त शुल्क की छूट का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत कोई दावा नहीं किया गया हो/किया जायगा ।

3604. रिक्त

1	2	3	4
	3605.	विस्तारित धातु (ढलवां से भिन्न)	
		(i) अजस्तीकृत	472.50 रु० (केवल चार सौ बहत्तर रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	680.90 रु० (केवल छः सौ अस्सी रुपये और नब्बे पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3606.	नलिकाकार इस्पात संरचनाओं से भिन्न अन्यत्र अविनिर्दिष्ट रचित इस्पात संरचनाएं, जिनमें विद्युत संचरण वाहन टावर शामिल हैं ।	
		(क) विद्युत संचरण लाइन टावर (रचित इस्पात संरचनाएं) जस्तीकृत ।	502.00 रु० (केवल पांच सौ दो रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) अन्य	
		(i) अजस्तीकृत	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	470.65 रु० (केवल चार सौ सत्तर रुपये और पैंसठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3607.	स्टील आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3608.	इस्पात के सभी प्रकार के पाइप और ट्यूब जिनमें पूर्णतया इस्पात के ऐसे पाइपों और ट्यूबों से बनी विद्युत तारनली पाइप, नलिकाकार इस्पात फर्नीचर, नलिकार-इस्पात संरचनाएं, नलिकाकार इस्पात पाइप तथा ट्यूबों से निर्मित अन्य उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं, जिनमें फर्नीचर ट्यूब, गैस ट्यूब तथा उनकी फिटिंग्ज शामिल हैं–	
		(क) सीबनहीन पाइप और ट्यूब––	
		(i) अजस्तीकृत	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
		(ii) जस्तीकृत	501.65 रु० (केवल पांच सौ एक रुपये और पैंसठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन
		(ख) सीवनहीन तथा स्केल्प से बने पाइपों और ट्यूबों से भिन्न 5 मि० मी० से अधिक मिति मोटाई के पाइप और ट्यूब	
		(i) अजस्तीकृत	367.50 रु० (केवल तीन सौ सड़सठ रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	521.60 रु० (केवल पांच सौ इक्कीस रुपये और साठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ग) (i) स्केल्प से बने पाइप और ट्यूब—	
		(क) अजस्तीकृत	580.10 रु० (केवल पांच सौ अस्सी रुपये और दस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) जस्तीकृत	781.80 रु० (केवल सात सौ इक्यासी रुपये और अस्सी पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) सी० आर० चादरों/पट्टियों से बने पाइप और ट्यूबें	
		(क) अजस्तीकृत	682.50 रु० (केवल छः सौ बयासी रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) जस्तीकृत	876.20 रु० (केवल आठ सौ छिहत्तर रुपये और बीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

परन्तु—

उपर्युक्त उप-मद (ग) में दी गई दरों पर प्रति अदायगी तथा लागू होगी जब निर्यात के समय निर्यातकर्ता सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में वह साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि माल का निर्माण, यथा स्थिति, स्केल्प अथवा सी० आर० चादरों..... अथवा.....

1	2	3	4
		सी० आर० पट्टियों से किया गया है और इस प्रकार के, यथा स्थिति, स्केल्प/ सी० आर० चादरों/सी० आर० पट्टियों, पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26कक के अन्तर्गत स्केल्प/ सी० आर० चादरों/सी० आर० पट्टियों पर लागू दर पर समुचित शुल्क अदा किया गया है ।	
		(घ) बेजोड़ पाइपों और ट्यूबों से भिन्न 5 मि० मी० से कम भित्ति मोटाई के पाइप और ट्यूब जिनमें उपर्युक्त (ग) में उल्लखित पाइप और ट्यूब शामिल नहीं है —	
		(i) अजस्तीकृत	472.50 रु० (केवल चार सौ बहत्तर रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	680.90 रु० (केवल छः सौ अस्सी रुपये और नब्बे पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(1) इस्पात के पाइपों और ट्यूबों के लिये फिटिंग	
		(1) (ढले हुए इस्पात से भिन्न) इस्पात से निर्मित	
		(i) 5 मि० मी० से कम भित्ति मोटाई के	
		(क) अजस्तीकृत	472.50 रु० (केवल चार सौ बहत्तर रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) जस्तीकृत	680.90 रु० (केवल छः सौ अस्सी रुपये और नब्बे पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) 5 मि० मी० की अथवा उससे अधिक भित्ति-मोटाई के	
		(क) अजस्तीकृत	367.50 रु० (केवल तीन सौ सड़सठ रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) जस्तीकृत	521.60 रु० (केवल पांच सौ इक्कीस रुपये और साठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
		(2) घातवर्ध लोहे की पाइप की फिटिंग—	
		(i) अजस्त्रीकृत	70.00 रु० (केवल सत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्त्रीकृत	306.60 रु० (केवल तीन सौ छ रुपये और साठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		परन्तु यह तब, जब कि पाइपों तथा ट्यूबों आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त इस्पात खण्डों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली के अन्तर्गत नहीं प्राप्त की गयी हो अथवा निर्यात बन्धपत्र के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा हो ।	
3609.	(क) पटरियां और स्लीपर बार	बाण्ड दर, अलग अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।	
	(ख) रेल पथ—सामग्री, जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट है और (ढलवां इस्पात से भिन्न) इस्पात से बनी है—		
	(i) अजस्त्रीकृत	356.40 रुपये (केवल तीन सौ छप्पन रुपये चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।	
	(ii) जस्त्रीकृत	511.00 रुपये (केवल पांच सौ ग्यारह रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।	
3610.	स्ट्रिंग इस्पात छड़ें	330.00 रुपये (केवल तीन सौ तीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।	
3611.	(क) इस्पात की छड़ें जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हैं (गोल, चौकोर और चपटे)	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।	
	(ख) अन्य अविनिर्दिष्ट साधारण इस्पात की तार		
	(i) अजस्त्रीकृत	330.00 रु० (केवल तीन सौ तीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।	
	(ii) जस्त्रीकृत	548.40 रु० (केवल पांच सौ अड़तालीस रुपये और चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।	

1	2	3	4
	3612.	इस्पात कास्टिंग, गैर-मशीनीकृत तथा मशीनीकृत दोनों, जिनमें ढले हुए इस्पात से बने इंजीनियरी सामान के संघटक शामिल हैं ।	200.00 रु० (केवल दो सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	3613.	इस्पात की हल्की और भारी संरचनाएं—	
		(i) अजस्तीकृत	330.00 रु० (केवल तीन सौ तीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	454.80 रु० (केवल चार सौ चौवन रुपये और अस्सी पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3614.	साधारण इस्पात से बनी चमकीली छड़ें और शाफ्ट ।	356.40 रु० (केवल तीन सौ छप्पन रुपये और चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

परन्तु यह तब जब कि उपक्रम सं० 3610 से 3614 तक उल्लिखित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त इस्पात खण्डों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं की गयी हो अथवा बन्ध-पत्र के अन्तर्गत निर्यात नहीं किया जा रहा हो ।

	3615.	इस्पात की लचीली ट्यूबें—	
		(i) अजस्तीकृत	702.00 रुपये (केवल सात सौ दो रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	894.35 रुपये (केवल आठ सौ चौरानवे रुपये और पैंतीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3616.	लोहे की बनी सभी प्रकार की वस्तुएं, जिनमें ढला लोहा— अमशीनीकृत तथा मशीनीकृत दोनों तथा ढले लोहे के इंजीनियरी सामान के संघटक शामिल हैं और जिनमें सभी प्रकार की लोहे की पाइपें एवं ट्यूबें और लोहे से बनी ऐसे पाइपों एवं ट्यूबों के लिए फिटिंग शामिल हैं—	
		(i) अजस्तीकृत	70.00 रुपए (केवल सत्तर रुपए) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	306.60 रुपए (केवल तीन सौ छः रुपए और साठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
	3617.	इस्पात तार उत्पाद, सभी प्रकार के जैसे, तार गेज, मैश जाली, चेन लिंक बाड़, इस्पात की बेलवार तारें, पैनल पिनें, इस्पात की तार तथा प्लेट कीलें, सभी प्रकार की ; इस्पात की कंटीली तार तथा तार के ब्रुश—	
		(i) अजस्तीकृत	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपए पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	563.75 रु० (केवल पांच सौ तिरसठ रुपए और पचहत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3618.	टिन प्लेट उत्पाद, जिनमें ये शामिल हैं:— टिन प्लेट आधान (संयोजित अथवा असंयोजित), आधानों के टिन प्लेट संघटक टिन प्लेट वाशर अथवा टिन प्लेट से बन गणितीय यंत्र, डिब्बे, टिन प्लेट से बनी गणितीय विज्ञापन टिकियां, ट्रे दियासलाई के कवर, स्क्रू कैप एवं नेकूल स्टोप साफ करने की पिन और डैक्स पैड ।	954.70 रुपए पैसे) प्रति मीटिक टन ।
	3619	हरीकेन लालटैने (कांच की हांडी शैलों को छोड़कर)	902.50 रु० (केवल नौ सौ दो रुपए पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3620	पैंट्टी की कम्पनी जो ढलवां इस्पात से भिन्न इस्पात से बनी हों ।	486.00 रुपए (केवल चार सौ छियासी रुपए) प्रति मीट्रिक टन ।
	3621	बोल्ट, डिबरियां, रिपटें तथा दरवाजों के हुक और कुन्दे, इस्पात के पेंच, मशीन के पेंच और रिपटें—	
		(i) अजस्तीकृत	356.40 रु० (केवल तीन सौ छप्पन रुपए चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	572.95 रुपए (केवल पांच सौ बहत्तर रुपए पंचनावे पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
	3622	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट इस्पात से बने बिल्डर्स हार्डवेयर जिनमें कब्जे, कुण्डे, स्टेपल्स, टाक्वर बोल्ट्स तथा पैडलाक्स शामिल हैं ।	
		(क) 5 मि० मी० (मोटी) से कम चादरों/पट्टियों से निर्मित	472.50 रु० (केवल चार सौ बहत्तर रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) अन्य	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3623	इस्पात से निर्मित सिमटने वाले दरवाजे (कालैप्सिबल गेट्स)	356.40 रु० (केवल तीन सौ छप्पन रुपये और चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3624	एनमल बेयर	702.00 रु० (केवल सात सौ दो रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	3625	जस्तीकृत इस्पात की बाल्टियां, जस्तीकृत इस्पात बाथ ट्यूब तथा जस्तीकृत इस्पात की पानी की बोतलें	693.45 रु० (केवल छः सौ तिरानवे रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3626	रिक्त	
	3627	रिक्त	
	3628	ढले हुए इस्पात से भिन्न इस्पात से निर्मित विविध हार्डवेयर	356.40 रु० (केवल तीन सौ छप्पन रुपये और चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3629	साधारण इस्पात के बाशर्स—	
		(i) अजस्तीकृत	486.00 रु० (केवल चार सौ छियासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जस्तीकृत	693.45 रु० (केवल छः सौ तरानवे रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3630	रालिंग शटर्स	486.00 रु० (केवल चार सौ छियासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
3631	सयोजित अथवा असंयोजित इस्पात के ब्लूम, जस्तीकृत अथवा कालेवखाली होने पर		
	(i) अजस्तीकृत		486.00 रु० (केवल चार सौ छियासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	(ii) जस्तीकृत		693.45 रु० (केवल छः सौ तिरानवे रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
3632	गमलों और कडाह के लिए इस्पात के गमले/चक्के		702.00 रुपये (केवल सात सौ दो रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के अन्तर्गत चक्कों के निर्यात पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में कोई छूट नहीं ली गई हो और बन्ध पत्र के अन्तर्गत नियत नहीं किया जा रहा हो।

3633	इस्पात की बहुकांटेदार जेली तथा इस्पात की चूहेदानी और चूहेदानी के इस्पात के पुर्जे	356.40 रु० (केवल तीन सौ छप्पन रुपये चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
3634	रिक्त	
3635	स्टील सेफ्स, काफ्स कैबक्से और स्टील के ट्रंक	486.00 रु० (केवल चार सौ छियासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
3636	इस्पात की टंकिया संयोजित अथवा असंयोजित	367.50 रु० (केवल तीन सौ सड़सठ रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
3637	रिक्त	
3638	टिफिन केरियर्स	378.00 रु० (केवल तीन सौ अठहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
3639	हजारा (वाटरिंग केन)	486.00 रु० (केवल चार सौ छियासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

1	2	3	4
	3640	इस्पात के उत्पाद जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं परन्तु जिनमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 तथा 26 कक के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद शामिल नहीं है —	
		(क) इस्पात के डलों से निर्मित	210.00 रु० (केवल दो सौ दस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
		(ख) अर्ध परिष्कृत इस्पात से निर्मित जिसमें ब्लूम बिलेट स्लेब शीट बार तथा टिन बार और हो बार शामिल है।	346.50 रु०(केवल तीन सौ छियालीस रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(ग) 10 मि०मी० से अधिक मोटाई के काइलों, जाएस्टों, गर्डरों, स्लटेड, एंगलों से भिन्न एंगलों, स्लाटेड चैनलों से भिन्न चैनलों, टी, बीम, जैडों ट्रफ पाइलिंग और फ्लैट्स से निर्मित	
		(i) अजस्तीकृत	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(ii) जस्तीकृत	470.65 रु० (केवल चार सौ सत्तर रुपये और पैंसठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(घ) छड़ों और डंडों से निर्मित—	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(ङ) 5 मि० मी० से अधिक परन्तु 10 मि०मी० से अनधिक मोटाई के फ्लैटों अथवा प्लेटों से निर्मित।	367.50 रु० (केवल तीन सौ सड़सठ रुपये और पचास पैसे, प्रति मीट्रिक टन।
		(च) कोल्ड रौल्ड शीटों तथा कोल्ड रोल्ड स्ट्रिपों से निर्मित।	
		(i) अजस्तीकृत	682.50 रु० (केवल छः सौ बयासी रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(ii) जस्तीकृत	793.20 रु० (केवल सात सौ तिरानवे रुपये बीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।

1	2	3	4
		(ज) 5 मि० मी० से अनधिक मोटाई वाली गर्म रोल्ड सीटों और स्ट्रिप्स फ्लैट्स तथा हूप्स से निर्मित —	
		(i) अजस्तीकृत	472.50 रु० (केवल चार सौ बहत्तर रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(ii) जस्तीकृत	581.60 रु० (केवल पांच सौ इक्यासी रुपये और साठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(झ) स्केल्प से निर्मित—	
		(i) अजस्तीकृत	580.10 रु० (केवल पांच सौ अस्सी रुपये दस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(ii) जस्तीकृत	694.50 रु० (केवल छः सौ चौरानवे रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
	3641	बाल/टैपर्ड रौलर बैयरिंग	540.00 रु० (पांच सौ चालीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	3642	जरिकैन्स	486.00 रु० (केवल चार सौ छियासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	3643	(i) 2 मि० मी० तथा उससे कम मोटाई की इस्पात की चद्दरों से बने स्लाटेड एंगल्स, पेनल, पेनल प्लेट, पेनल डिवाइडर तथा अन्य उपस्कर	702.00 रु० (केवल सात सौ दो रुपये) प्रति मीट्रिक टन
		(ii) स्लाटेड एंगल्स, पेनल, पेनल प्लेट, पेनल डिवाइडर तथा अन्य उपस्कर जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है।	486.00 रु० (केवल चार सौ छियासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन
37	**अलौह धातु और धातु मिश्रण :**		
	3701	रिक्त	
	3702	जिंक उत्पाद जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है,	3.45 रु० (केवल तीन रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।

परन्तु यह तब, जब कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अधीन छूट का दावा नहीं किया गया हो अथवा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के उपस्क उपबन्धों के अन्तर्गत बन्ध-पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो।

1	2	3	4
	3703	एल्यूमीनियम मिश्रधातु के डले तथा ढली हुई वस्तुएं ।	एल्यूमिनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 3803(iii) के अन्तर्गत लागू दर पर ।

परन्तु यह तब, जब कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत छूट नहीं ली गई हो अथवा नियम 13 के अधीन कोई लाभ नहीं उठाया गया हो ।

3704	रिक्त	
3705	रिक्त	
3706	रिक्त	
3707	ब्रास सेमिस, सर्किल्स, शीट्स तथा एक्सटूजन्स	उप-क्रम सं० 3805(ख) के अन्तर्गत लागू दर पर ।

परन्तु यह तब, जब कि माल और वस्तुओं के संबंध में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख में की गई व्यवस्था का लाभ नहीं उठाया गया हो ।

3708	गन मेटल के डले और उनसे बनी वस्तुएं	6.85 रु० (केवल छः रुपये और पचासी पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
3709	अन्यथा अविनिर्दिष्ट धातु-मिश्र तथा उससे बनी वस्तुएं, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों ।	तांबा अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में उप-क्रम सं० 3808(ख) के अन्तर्गत लागू दर पर प्रति-अदायगी । तथा जिंक अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में उप-क्रम सं० 3702 के अन्तर्गत लागू दर पर प्रति-अदायगी । तथा सीसा अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो तो, उसके संबंध में उप-क्रम सं० 3822 के अन्तर्गत लागू दर पर प्रति-अदायगी । तथा टिन अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो तो उसके संबंध में 12.70 रु० (केवल बारह रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० की दर पर प्रति-अदायगी ।

1	2	3	4
		तथा लोहा अन्तर्वस्तु यदि कोई हो तो उसके संबध में उप-क्रम सं० 3616(1) के अन्तर्गत लागू दर पर प्रति-अदायगी । तथा अल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु यदि हकोई हो तो उसके संबंध में उप-क्रम सं० 3803(iii) के अन्तर्गत लागू दर पर प्रतिअदायगी तथा निकल अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो तो, उसके संबंध में 9.80 रु० (केवल नौ रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम की दर पर प्रतिअदायगी।	

परन्तु यह जब, जबकि केन्द्रीयउत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के किसी भी नियम के अन्तर्गत छूट का दावा नहीं किया गया हो तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के उपबन्धों के अन्तर्गत बन्ध-पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो ।

38 **अन्यत्र विनिर्दिष्ट धातुओं की निर्मितियां :**

3801	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट पीतल की निर्मितियां	बान्ड दर अलग अलग निर्माता/निर्यात-कर्ता के आवेदन किये जाने पर नियत की जानी है ।
3802	साधारण इस्पात के कागज पिन तथा क्लिपें	
	(क) तांबा विलेपित	545.00 रु० (केवल पांच सौ पैंतालीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन
	(ख) तांबा विलेपित से भिन्न	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन
3803	(i) एल्यूमिनियम की 0.56 मि० मी० तथा 1.22 मि०मी० के बीच की मोटाई की वृत्ताकार तथा अंडाकार आकृति की वस्तुएं	4.10 रु० (केवल चार रुपया दस पैसे) प्रति कि० ग्रा०) ।

1	2	3	4
		(ii) एल्यूमीनियम की वस्तुएं जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट शीट्स, सर्किल्स तथा स्ट्रप्स से विनिर्मित हों, अर्थात् जिनमें ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुएं शामिल नहीं हों ।	4.95 रुपये (केवल चार रुपये पचानवें पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(iii) केन्द्रीय उत्पादन शल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 में विनिर्दिष्ट से भिन्न एल्यूमिनियम की वस्तुएं और मद (i) और (ii) में उल्लिखित वस्तुएं जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हों ।	4.10 रुपये (केवल चार रुपये दस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

नोट.—उपक्रमांक 3803 के सामने निर्धारित प्रतिअदायगी की जून 1975 के 11वें दिन को लागू होगी ।

3804	स्टैनलेस स्टील से बनी वस्तुएं—	
	(क) पूर्णतया अचुम्बकीय स्टैनलैस स्टील शीट्स से बने बर्तन ।	20.40 रुपये (केवल बीस रु० चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	(ख) पूर्णतया अचुम्बकीय स्टैनलैस शीट्स से बना, अस्पताल में उपयोग में लाया जाने वाला सामान, जैसे किडनी ट्रे, बैडपैन्स, थूकदान आदि	20.40 रुपये (केवल बीस रुपये चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	(ग) अचुम्बकीय स्टैनलैस स्टील शीट्स तथा तांबे के बने वे बर्तन जिनके तले तांबे के हों ।	18.00 रु० (केवल अठारह रु०) प्रति कि० ग्रा०
	(घ) घड़ियों के फीते	10.40 रुपये (केवल दस रु० चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	(ङ) शल्य चिकित्सा के उपकरण	0.50 रुपये (केवल पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा०
	(च) स्टैनलेस स्टील शीट्स से बनी कटलरी परन्तु चाकुओं को छोड़ कर	4.60 रुपये (चार रुपये साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०

1	2	3	4
		(छ) स्टेनलैस स्टील की छड़ों/शाकाओं/प्लेटों से बनी कटलरी	0.45 रुपये (केवल पैंतालिस पैसे) प्रति किग्रा०।
		(ज) चाकू	0.45 रुपये (केवल पैंतालिस पैसे) प्रति कि०ग्रा०।
		(झ) स्टेनलैस स्टील की अन्यथा अविनिर्दिष्ट वस्तुएं :—	
		(i) शीट्स से बनी—	
		(क) अचुम्बकीय	20.40 रुपये (केवल बीस रुपये चालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(ख) चुम्बकीय	4.10 रु० (केवल चार रुपये दस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
		(ii) अन्य	0.40 रु० (केवल चालीस पैसे प्रति कि० ग्रा०।
3805		पीतल निर्मितियां जिनमें ब्रास बिल्डर पीतल क सामान और पीतल का कलात्मक सामान शामिल है :—	
	(क)	(i) शीटों/स्ट्रिप से निर्मित बर्तन और अन्य वस्तुएं	6.30 रु० (केवल छ : रुपये तीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०।
		(ii) पीतल का कलात्मक सामान	5.00 रु० (केवल पांच रुपये) प्रति कि० ग्रा०।
		(ख) अन्य	5.50 रु० (केवल पांच रुपये पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा०।

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56क या 191-क या 191-ख का माल अथवा वस्तुओं के संबंध में लाभ नहीं उठाया गया हो।

3806	रिक्त	
3807	रिक्त	
3808	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट तांबे की वस्तुएं–	
	(क) शीट्स/स्ट्रिप्स से बने बर्तन तथा अन्य वस्तुएं	7.85 रु० (केवल सात रुपये पचासी पैसे) प्रति कि०ग्रा०।
	(ख) ऊपर (क) से भिन्न	7.00 रुपये (केवल सात रुपये) प्रति कि० ग्रा०।

परन्तु यह तब, जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन छूट का दावा नहीं किया गया हो अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के उपबंधों के अन्तर्गत, बंध पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो।

1	2	3	4
	3809	11.34 कि० ग्रा० की क्षमता वाले टिन प्लेट के आधान, जिनमें काजू की गिरियां हो, जिनके परीक्षण के लिए कार्बन-डाइआक्साइड का उपयोग किया जाता है ।	(क) (i) प्रति आधान पर 12.5 ग्राम कम करके खाली आधानों के शुद्ध भार के प्रति टन पर 9 50.00रु० (केवल नौ सौ पचास रुपये) तथा (ii) 25.00 रु. (केवल पच्चीस रुपये) प्रति 1,000 आधान, तथा (iii) 93.00 रु० (केवल तिरानबें रुपये प्रति 1,000 आधान, तथा (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत अदा किया गया सम्पूर्ण शुल्क ।

परन्तु यह तब, जब कि—

(i) खंड (क) के उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रति-अदायगी तभी मंजूर की जाएगी जबकि इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 7/65–के०उ०शु०, दिनांक 30 जनवरी, 1965 के अन्तर्गत छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो ;

(ii) मद (ख) में विनिर्दिष्ट दर प्रति अदायगी तभी मंजूर की जाएगी जब निर्यातकर्त्ता धातु आधानों पर अदा किये गये शुल्क की रकम के बारे में सीमाशुल्क के सहायक समाहर्त्ता के समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करे, तथा इसमें अतिरिक्त शर्त यह भी है कि निर्यातकर्ता ने उक्त शुल्क के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा नियम 191–क के अधीन कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो ।

	3810 सेनेटरी केन, डिगल केन (जिसमें उनके हिस्से सम्मिलित हैं) जब चपटे आकार में तथा अन्यथा निर्यात किये गये हों अथवा जब निम्नलिखित के निर्यात के लिए आधानों के रूप में उपयोग किये गये हों—	(क) यदि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत कोई शुल्क अदा किया गया हो तो वह सम्पूर्ण शुल्क तथा
	(1) मछली और मछली उत्पाद (2) फल और सब्जी उत्पाद तथा	(ख) 1700.00 रुपये (केवल सत्रह सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ;

1	2	3	4
		(3) संघनित दुग्ध	परन्तु यह कि जहां निर्यात-कर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 12 अथवा नियम 191-क के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो, वहां मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रति अदायगी पूर्ण रुपेण लागू होगी; और जहां निर्यातकर्ता ने उपरोक्त नियमों में से किसी एक नियम के अन्तर्गत कार्याविधि का लाभ उठाया हो अथवा जहां केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अथवा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत कोई शुल्क अदा नहीं किया गया हो वहां ऊपर मद (ख) में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रति-अदायगी की दर लागू होगी ।
3811	रिक्त		
3812	इस्पात की तार, के रस्से, सभी प्रकार के जिनमें लाक्ड कायल तार के सभी प्रकार के रस्से सम्मिलित हैं), जो तन्तु कोर के सहित हों अथवा उसके बिना हों—		
		(क) अजतीकृत	अजस्तीकृत इस्पात अन्तर्वस्तु का 346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन तथा सीसल तन्तु अन्तर्वस्तु तथा/अथवा मनीला हेम्प तन्तु अन्तर्वस्तु ,यदि कोई हो, तो उसके सम्बन्ध में उपक्रम सं० 2508(ग) के अन्तर्गत देय प्रति-अदायगी, तथा उपक्रम सं० 2506 के अन्तर्गत पटसन तन्तु अन्तर्वस्तु पर देय प्रति अदायगी ।

1	2	3	4
	(ख) जस्तीकृत	जस्तीकृत इस्पात अन्तर्वस्तु का 563.75 रूपये (केवल पांच सौ तिरसठ रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन तथा यदि कोई सींसल तन्तु अन्तर्वस्तु हो अथवा यदि कोई मनीला तन्तु अन्तर्वस्तु हो तो उसके सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 2508(ग) के अन्तर्गत देय प्रति अदायगी तथा पटसन तन्तु अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपक्रम सं० 2506 के अन्तर्गत देय प्रति अदायगी ।	
3813	सभी आकारों की इस्पात की रेतियां ।	860.00 रुपये (केवल आठ सौ साठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।	
3814	रिक्त		
3815	इलैक्ट्रोप्लेटेड निकिल सिलवर (ई०पी० एन० एस०) के बर्तन और वस्तुएं	3.25 रुपये० (केवल तीन रुपये पचीस प्रति कि० ग्रा० पसे) ।	
3816	पीतल से बने प्रेशर स्टोव, प्रेशर लैम्प। लालटेन और ब्लो लैंप और उनके धातु के संघटक ।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 22 प्रतिशत (केवल बाईस प्रतिशत) ।	
3817	सभी प्रकार के गन मैटल बाल्ब और उनके पुर्जे ।	(क) गन मैटल के प्रति कि० ग्रा० पर 6.85 रु० (केवल छः रुपये पचासी पैसे) तथा (ख) लौह अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपक्रम सं० 3616 () अथवा 3616 (ii), जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत स्वीकार्य दर, तथा (ग) बोल्ट और नट के सम्बन्ध में उपक्रम सं० 3621 (i) अथवा 3621 (ii) जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत स्वीकार्य दर ।	
3818	नाइलान इन्सर्टस् के साथ लगी स्वत: जुड़ जाने वाली ढिबरियां	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता / निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की जानी है ।	
3819	इस्पात के ड्रम जब उनमें एसफाल्ट भरा हो ।	ब्राण्ड दर, अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की जानी है ।	

1	2	3	4
3820.	सेफ्टी रेंजर ब्लेडें—		
	(i) कार्बन इस्पात से बने ।		7.65 (केवल सात रुपये पैंसठ पैसे) प्रति 1000 ब्लेड।
	(ii) स्टेनलेस इस्पात स्ट्रिपों से बने ।		16.30 रुपये (केवल सोलह रुपये तीस पैसे) प्रति 1000 ब्लेड ।

टिप्पणी.—प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर में पैकिंग सामग्री, पर प्रति अदायगी शामिल है अर्थात् प्रत्येक ब्लेड के लिए मोम का कागज और आवरण; लुगदी बोर्ड की तहें और दफ्ती डब्बा और सेलोफेन ।

यदि उपर्युक्त पैकिंग सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है तो उपर्युक्त दरों में प्रति 1000 ब्लेडों पर 0.96 रुपये (केवल छियानवें पैसे) कम किये जायेंगे । तथापि, वास्तविक रुप से इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री पर समुचित "सर्व उद्योग" दरों पर प्रति अदायगी स्वीकार्य होगी ।

3821.	लेपटने का ताम्बे का इनेमलित तार ।		
	(i) 23 गैज एवं मोटा ।		9.40 रुपये (केवल नौ रुपये चालीस पैसे) प्रति कि०ग्रा० ।
	(ii) 23 गैज से महीन और 35 गैज तक महीन ।		9.25 रुपये (केवल नौ रुपये पच्चीस पैसे) प्रति कि०ग्रा० ।
	(iii) 35 गैज से महीने और 44 गैज तक महीने		9.10 रुपये (केवल नौ रुपये और दस पैसे) प्रति किलोग्राम

नोट.—उप-क्रमांक 3821 के अन्तर्गत प्रति अदायगी की दर 30-9-75 तक लागू होगी ।

3822.	सीसे से बनी वस्तुएं, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों ।		1-6-75 से 6-6-75 तक 2 रुपये 25 पैसे (केवल दो रुपये और पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
			7-6-75 से 2 रु० 20 पैसे (केवल दो रुपये और बीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत किसी छूट का दावा नहीं किया गया हो अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 की धाराओं के अन्तर्गत बन्ध-पत्र के अधीन कोई निर्यात नहीं किया गया हो ।

3823.	(i) एल्युमीनियम से बने सम्पूर्ण प्रेशर कुकर		4.00 रुपये (केवल चार रुपये) प्रति कि० ग्रा० ।
	(ii) प्रेशर कुकर के लिए गास्केट ।		0.30 रुपये (केवल तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

1	2	3	4
		(iii) पिंटल्स सहित सेफ़्टी प्लग	0.30 रुपये (केवल तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(iv) फ़िनोल फ़ार्मलडिहाईड मोल्डिंग पाउडर से बने प्रेशर कुकर के हैंडल जिनका निर्यात स्क्रू सहित अथवा बिना स्क्रू के किया गया हो ।	फ़िनोल फ़ार्मलडिहाईड मोल्डिंग पाउडर के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 1910 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर पर प्रति-अदायगी तथा एल्युमीनियम स्क्रू के सम्बन्ध में यदि कोई हो, उप-क्रम सं० 3803 (ii) के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रतिअदायगी ; तथा इस्पात स्क्रू के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, उप-क्रम सं० 3621 के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रति अदायगी ।

टिप्पणी.—उप-क्रम संख्या 3823 के अन्तर्गत प्रतिअदायगी की दर 11-6-75 से लागू होगी ।

3824.	सभी प्रकार के धातु-आधान (एल्युमीनियम से बने हुए आधानों से भिन्न) जो साधारणतया बिक्री योग्य माल की पैकिंग के लिए अभिप्रेत होते हैं ; जिनमें निर्यात के माल से भरे कास्क, ड्राम, कैन, बक्से, गैसे सिलिंडर तथा प्रेशर आधान शामिल हैं (किन्तु जिनमें ओपन-टाप सैनेटरी कैन एवं काजू की गिरी के निर्यात के लिए प्रयुक्त 11.34 कि० ग्रा० क्षमता के टिन के कनस्तर शामिल नहीं है) ।	(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत अदा किया गया सम्पूर्ण शुल्क; तथा (ख) टिन प्लेट के संबंध में उप-क्रमांक 3618 के अंतर्गत और इस्पात के ड्रम के संबंध में उपक्रमांक 3631 के अंतर्गत प्रति अदायगी की स्वीकार्य दर और जिस सामग्री से आधान बना हो, उस सामग्री के संबंध में समुचित दर पर, यदि कोई हो, प्रति अदायगी ।

परन्तु—

(i) मद (क) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिअदायगी वहां दी जायगी जहां निर्यातकर्ता सीम शुल्क सहायक-समाहर्ता के समाधान प्रद रूप में इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने धातु आधानों पर शुल्क अदा कर दिया है ।

(ii) जहां निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली 1944 के नियम 12 अथवा नियम 191-क के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो, वहां मद (क)

1	2	3	4
			तथा (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिश्रदायगी पूर्ण रुपेण लागू होगी और जहां निर्यातकर्ता ने उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ उठाया हो वहां उक्त मद (ख) में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिश्रदायगी दर लागू होगी ।
3825.	सेनिटरी तथा स्नानागार के जल सम्बन्धी सामान—		
	(क) गन मेटल से निर्मित क्रोमियम चढ़ा हुआ		गन मैटल अंतर्वस्तु के प्रति कि० ग्रा० पर 6.85 रु० (केवल छः रुपये पच्चासी पैसे) ।
	(ख) पीतल से निर्मित क्रोमियम चढ़ा हुआ		पीतल अंतर्वस्तु के प्रति कि० ग्रा० पर 5.50 रु० (केवल पांच रुपये पचास पैसे) ।
3826.	रिक्त		
3827.	कागज/पोलिथीन की परत चढ़ी अथवा कागज के साथ परस्पर मिली हुई एल्युमीनियम की पन्नी ।		जहां तक कागज अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, का सम्बन्ध है उप-क्रम सं० 2407 अथवा 2409 अथवा 2410 के अन्तर्गत लागू उचित दर पर तथा पोलिथीन अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में उप-क्रम सं० 1914 के अन्तर्गत लागू दर पर ।
3828.	टायर बीड तार		340.00 रु० (केवल तीन सौ चालीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	हाथ के अथवा मशीन में इस्तेमाल के लिए औजार :		
3901.	हाथ के या मशीन में इस्तेमाल के लिए औजार जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ।		ग्रांड दर अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
3902.	ढलवां से भिन्न, अन्यथा अविनिर्दिष्ट, इस्पात से निर्मित हाथ के औजार ।		356.40 रु० (केवल तीन सौ छप्पन रुपये चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
3903.	रिक्त		
3904.	गियर काटने के सभी प्रकार के औजार ।		पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9% (नौ प्रतिशत) ।

1	2	3	4
	3905.	आरे, सैगमेंट और आरा ब्लेड	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9% (नौ प्रतिशत) ।
	3906.	हीरा काटने के औजार परन्तु जिसमें फिर से दुरस्त किए गए हीरों के औजार शामिल नहीं है, अर्थात् :—	
		(1) बर्मे के टुकड़े	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 20% (बीस प्रतिशत) ।
		(2) हीरा ड्रैसर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 16% (सौलह प्रतिशत) ।
	3907.	सभी प्रकार के बरमें जिनमें पेचदार बरमें शामिल हैं ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9 (नौ) प्रतिशत ।
	3908.	सभी प्रकार की खराद मशीनों, शेपरों और प्लेनरों के औजार ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क कर मूल्य का 9 (नौ) प्रतिशत ।
	3909.	एण्ड मिलों के सभी प्रकार के मिलिंग कटर ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9% (केवल नौ प्रतिशत) ।
	3910.	रीमर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9% (केवल नौ प्रतिशत) ।
	3911.	थ्रेडिंग टोटियां, थ्रेडिंग डाइयां और चेजर ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9% (केवल नौ प्रतिशत) ।
	3912.	ब्रोचेस डाइयों, जिगों, फिक्सचरों और स्टैम्पिंग टूल्स को छोड़कर लघु और कटिंग औजार जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों—	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9% (केवल नौ प्रतिशत) ।
	3913.	(क) ड्राप फोर्जड हैंड टूल्ज (ढलाई द्वारा निर्मित से भिन्न), अर्थात् एलेन हैंड कुंजी, सभी प्रकार के प्लायर्स, स्पेनर्स, रिंचें, पेंच और सभी प्रकार के नट ड्राइवर, सभी प्रकार के साकेट और रेंचेज, सी-क्लेम्प और नेल पुलर ।	इस्पात अन्तर्वस्तु का 495.00 रु० (केवल चार सौ पंचानवें रुपए) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) उपर्युक्त (क) पर वर्णित ड्राप फोर्जड हैंड टूल्स जब उन पर निकल अथवा क्रोम का मुलम्मा चढ़ा हो ।	568.00 रु० (केवल पांच सौ अड़सठ रुपए) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
		(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित ड्राप फोर्जड हैण्ड टूल्स, जब उन पर प्लास्टिक का हत्था लगा हो ।	उपर्युक्त (क) अथवा (ख) में उल्लिखित प्रतिअदायगी की दर तथा उप-क्रम सं० 1907, 190,8, 1914 अथवा 1918 (क), यथास्थिति, के अधीन प्लास्टिक अन्तर्वस्तु के लिए लागू प्रति-अदायगी की दर ।
	3914.	(1) सेंटर खरादें, केप्सटन खरादें और टरेट खरादें, चाहे उनका निर्यात उप-साधानों सहित अथवा उनके बिना किया गया हो	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3.6 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव छः प्रतिशत) ।
		(2) एकल तकली वाली स्वचालित खरादें चाहे उनका निर्यात उप-साधनों तथा दाब-यंत्रों सहित अथवा उनके बिना किया गया हो ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6 प्रतिशत (केवल छः प्रतिशत) ।
		(3) बहु-तकुंवों वाली स्वचालित खरादें जिनमें पूर्वसं-वरक खरादें शामिल हैं चाहे उनका निर्यात उप-साधनों सहित अथवा उनके बिना किया गया हो ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत) ।
		(4) ग्राइन्डर्स, रेडियल ड्रिल्स तथा सभी अन्य मशीनी औजार, चाहे उनका निर्यात उपसाधनों सहित अथवा उनके बिना किया गया हो ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)
40.	**शक्तिजनित मशीनरी और उसके पुर्जे**		
	4001.	शक्ति जनित्र मशीनरी, उसके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	आण्ड वर अलग-अलग निर्माता/निर्यात-कर्ता द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने पर निर्धारित की जानी है ।
	4002.	(क) 40 अश्वशक्ति तक के खड़े और पड़े स्टेशनरी/बहिक्यूलर इंजन, जिनमें मैरीन तथा अन्य अन्तर्दहन इंजन शामिल हैं, चाहे वे पेट्रोल, डीजल अथवा केरोसीन से चलते हों ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत) ।

1	2	3	4
		(ख) खड़े और पड़े स्टेशनरी/बहि-क्यूलर इंजनों के हिस्से, जिनमें मैरीन तथा अन्य अन्तर्दहन इंजन के हिस्से भी शामिल हैं, चाहे वे इंजन पैट्रोल, डीजल अथवा कैरोसीन से चलते हों।	
		(i) ढलवां लोहे से निर्मित पुर्जे	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.5 प्रतिशत (केवल दशमलव पांच प्रतिशत)।
		(ii) इस्पात खण्डों, चादरों तथा पाइपों से निर्मित पुर्जे।	पोत पर्यन्त निः शुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत)।
		(iii) एल्यूमीनियम मिश्र-धातु से निर्मित हिस्से जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक एल्यूमीनियम हो।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत)।
		(iv) स्पार्क प्लग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत)।
		(v) इन्जन वाल्व	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत)
		(vi) गास्केट	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत)
		(vii) प्राकृतिक कच्चे रबड़ से बनी वस्तुओं से भिन्नवे सभी वस्तुएं, जो इन वस्तुओं में विनिर्दिष्ट नहीं हों।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत)।
		नोट— उपर्युक्त दरें तब लागू होंगी जब तैयार उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों पर अथवा संघटकों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में नियम 56—क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन किसी भी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत किसी छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो।	
	4003.	ई० ओ० टी० क्रेन	बांड दर अलग-अलग-निर्माता निर्यात कर्त्ता से आवेदन प्राप्त होंगे पर निर्धारित की जानी है।
41.		**कृषि मशीनरी और औजार तथा उन के पुर्जे :**	
	4101.	कृषि मशीनरी और औजार, उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों	बांड-दर अलग-अलग निर्मात/ निर्यातकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है।

1	2	3	4
	4102.	ढलवां से भिन्न इस्पात से निर्मित कृषि औजार जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों।	356.40 रु० (केवल तीन सौ छप्पन रुपये चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
42.	**कार्यालय संबंधी मशीनें, उनके पुर्जे :**		
	4201.	कार्यालय संबंधी मशीने तथा उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है।
43.	**धातु कार्य मशीनरी, उनके पुर्जे :**		
	4301.	धातु कार्य मशीनरी, उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्त्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है।
44.	**टैक्सटाइल मशीनरी, उनके पुर्जे :**		
	4401.	टैक्सटाइल मशीनरी, उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है।
45	**अन्य प्रयोजनों एवं उद्योगों के लिए मशीनरी, उपस्कर साधित्र (बैद्युत से भिन्न):**		
	4501.	अन्य प्रयोजनों एवं उद्योगों के लिये मशीनरी उपस्कर, साधित्र (बैद्युत से भिन्न), और उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	4502.	तेल मिल की मशीनरी और उसके संघटक पुर्जे	पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 6 प्रतिशत (केवल छः प्रतिशत)।
	4503.	(1) अपकेन्द्री तथा गैर अपकेन्द्री पम्प	135.00 रु० (केवल एक सौ पैंतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
		(2) अपकेन्द्री (सेन्टीफ्यूगल) तथा गैर-अपकेन्द्री (नान सेन्टीफ्यूगल) पम्प जिनमें डीजल इंजिन लगे हो।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत तथा पम्पों अथवा डीजल इंजिनों पर अदा किया गया केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली के अधीन छूट अथवा वापसी के रुप में उसका दावा नहीं किया गया हो/ उसे प्राप्त

1	2	3	4
			नहीं किया गया है और इस संबंध में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संबंधित प्राधिकारियों से एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाता हो।
		(3) अपकेन्द्री तथा गैर-अपकेन्द्री पम्प, जिनमें 100 अश्व शक्ति तक के बिजली के मोटर लगे हों।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6.5 प्रतिशत (केवल छः दशमलव पांच प्रतिशत) तथा पंपों अथवा बिजली के मोटरों पर अदा किया गया केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, बेशर्ते कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली के अधीन छूट अथवा वापसी के रुप में उसका दावा नहीं किया गया हो / उसे प्राप्त नहीं किया गया हो और इस संबंध में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संबंधित प्राधिकारियों से एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया हो।
	4504.	सभी किस्म की सिलाई मशीनें, जो हैंड अटैचमेंट, बेस, कवर स्टैंड, मेज, हत्थी, पैड युक्त हों अथवा उनके बिना हों, जिनमें सी०के० डी०/एस०के० डी० की हालत में सिलाई मशीनें, उनके पुर्जे तथा उपांग भी शामिल हैं।	पोत पर्यन्त निः शुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)
46.		**विद्युत–शक्ति मशीनरी, विद्युत वितरण के लिए उपस्कर, स्विच गियर, उनके पुर्जे :**	
	4601.	विद्युत शक्ति मशीनरी वितरण के लिए उपस्कर स्विचगियर, उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है।	ग्रांड दर अलग–अलग निर्माता/ निर्यात कर्ता से प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	4602.	तारों के सभी प्रकार के केबल और कन्डक्टर	तारों अन्तर्बस्तु के प्रति किलोग्राम पर 9.50 रु० (केवल नौ रुपये पचास पैसे)

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क टैरिफ की मद 26–क के अधीन अदा किये गये प्रति सन्तुलनकारी शुल्क/केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में छूट का, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क

1	2	3	4

नियमावली, 1944 के अन्तर्गत कोई दावा/प्राप्ति नहीं की गयी हो अथवा टैरिफ की उपर्युक्त मद के अन्तर्गत देय केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संबंध में बंध-पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो ।

4603	समस्त एल्युमिनियम संवाहक	एल्यूमिनियम अन्तर्वस्तु के प्रति कि० ग्रा० पर 2.40 रु० (केवल दो रुपये चालीस पैसे) ।

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क टैरिफ की मद 27 के अधीन अदा किये गये प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में छूट का, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत दावा/प्राप्ति नहीं की गई हो अथवा टैरिफ की उपर्युक्त मद के अन्तर्गत देय केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संबंध में बंध-पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो ।

नोट .—उप-क्रमांक 4603 के सामने दी गई प्रतिअदायगी की दर, जून, 1975 के 11वें दिन से लागू होगी ।

4604	विसंवाहक एल्यूमिनियम केबल अथवा संवाहक	(1) एल्यूमिनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में उपक्रम सं० 4603 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर । (2) पी० वी० सी० संघटक अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 1918 (क) के अन्तर्गत स्वीकार्य दर । (3) पोलिथीन अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 1914 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर ।
4605	इस्पात प्रवलित एल्यूमिनियम संवाहक	एल्यूमिनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में उपक्रम सं० 4603 के अन्तर्गत लागू प्रतिअदायगी की दर, तथा स्टील कोर अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 3617(i) अथवा 3617(ii) जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत प्रतिअदायगी की दर ।

1	2	3	4
	4606	पेपर इन्सुलेटेड मास इम्प्रग्नेटेड लैड शीव्ड पावर केबल, जिनमें पायलट केबल, टैलीफोन केबल तथा इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर केबल (डी० सी०) शामिल नहीं है ।	
		(i) ताम्र संवाहक युक्त	पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 32 प्रतिशत (केवल बत्तीस प्रतिशत) ।
		(ii) एल्यूमिनियम संवाहकों से युक्त	पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 22 प्रतिशत (केवल बाईस प्रतिशत) ।
	4607	पी० वी० सी० इन्सुलेटेड तांबे के केबल	(i) पी० बी० सी० यौगिक अन्तर्वस्तु के लिए उप-क्रम सं० 1918 (क) के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रतिग्रदायगी की दर ।
			(ii) तांबा अन्तर्वस्तु के संबंध में उप-क्रम सं० 4602 के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रतिग्रदायगी की दर ।
	4608	सभी किस्मों की केबल निम्नलिखित रेटिंग की बिजली की मोटरें—	
		(i) 1 अश्व शक्ति तक	31.50 रु० (केवल इकतीस रुपये और पचास पैसे) प्रति अश्व शक्ति ।
		(ii) 1 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 3 अश्व शक्ति तक, जिसमें 3 अश्व शक्ति भी शामिल है ।	22.20 रु० (केवल बाईस रुपये और बीस पैसे) प्रति अश्व शक्ति ।
		(iii) 3 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 5 अश्व शक्ति तक, जिसमें 5 अश्व शक्ति भी शामिल है ।	17.85 रु० (केवल सत्रह रुपये पचास पैसे) प्रति अश्व शक्ति ।
		(iv) 5 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 25 अश्व शक्ति तक, जिसमें 25 अश्व शक्ति भी शामिल है ।	16.20 रु० (केवल सोलह रु० बीस पैसे) प्रति अश्व शक्ति ।
		(v) 25 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 100 अश्व शक्ति तक, जिसमें 100 अश्व शक्ति भी शामिल है ।	13.35 रु० (केवल तेरह रु० और पैंतीस पैसे) प्रति अश्व शक्ति ।

1	2	3	4
4609.		30 अश्व शक्ति तक के बिजली के मोटरों के लिये डायरेक्ट-आन-आइन स्टार्टर तथा 50 अश्व शक्ति तक के बिजली के मोटरों के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4.6 प्रतिशत (केवल चार दशमलव छः प्रतिशत)।
4610.		सभी प्रकार के इन्सुलेटेड अथवा/अन्यथा केवल तथा कण्डक्टर्स, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हो। केवल तथा कण्डक्टर्स, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों।	(i) उपक्रम सं० 4602 के अन्तर्गत तांबा अन्तर्वस्तु, के संबंध में लागू प्रतिअदायगी की दर ; तथा (ii) उप-क्रम सं० 4603 के अन्तर्गत अल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रतिअदायगी की दर ; तथा (iii) उपक्रम सं० 3709 के अन्तर्गत टिन अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रतिअदायगी की दर; तथा (iv) उपक्रम सं० 3822 के अन्तर्गत अन्तर्वस्तु के लिए लागू प्रति अदायगी की दर ; तथा (v) उपक्रम सं० 3702 के अन्तर्गत जिंक अन्तर्वस्तु के लिए लागू प्रति-अदायगी की दर ; तथा (vi) इस्पात टेप अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के प्रति टन पर 450.00 रु० (केवल चार सौ पचास रुपये); तथा (vii) उपक्रम सं० 1918 (क) के अन्तर्गत पी० बी० सी० योगिक अन्त-र्वस्तु के लिए लागू प्रतिअदायगी की दर; तथा (viii) उप-क्रम सं० 1914 के अन्तर्गत पोलीथीन अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रतिअदायगी की दर; तथा (ix) उपक्रम सं० 2722 के अन्तर्गत पटसन अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रतिअदायगी की दर; तथा

1	2	3	4
			(x) उपक्रम सं० 1911 के अन्तर्गत पोलिएमाइड अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रतिअदायगी की दर; तथा
			(xi) उप-क्रम सं० 3617(i) अथवा 3617 (ii) के अन्तर्गत, यथास्थिति, इस्पात कोर तथा तार अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रतिअदायगी की दर; तथा
			(xii) इन्सुलेशन कागज अन्तर्वस्तु यदि कोई हो, के प्रति किलोग्राम पर 6.75 रुपये (केवल छः पये और पचहत्तर पैसे); तथा
			(xiii) संसेचन यौगिक , यदि कोई हो, के प्रति कि० ग्रा० पर 3.00 रु० (केवल तीन रुपये) ।
			(xiv) उपक्रम सं० 2513 के अन्तर्गत हाथ के बने हुए संश्लिष्ट तन्तु धागा अन्तर्वस्तु के संबंध में लागू प्रति-अदायगी की दर ।
4611.	प्लास्टिक वंधुत उप-साधन, जो मुख्यतः प्लास्टिक और पीतल से बने हों।		5.50 ० (केवल पांच रुपये और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।
4612.	(1) पोटेंशियल तथा करेंट ट्रांस-फार्मरों से भिन्न निम्नलिखित वोल्टेज और श्रेणियों के शक्ति तथा वितरण ट्रांसफार्मर, जब ट्रांस-फार्मर तेल के प्रथम भरण के साथ निर्यात किये गये हों —		
	(क) 22 के० वी०से कम—		
		(i) 50 के०वी०ए०तक	28.75 रुपये (केवल अठाईस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति के०वी०ए०।
		(ii) 50 के०वी०ए०से ऊपर तथा 100 के०वी०ए०तक	24.35 रु० (केवल चौबीस रुपये पैंतीस पसे) प्रति के०वी०ए०।
		(iii) 100 के०वी०ए०से ऊपर तथा 300 के०वी०ए०तक	19.75 रुपये (केवल उन्नीस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति के०वी०ए०।

1	2	3	4
		(iv) 300 के० वी०ए० से ऊपर तथा 750 के० वी० ए० तक	14.55 रुपये केवल (चौदह रुपये पचपन पैसे) प्रति के० वी०ए०।
		(v) 750 के० वी० ए० से ऊपर तथा 1000 के० वी० ए० से नीचे	12.10 रुपये (केवल बारह रुपये और दस पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(vi) 1000 के० वी० ए० और उस से ऊपर तथा 1600 के०वी ए० तक	12.45 रु० (केवल बारह रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति के०वी०ए०।
		(ख) 22 के० वी० से 33 के० वी०	
		(i) 300 के० वी० ए० तक	21.10 पये (केवल इक्कीस रुपये और दस पैसे) प्रति के०वी० ए० ।
		(ii) 300 के० वी० ए० से ऊपर तथा 750 के० वी० ए० तक ।	15.90 पये (केवल पन्द्रह रुपये और नब्बे पैसे) प्रति के० वी० ए०
		(iii) 750 के० वी० ए० से ऊपर और 1000 के० वी० ए० से नीचे	13.95 रुपये (केवल तेरह रुपये और पंचानवे पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(iv) 1000 के०वी० ए० और उससे ऊपर तथा 1600 के० वी० ए० तक	14.35 रु० (केवल चौदह रुपये, और पैंतीस पैसे) प्रति के०वी०ए० ।
4613.	बिजली के पंखे—		
		(i) छत के पंखे, रेगुलेटर सहित ।	
		(क) 56″ तथा 60″ फैलाव	36.00 रु० (केवल छत्तीस रुपये) प्रति पंखा ।
		(ख) 48″ फैलाव	30.00 रु० (केवल तीस रुपये) प्रति पंखा ।
		(ग) 42″ और 36″ फैलाव	25.00 रु० (केवल पच्चीस रुपये) प्रति पंखा ।
		(ii) छत के पंखे, बिना रेगुलेटर के ।	
		(क) 56 तथा 60″ फैलाव	33.00 रुपये (केवल तैंतीस रुपये) प्रति पंखा ।
		(ख) 48″ फैलाव	27.00 रु० (केवल सत्ताईस रुपये० प्रति पंखा ।

1	2	3	4
		(ग) 42″ तथा 36″ फैलाव	22.00 रु० (केवल बाईस रुपये) प्रति पंखा ।
		(iii) मेज के पंखे	पोत-पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत) ।

नोट :—(1) प्रति अदायगी की उक्त दर एल्यूमीनियम के पंखे वाले पंखों पर लागू होगी ।
(2) प्रति अदायगी की उक्त दर जून, 1975 के 11 वें दिन से लागू होगी ।

4614.	पंखे के रेगुलेटर , सभी प्रकार के	3.00 रु० (केवल तीन रुपये) प्रति यूनिट ।
4615.	छत के विद्युत पंखों को लटकाने की छड़ें ।	0.54 रु० (केवल चौवन पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
4616.	छत के विद्युत पंखों के लिए एल्यूमीनियम के बने पंखे ।	4.00 रु० (केवल चार रुपये) प्रति कि० ग्रा० ।

टिप्पणी,—(1) उपक्रम सं० 4615 तथा 4616 के संबंध में प्रतिअदायगी की दरों में पैकिंग सामग्री भी शामिल है ।

(2) उपक्रम सं० 4616 के सामने दी गई प्रतिअदायगी की दर जून, 1975 के 11वें दिन से लागू होगी ।

47. दूर संचार उपस्कर और उपकरण, उनके पुर्जे :

4701.	दूर संचार उपस्कर और उपकरण—उनके पुर्जे, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	आण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
4702.	इलक्ट्रानिक वाल्व/ ट्यूब /ट्रांजिस्टर/ रेडियो /बेतार संग्राही सेट के लिए डायोड्स ।	आण्ड-दर , अलग अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
4703.	(i) ट्रांजिस्टर रेडियो	पोत-पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 11 प्रतिशत (केवल ग्यारह प्रतिशत ।
	(ii) रेडियो के वाल्व सहित ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 15 प्रतिशत (केवल पन्द्रह प्रतिशत) ।

1	2	3	4
	4704.	रिक्त	
48.		**घरेलू विद्युत्-उपकरण, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए विद्युत्-उपकरण, विकिरण-विज्ञान संबंधी उपकरण, अन्य विद्युत मशीनरी और उपकरण, उनके पुर्जे :**	
	4801.	घरेलू विद्युत्-उपकरण, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए विद्युत -उपकरण, विकिरण-विज्ञान संबंधी उपकरण, अन्य विद्युत् मशीनरी और उपकरण, उन के पुर्जे जो अन्यत्र भी अविनिर्दिष्ट हो ।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	4802.	घरेलू रेफ्रिजिरेटर और घरेलू रेफ्रिजिरेटरों के संघटक पुर्जे ।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	4803.	निम्नलिखित किस्मों की सीसा एसिड स्टोरेज बैटरियां—	
		(1) आटोमोबाइल बैटरियां	पूर्णतया संयोजित बैटरियों के शुद्ध भार के प्रति कि० ग्रा० पर 1.79 रु० (केवल एक रुपया उनासी पैसे) ।
		(2) ट्रेक्शन बैटरियां	
		(3) रेलगाड़ी में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली बैटरियां	
		(4) स्थिर बैटरियां ।	
	4804.	निम्नलिखित किस्मों की सीसा एसिड स्टोरेज बैटरियों के लिए प्लेटें —	2.35 रु० (केवल दो रुपये पैंतीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
		(1) आटोमोबाइल बैटरियां	
		(2) ट्रेक्शन बैटरियां	
		(3) रेलगाड़ी में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बैटरियां	
		(4) स्थिर बटरियां ।	
49.		**रेल के इंजिन, डिब्बे, रेल पथ स्थायक और फिटिंग, सब प्रकार के यातायात सिगनल उपस्कर, उनके पुर्जे :**	

1	2	3	4
	4901.	रेल इंजिन, वैगन, डिब्बे, रेल-पथ स्थायक और किटिंग, सब प्रकार के यातायात सिगनल उपस्कर, उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हो ।	ब्राण्ड-दर अलग-अलग निर्माता / निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	50	**वाहनों (रेल से भिन्न), वायुयान, पोत नौका और तैरने वाली सब प्रकार की संरचनाएं, उनके पुर्जे और उपसाधन, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों ।**	
	5001.	वाहनों (रेल से भिन्न) वायुयान, पोत नौका और तैरने वाली सब प्रकार का संरचनाएं, उन के पुर्जे और उप-साधन, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों ।	ब्राण्ड-दर , अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	5002.	मोटर गाड़ियों के पुर्जे जिन में उप-क्रम सं० 4002– ख के अन्तर्गत आने वाले ट्रैक्टरों से भिन्न ट्रैक्टर शामिल हैं :	
		(i) ढले हुए लोहे से बनी वस्तुऐं अथवा संघटक ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.5 प्रतिशत (केवल दशमलव पांच प्रतिशत) ।
		(ii) ढले हुए इस्पात के सेक्शन शीटों और पाइपों से निर्मित	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत) ।
		(iii) रेडिएटर संयोजन तथा मोटर-गाड़ियों के लिए कोर जिनमें ट्रैक्टर शामिल हैं परन्तु आयल कूलर और एयर कूल्ड आयल रेडिएटर शामिल नहीं हैं अर्थात्	
		(क) तांबा / पीतल संरचना के रेडिएटर संयोजन ।	4.80 रु० (केवल चार रुपये अस्सी पैसे) प्रति कि०ग्रा० ।
		(ख) इस्पात /पीतल संरचना के रेडिएटर संयोजन ।	3.21 रुपये (केवल तीन रुपये इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
		(ग) तांबा /पीतल संरचना के रेडिएटर कोर ।	6.10 रू० (केवल छः रुपये दस पैसे) प्रति कि०ग्रा० ।
		(iv) प्रज्वलन कायल, प्रज्वलन वितरक संयोजन बिजली के हार्न, हाइनेमो अथवा आल्टरनेटर्स वोल्टेज रेगुलेटर्स तथा सोलेनाइड् ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत) ।
		(v) स्टार्टर मोटर	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत) ।

1	2	3	4
		(vi) कम्प्यूटेटर्स	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 14 प्रतिशत (केवल चौदह प्रतिशत) ।
		(vii) वाणिज्यिक वाहनों के लिए इस्पात के पहिए ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत) ।
		(viii) थिन वाल बियरिंग	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत) ।
		(ix) शाक एब्जार्बर	पोत-पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 8.5 प्रतिशत (केवल आठ दशमलव पांच प्रतिशत) ।
		(x) ब्रेक लाइनिंग तथा क्लच के सिंग	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9 प्रतिशत (केवल नौ प्रतिशत) ।
		(xi) आटोमोबाइलों में प्रयुक्त होने वाले स्प्रिंग लीव्ज	346.50 रु० (केवल तीन सौ छियालीस रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(xii) शेष सभी, जो इस मद में अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है जिन में वे शामिल नहीं हैं जो प्राकृतिक रबड़ से निर्मित है ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत) ।

टिप्पणी.—उपरोक्त दरें तब लागू होंगी जब तैयार उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों पर अथवा संघटकों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56—क अथवा उसके किन्हीं अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त नहीं की गयी हो ।

5003.	ट्रालीज	356.40 रु० (केवल तीन सौ छप्पन रुपये चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
5004.	(i) सम्पूर्ण वाइसिकल जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हैं, चाहे वे संयोजित हों अथवा असंयोजित हों— (ii) वाइसिकल स्पोकों, निप्पलों, वाशरों, चैनों, रिंग लाइनरों, गद्दी-कवरों (चमड़े से बने), पैडलों के रबर के अंश, औजार तथा औजार के बक्सों, साइकिल पम्पों, टायरों तथा ट्यूबों से भिन्न वाइसिकल के संघटक, फालतू पुर्जे तथा उप-साधान ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9.5 प्रतिशत (केवल नौ दशमलव पांच प्रतिशत ।

टिप्पणी.—उपर्युक्त दर में बैकिंग सामग्रियों पर प्रतिअदायगी भी शामिल है ।

1	2	3	4
5005.		सभी प्रकार की बाइसिकल की चैनें, चाहे वे संयोजित हों अथवा असंयोजित हों और चाहे वे लम्बाई में हों अथवा अन्यथा ।	1.05 रुपये (केवल एक रूपया पांच पैसे) प्रति किलोग्राम ।
5006.		बाइसिकल तीलियां—	
	(क)	जस्तीकृत तीलियां, निप्पलों और वाशरों के बिना ।	563.75 रु० (केवल पांच सौ तिरसठ रुपये और पचहत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख)	बाइसिकल की तीलियों के लिए पीतल की निप्पलें ।	उप-क्रम सं० 3805 (ख) के अन्तर्गत के लागू दर पर ।
	(ग)	पीतल की निप्पलों एवं वाशरों सहित सम्पूर्ण तीलियां ।	101.00 रु० (केवल एक सौ एक रुपये) प्रति क्विंटल ।
	(घ)	बाइसिकल की तीलियों के लिए वाशर—	
	(i)	टिन प्लेट से बने	954.70 रु० (केवल नौ सौ चौवन रुपये सत्तर पैसे) प्रति टन ।
	(ii)	जस्तीकृत नरम इस्पात की पट्टियों से बने	894.35 रु० (केवल आठ सौ चौरानवे रुपये पैंतीस पैसे) प्रति टन ।
5007.		स्पीड लाइट रोडस्टर बाइसिकल संयोजित अथवा असंयोजित—	
	(क)	आयातित 3 स्पीड हबों से युक्त	16.20 रु० (केवल सोलह रुपये बीस पैसे) प्रति बाइसिकल ; तथा " पहले आओ और पहले जाओ " आधार पर संगत आगम-पत्र / आगम-पत्रों के अनुसार तथा निर्धारित आयात शुल्क की रकम जो आयातित 3 स्पीड हबों पर अदा की गयी ।

परन्तु यह तब, जब कि निर्माता/निर्यातकर्ता 3 स्पीड हबों से युक्त स्पोर्ट्स लाइट रोडस्टर बाइसिकलों के निर्यात को समाविष्ट करने के निमित 3 स्पीड हबों की पर्याप्त संख्या के आयात एवं शुल्क के भार के संबंध में सीमाशुल्क समाहर्ता के इतमीनान का साक्ष्य प्रस्तुत करता हो और इसके अतिरिक्त यह भी कि आयातित 3 स्पीड हबों को, जिनके बारे में वैसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है,

(i) किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात से वैसे ही सह-सम्बद्ध नहीं किया गया है और उसके लिए हिसाब में नहीं लिया गया है, तथा

1	2	3	4
	(ii)	प्रति-प्रदायगी की दावे सहित अथवा दावे के बिना, उसी रूप में अथवा किसी अन्य रूप में पहले पुनर्निर्यात नहीं किया गया है ।	
		टिप्पणी.—उपर्युक्त दर में पैकिंग सामग्रियों पर दी जाने वाली प्रति-प्रदायगी शामिल नहीं है जिसका दावा प्रतिप्रदायगी की समुचित 'सर्व उद्योग' दर पर अलग से किया जा सकता है ।	
		(ख) 3 स्पीड हबों से युक्त बाइ-सिकलों से भिन्न, है इनका निर्यात संयोजित अथवा एस० के० डी० अथवा सी० के० डी० स्थिति में किया गया हो ।	16.20 रु० (केवल सोलह पये बीस पैसे) प्रति बाईसिकल (जिस में पैकिंग सामग्री पर प्रतिप्रदायगी शामिल नहीं है, जिसका दावा प्रतिप्रदायगी की समुचित सर्व उद्योग दरों के अधीन अलग से किया जा सकता है ।
	5008	औद्योगिक अथवा स्वचालित स्टील रोलर जंजीरे (उपक्रम सं० 5005 के अन्तर्गत आने वाली स्टील रोलर जंजीरों से भिन्न) चाहे संयोजित हों अथवा असंयोजित हों, और चाहे लम्बाई में हों अथवा अन्यथा हों ।	0.90 रु० (केवल नब्बे पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
51.		**सफाई नलसाजी तापन, प्रकाश, स्थायक और फिटिंग तथा उनके पुर्जे**	
	5101.	सफाई, नलसाजी, तापन, प्रकाश स्थायक और फिटिंग और उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जाती हैं ।
52.		**फर्नीचर :**	
	5201.	फर्नीचर, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है । अधीवरि—	
	5202.	इस्पात फर्नीचर (ट्यूबुलर इस्पात फर्नीचर तथा फर्नीचर ट्यूबों को छोड़कर), जिनमें लाकर कैबिनेट और अन्य सेफ डिपाजिट उपस्कर, मजबूत दरवाजे, इस्पात की खिड़कियां तथा दरवाजे शामिल हैं, किन्तु स्टेनलैस इस्पात से बने उनके हिस्से शामिल नहीं हैं ।	

1	2	3	4
		(क) 5 मि० मी० से कम मोटाई वाली इस्पात की चादरों अथवा पट्टी से बने ।	486.25 रु० (केवल चार सौ छयासी रुपये पच्चीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) अन्य सभी	356.40 रु० (केवल तीन सौ छप्पन रु० चालीस पैसे) प्रति टन ।
53.		**प्रकाशीय , फोटोग्राफी संबंधी, सिनेमा संबंधी , मापक , जांच करने के, यथार्थभावी , चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा संबंधी औजार, यंत्र और उपस्कर, उनके पुर्जे :**	
	5301.	प्रकाशीय, फोटोग्राफी सम्बन्धी, सिनेमा सम्बन्धी, मापक, जांच करने के, यथार्थभावी, चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी औजार-यंत्र और उपस्कर और उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	ब्राण्ड-दर अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
54.		**दीवार घड़ी, घड़ियों और उनके पुर्जे :**	
	5401.	दीवार घड़ी, घड़ियां और उनके पुर्जे, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	ब्राण्ड-दर अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
55.		**वाद्य-यंत्र, ध्वनि रिकार्ड और रिप्रोडयूसर उन के पुर्जे और उपसाधन :**	
	5501.	वाद्य-यंत्र, ध्वनि रेकार्ड, रिप्रोड्यूसर, उनके पुर्जे और उप-साधन जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	ब्राण्ड-दर अलग-अलग निर्माता निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत होनी है ।
56.		**खिलौने खेलकूद और क्रीड़ा के सामान उनके पुर्जे :**	
	5601.	खिलौने, खेलकूद और क्रीड़ा के सामान, उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	ब्राण्ड-दर अलग-अलग निर्माता निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।

1	2	3	4
57.		**कार्यालय संबंधी वस्तुएं और लेखन सामग्री :**	
	5701.	कार्यालय सम्बन्धी वस्तुएं और लेखन-सामग्री, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है	आण्ड-दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होन पर नियत की जानी है ।
	5702.	फाउण्टेन पेन, बाल पाइण्ट, पेन, साइन पेन, फाइबर, टिप पेन और फाउण्टेन पेन की इरीडियम एलाय पेन पाइण्ट वाली निब (जिसमें फाउण्टेन पेन की स्टेनलेस स्टील निब शामिल है), तथा बाल पाइण्ट पेन रिफिल (धातु अथवा प्लास्टिक की)	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत) ।
58.		**रत्न और उप-रत्न (जिनमें जड़े हुए हीरे शामिल हैं) तथा पूर्णतः या अंशतः ऐलाबास्टर या स्वर्ण या चांदी से बनी हुई वस्तुएं :**	
	5801.	रत्न और उप-रत्न (जिनमें जड़े हुए अथवा बिना जड़े हुए हीरे शामिल हैं) तथा पूर्णतः या अंशतः ऐलाबास्टर या स्वर्ण या चांदी से बनी हुई वस्तुएं, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं	आण्ड-दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	5802.	रिक्त	
	5803.	एलबास्टर से बनी दस्तकारी की वस्तुएं और अन्य वस्तुएं	आण्ड-दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
59.		**विनिर्मित वस्तुएं अर्थात् सब प्रकार के ब्रुश, सिवाय कार्बन ब्रुशों के, जिप कसनी, स्नेप कसनी, यांत्रिक लाइटर, कृत्रिम बाल, विग और ऐसी ही वस्तुएं और हाथी दांत के उत्पाद :**	

1	2	3	4

	5901.	विनिर्मित वस्तुएं अर्थात् सब प्रकार के शुल्क सिवाय कार्बन शुलों के, जिप कसनी, स्नेप कसनी, यांत्रिक लाइटर, कृत्रिम बाल, विग और ऐसी ही वस्तुएं और हाथी दांत के उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्रांण्ड-दर अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी हैं ।
	5902.	धातु के जिप फासनर्स—	
		(i) पीतल से बने—	
		(क) साइज नं० 3	171.25 रु० (केवल एक सौ इक-हत्तर रुपये और पच्चीस पैसे) प्रति एक हजार मीटर ।
		(ख) साइज सं० 5 अथवा इससे बड़े	296.45 रु० (केवल दो सौ छियानवे रुपये और पैंतालीस पैसे) प्रति एक हजार मीटर ।
		(ii) एल्युमीनियम से बने—	
		(क) साइज सं० 3	44.00 रु० (केवल चवालीस रुपये) प्रति एक हजार मीटर ।
		(ख) साइज सं० 5 अथवा इससे बड़े	71.90 रु० (केवल इकहत्तर रुपये और नब्बे पैसे) प्रति एक हजार मीटर ।]
		नोट : उपक्रमांक 5902 के अन्तर्गत निर्धारित प्रति अदायगी की दर जून, 1975 के 11वें दिन से लागू होगी ।	
	5903.	हाथी दांत उत्पाद	300.00 रु० (केवल तीन सौ रुपये) प्रति किलोग्राम ।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971 के नियम 3(1), नियम 6 तथा नियम 7 के उपबन्धों को, व्यापारियों एवं उद्योगों की सूचना के लिए नीचे उद्धृत किया गया है :—

"3. धारणी :—

(1) (क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और तद्धीन बनाए गए नियम,

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और तद्धीन बनाए गए नियमों और ;

(ग) इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट माल के निर्यात वापसी ऐसी रकम या ऐसी दरों पर अनुज्ञात की जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ;

परन्तु जहां कोई माल ऐसी आयात की गई सामग्री या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री से उत्पादित/विनिर्मित किया गया हो जिन में से केवल कुछ पर ही, शेष पर नहीं, उस पर प्रभार्य शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और तद्धीन, बनाए गए नियमों या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी के अधीन, दिया गया हो, या (या प्रभार्य शुल्क का केवल एक भाग ही दिया गया हो संदत्त शुल्क का पूर्णत: या अंशत: रिबेट दिया गया है या प्रतिदाय दिया गया हो, वहां उक्तमाल पर अनुज्ञेय वापसी, संदत्त न्यूनतर शुल्क या अभिप्राप्त रिबेट प्रतिदाय या उधार को ध्यान में रखकर कम की जाएगी परन्तु यह और भी कि—

(i) यदि उक्त माल का, चाय की उन पेटियों के सिवाय जिनका सम्मिश्रित चाय के निर्यात के लिए पैकिंग की सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, विनिर्माण के पश्चात् उपयोग किया गया है ; या

(ii) यदि उक्त माल का उत्पादन या विनिर्माण आयात की गई सामग्री, या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री, जिसकी बाबत शुल्क नहीं दिए गए हैं, का उपयोग करके किया गया है, तो कोई भी वापसी अनुज्ञात नहीं होगी।"

6. वे स्थितियां जिनमें वापसी की रकम या दर अवधारित नहीं की गई है —

(1) (क) जहां किसी माल की बाबत वापसी की कोई रकम या दर अवधारित नहीं की गई है, वहां, ऐसे माल का कोई विनिर्माता या निर्यातकर्ता ऐसे माल का निर्यात करने से पूर्व, उसके लिए वापसी रकम की या दर के अवधारण के लिए केन्द्रीय सरकार को, सभी सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करते हुए जिन में वह अनुपात, जिसमें माल के उत्पादन या विनिर्माण में सामग्री या संघटकों पर संदत्त शुल्क सम्मिलित है लिखित आवेदन दे सकेगा :

(ख) खण्ड (क) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार, ऐसे जांच जैसी वह उचित समझे करने या करवाने के पश्चात्, ऐसे माल की बाबत वापसी की रकम या दर का अवधारण करेगी ;

(2) (क) जहां किसी निर्यात कर्त्ता की वांछा है, कि वापसी की रकम आरजी के रूप में उसे दी जाए, वह उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन आवेदन करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में यह आवेदन कर सकेगा कि ऐसे माल के निर्यात पर वापसी हेतु, उस उपनियम के खण्ड (ख) के अधीन रकम या दर के अवधारण होने तक, उसे एक आरजी रकम दे दी जाए।

(ख) केन्द्रीय सरकार आवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस पत्तन के सीमा शुल्क कलक्टर को जहां से माल का निर्यात किया गया है इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह ऐसे निर्यात के बाबत निर्यातकर्ता द्वारा दावाकृत रकम की 75 प्रतिशत से अनधिक रकम आरजी के रूप में दे दें ;

परन्तु किसी सीमा शुल्क कलक्टर ऐसे निर्यात की बात वापसी के आरजी संदाय को अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए निर्यातकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी रकम का और शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा सीमाशुल्क कलक्टर निदेश दे, साधारणबंधपत्र करे या ऐसी रकम के लिए जो किसी विशिष्ट परेषण के बारे में वापसी के रूप में ऐसी निर्यातकर्त्ता द्वारा दावाकृत पूर्ण रकम से अनधिक हो और निम्नलिखित के लिए —

(i) यदि किसी कारण से केन्द्रीय सरकार वापसी अनुज्ञात न करने का विनिश्य करे तो इस प्रकार अन्तिम रूप से मंजूर की गई रकम वापस करने के लिए ; या

(ii) यदि केन्द्रीय सरकार वापसी अनुज्ञात करने का विनिश्चय करे तो अन्तिम रूप से प्राप्त अधिक्य रकम, यदि कोई हो, वापस करने के लिए;

अपने को आबद्ध करेगा :

परन्तु यह और कि जब ऐसे मांग संदेय वापसी का अन्तिम रूप से अवधारण हो जाए तब ऐसे निर्यातकर्त्ता को अन्तिम रूप से दी गई रकम, अन्तिम रूप से संदेय वापसी के साथ समायोजित की जाएगी और यदि इस प्रकार समायोजित रकम अन्तिम रूप से संदेय वापसी से अधिक्य में है या कम पड़ती है तो वह सीमाशुल्क कलेक्टर को, यथास्थिति उस अधिक्य को वापस करेगा या जो कमी रह गई होगी उसे पाने का हकदार होगा ।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बन्धपत्र ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित हो सकता है जिसका विदेश सीमा शुल्क कलक्टर करें ।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती हो, वहां, उस तारीख से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण कर सकती है ।"

'7. वे मामले जिनमें अवधारित रकम या दर कम हो :—

(1) जहा किसी विनिर्माता या निर्यातकर्ता को यह पता चलता है कि किसी माल की बाबत वापसी की यथास्थिति नियम 3 के अधीन अवधारित या उस वर्ग के माल के लिए, नियम 4 के अधीन पुनरीक्षित, रकम या दर उस सामग्री या संघटकों पर, जो उक्त माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं दिए गए शुल्क के तीन चौथाई से कम है वहां, वह केन्द्रीय सरकार को वापसी की उचित रकम या दर नियम करने के लिए लिखित आवेदन उन सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए, जिसमें वह अनुपात जिसमें माल के उत्पादन या विनिर्माण में सामग्री या संघटको का प्रयोग किया जाता है और ऐसी सामग्री या संघटकों पर दिए हुए शुल्क सम्मिलित है, कर सकता है ।

(2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करने या कराने के पश्चात् निर्यातकर्ता को ऐसी रकम या दर पर, जो समुचित रकम या दर अवधारित की जाए, वापसी का संदाय अनुज्ञात कर सकती है यदि यथास्थिति, जियम 3 के अधीन अवधारित या नियम 4 के अधीन पुनरीक्षित वापसी की रकम या दर इस नियम के अधीन अवधारित ऐसी रकम या दर की वस्तुतः तीन चौथाई से कम है ।"

जिन वस्तुओं के निर्यात किए जाने पर सरकार द्वारा प्रति अदायगी दी जाती है वे सभी सारणी के 59 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत आती है । यथासंभव अधिक से अधिक उत्पादों के लिए प्रतिअदायगी की

सर्व उद्योग' दरें निर्धारित की गई हैं। जहां कहीं 59 मुख्य शीर्षों में से किसी भी शीर्ष के सामान्य विवरण के अन्तर्गत आने वाला कोई विशेष निर्यात-उत्पाद सर्व उद्योग" दरों के अन्तर्गत नहीं आता वहां निर्यातकर्त्ता नियम 6 के अन्तर्गत ब्राण्ड दरें नियत करवा सकते हैं। निर्यातकर्त्ता, नियमावली के नियम 6 (2) के अधीन दर निर्धारण की सुविधा अथवा प्रतिग्रदायगी के पेश किए गए दावे की 75 प्रतिशत रकम का लाभ भी उठा सकते हैं।

जहां कहीं निर्यातकर्त्ता यह महसूस करे कि उसके मामले में प्रतिग्रदायगी दी दर अथवा रकम, वस्तु के उत्पादन अथवा निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों तथा संघटकों पर अदा गये किए शुल्क के तीन चौथाई रकम से कम है, वहा नियमावली के नियम 7 के अन्तर्गत विशेष ब्राण्ड-दर निर्धारित करने की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

सी० भुजंग स्वामी, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975